बिंझवार जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

निर्देशन : **पी. एल. चौधरी**
संकलन एवं लेखन : **श्रीमती उषा शर्मा, श्रीमती उषा लकड़ा, रूपेश्वर सिंह**
सहयोग : **ओम प्रकाश भास्कर, श्रीमती सरोजनी साहू**

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान
क्षेत्रीय इकाई, बिलासपुर

विषय – सूची

अध्याय	विवरण	पृष्ट संख्या
अध्याय 1	पृष्ठभूमि	1 – 11
अध्याय 2	भौतिक संस्कृति	12–26
अध्याय 3	आर्थिक जीवन	27–51
अध्याय 4	सामाजिक संरचना	52–66
अध्याय 5	जीवन चक्र	67–81
अध्याय 6	राजनैतिक संगठन	82 –87
अध्याय 7	धार्मिक जीवन	88 –99
अध्याय 8	लोक परम्पराएँ	100–103
अध्याय 9	परिवर्तन	104–108
अध्याय 10	समस्याएँ	109–111

अध्याय – 1 पृष्ठभूमि

भारत की संस्कृति और सभ्यता अद्वितीय मानी गई है। विभिन्न प्रजातियों की अनेकान्त अस्मिताएं, भारत को प्रजातियों के बागबां के रूप में घोषित करती है। और विभिन्न संस्कृतियों का अद्‌भुत समागम हमारी भारतीय संस्कृति का प्रथम चरण है। आदिवासी, आदिमजाति, जनजाति इत्यादि नामों से पहचाना जाने वाला एक मानवीय समुदाय, जो सभ्यता के विकास सोपान को अभी तक पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं कर पाया है, जो अभी भी दुर्गम और सघन वन प्रांतों में जीवनयापन करता है, उनका जीवन, उनकी संस्कृति, उनका आचार–विचार, भौतिकता से दूर नैसर्गिक पवित्रता के साक्षी है। यद्यपि यह समुदाय साक्षरता और विकास में विपन्न है, किन्तु अनुभव और प्राकृतिक संस्कृति की विराट सम्पदा इनके पास ही अक्षुण्य है।

छत्तीसगढ़ भारत वर्ष के प्रदेशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से नवां सबसे बड़ा प्रदेश है। इसका कुल क्षेत्रफल 13,53,621 वर्ग किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या 20795956 है और इस प्रकार जनसंख्या के क्रम में यह भारत का सत्रहवां राज्य है। जो कि कुल जनसंख्या का 02.02 प्रतिशत है। छत्तीसगढ़ देश का 26वां नवोदित राज्य है।

छत्तीसगढ़ की जनजाति :-

भारत में अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या का लगभग 8.01 प्रतिशत है। छत्तीसगढ़ राज्य की कुल जनसंख्या 2.07 करोड़ है, जिसकी लगभग एक तिहाई से अधिक संख्या 32.45 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की है। इस दृष्टि से छत्तीसगढ़ को जनजातीय बहुल राज्य भी कह सकते है। छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासी उपयोजना के अनुसार कुल 42 अनुसूचित जनजातियां 161 उपसमूहों में विभाजित हैं। बिंझवार जनजाति छत्तीसगढ़ की एक अनुसूचित जनजाति है जो इस प्रदेश मे मुख्यतः रायपुर, महासंमुद, बिलासपुर, सरगुजा एवं रायगढ़ जिले में निवास करती है और अन्य जनजातियों की तुलना में आर्थिक स्थिति के आधार पर अधिक अच्छी स्थिति में है। **बिंझवार की चार उपजातियां है – बिंझवार, सोनझरा, बिरझिया और बिंझिया।**

उत्पत्ति का इतिहास :-

बिंझवारों की उत्पत्ति के संबंध में कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इनमें प्रचलित कथाओं के आधार पर उत्पत्ति इतिहास इस प्रकार है।

बिंझवार जाति के समाज प्रमुखों के अनुसार बिंझवार जनजाति विंध्य पर्वतीय क्षेत्र के मूल निवासी होने के कारण बिंझवार कहलाए। जिसे बिंझाल भी कहते है बिंझवार जाति का पूर्व रूप विंध्य है, जाति का मूल रूप बिंझवार है। जो द्रविड़ समूह के जनजाति है। बिंझवार जाति सूचक न होकर स्थान और कर्म सूचक है।

बिंझवार प्रजाति की उत्पत्ति की कथा के अनुसार देवी विंध्यवासनी के बारह पुत्र थे जो धनुर्विद्या में अत्यन्त निपूर्ण थे और इसी लिए बारह भाई बेतकार कहलाते थे।

बिंझवार जाति के कुल देवी मां विंध्यवासनी बूढ़ीमाई के बारह भाई बेतकार नाम से प्रसिद्ध पुत्रों के वंशज माने जाते हैं। एक दिन उनके तीर जाकर जगन्नाथपुरी के मंदिर के दरवाजे में धँस गये जिन्हें कोई भी नहीं निकाल पाया यहां तक हुआ कि स्थानीय राजा के हाथियों की सहायता से भी तीर निकालना संभव नहीं हुआ। तब तक बारह भाई अपने तीर खोजते हुए यहां आ पहुंचे और उन्होनें सरलता से उसे निकाल लिया। उनके इस करतब को देख कर पुरी के राजा इतने प्रसन्न हुए कि उसने इन्हें जमींदारियां दे दी।

इस प्रजाति की उत्पत्ति की एक और कथा है कि गोड़ राजा हीराखान बहुत ही प्रतापी थें। वे सत्यनिष्ठ और न्यायप्रिय थें। उनके शासन काल में शान्ति थी। एक दिन राजा आखेट के लिए आढ़ानारा बिंझाझोरी गये। आखेट बरहा (रायडडहर बरहा) का था। कोई मामा–भांजे उसी जंगल में मचान बनाकर शिकार की खोज में थे। राजा तालाब में उतर कर स्नाान कर रहे थे और मामा–भांजे ने यह समझ कर कि पशु तालाब में पानी पी रहा है। उन्हें तीरों से बींझ दिया इन्हीं मामा–भांजे के वंशज बिंझवार कहलाये।

बिंझवार प्रजाति में तीर को जाति चिन्ह माना गया है। वे अपने पशुओं को तीर से दागते थे व हस्ताक्षर के स्थान पर तीर का निशान लगाते थे। बिंझवार विवाह में महुआ के वृक्ष के नीचे गड़ा तीर विवाह स्तंभ के रूप में ले लेता था। बिंझवार वर्तमान में एक

सुसंस्कृत प्रजाति है जिसकी अपनी महासभा का नाम कोटा सागर है। इनकी आजीविका का प्रमुख स्त्रोत स्थाई कृषि कार्य है। इनकी मातृभाषा छत्तीसगढ़ी है। बिंझवार शबरी बोली का भी प्रयोग करते है। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह इसी समुदाय के थे।

अभी भी बिंझवार विवाह में महुआ झाड़ का डंगाल मंगरोहन, बेलन, पीड़हा एवं तीर धनुष का उपयोग होता है। बारात वापसी के बाद शादी–विवाह का अंतिम रस्म के रूप में दूल्हा–दुल्हन को नव डोरी नहलवाई के लिए तालाब ले जाते है। इसमें करसकरवा में पानी भर दूल्हा–दुल्हन सात–सात बार एक दूसरे के उपर डालते है। फिर स्नान करके करसकरवा में पानी भरकर दुल्हन अपने सिर के उपर रख लेती है। बिंझवार जनजाति में तालाब से घर जाने के समय धान के पैरा का बरहा बनाया जाता हैं उसके बाद दुल्हन के सामने रखकर धनुष–तीर से सात बार मारने के लिए कहा जाता है। दूल्हा का हर बार बांण से मारने से अगर निशाना चूक जाता है तो नवडोरी में आये आदमी उसका मजाक उड़ाते है। और सही निशाना लगाने से उसको अपना परिवार चलाने का आर्शीवाद देते है। कि यह अपना परिवार चला सकता है।

गोपाल राय बिंझवार जो गोप्पला पहलवान के नाम से बहुत चर्चित एवं प्रसिद्ध थे, रतनपुर के अंतिम राजा कल्याण राय के राज्य काल में प्रतापी और बहादुर पराक्रमी प्रमुख सेनापति थे। राजा अकबर रतनपुर पर चढ़ाई कर राजा कल्याण राय को बंदी बनाकर दिल्ली ले गये जिसे गोपालराय बिंझवार अपनी बहादुरी, पराक्रम एवं साहस से अकबर से छुड़ाकर लाये।

बिंझवार जाति के लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास का प्रमुख अंग है। छत्तीसगढ़ माटी के सपूत 1857 की क्रांति के ध्वजवाहक अमर शहीद वीरनारायण सिंह बिंझवार सोनाखान (रायपुर) के जमींदार थे। जो छत्तीसगढ़ के प्रथम क्रांतिकारी शहीद के नाम से जाने जाते है। 10 दिसम्बर 1857 को वीरनारायण सिंह को जयस्तंभ चौक पर प्राणदंड दिया गया। इस प्रकार देश के स्वाधीनता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का यह प्रथम सेनानी शहीद हो गया। वह एक आदिवासी वीर था। जयस्तंभ चौक रायपुर में आज भी वीर नायारण सिंह बिंझवार का प्रतीक यादगार के लिए निर्मित है।

शारीरिक लक्षण

बिंझवार जाति के लोग अधिकतर काले, सावले, गठीले शरीर के होते हैं। जंगली पहाड़ी क्षेत्र में अधिक संख्या में निवासरत है। शहरी क्षेत्र में विरले ही पाये जाते है। क्षेत्रीयता के आधार पर बिंझवार जाति के लोग छत्तीसगढ़ी बोली, बिंझवारी, लरिया, सादरी, बोली बोलते हैं। क्षेत्रीय भाशाएं एवं हिन्दी, उड़िया भी बोलते है।,

2001 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 66,16,596 पाई गई है, जो कि राज्य की कुल जनसंख्या का 31.8 प्रतिशत भाग है विदित हो कि 1991 की जनगणना मे राज्य की कुल जनसंख्या का 32.5 प्रतिशत भाग अनुसूचित जनजातियों का था।

राज्य में पांच ऐसे जिले है जहां कि आधी से अधिक जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की है–दंतेवाड़ा, बस्तर, जशपुर, कांकेर, सरगुजा। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सरगुजा जिले में 10 लाख 76 हजार 669 व्यक्ति हैं राज्य में सबसे कम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कवर्धा जिले में 1 लाख 21 हजार 957 व्यक्ति है।

राज्य के मात्र तीन जिले सरगुजा, कोरबा एवं कोरिया में ही अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की संख्या अनुसूचित जनजाति के पुरूषों की संख्या से कम है। इसके विपरीत शेष सभी जिलों में इनकी संख्या अनुसूचित जनजाति के पुरूषों से अधिक है। राज्य के 66 लाख 16 हजार 596 अनुसूचित जनजाति जनसंख्या में पुरूषों की संख्या 32 लाख 88 हजार 334 है, वहीं महिलाओं संख्या 33 लाख 29 हजार 262 पाई गई है।

छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासी उपयोजना के अनुसार कुल 42 अनुसूचित जनजातियां 161 उपसमूहों में विभाजित है। जिसकी प्रकृति सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक स्तरों पर एक दूसरे से भिन्न है। मूल रूप से राज्य में आदिवासी समूह तीन भाषा परिवारों में विभाजित है।

1. मुंडा भाषा परिवार
2. द्रविड भाषा परिवार
3. आर्य भाषा परिवार

मुंडा भाषा परिवर के अंतर्गत कोरकू, खडिया, मवासी, निहाल, कोरवा, बिरहोर, नगेसिया, तूरी, सौंता, माझी एवं मझवार आते है।

द्रविड भाषा परिवार के अंतर्गत उरांव, परजा व आर्य भाषा परिवार इसके अंतर्गत शेष अन्य आदिवासी समूह शामिल किये गये है।

आर्य समाज की भाषाओं को बोलने वाले सर्वाधिक आदिवासी समूह है। छत्तीसगढ़ के अधिकतर आदिवासी प्रोटो आस्ट्रेलाईड प्रजाति के हैं। भारत सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में घोषित अबूझमाडिया, बैगा, भारिया, बिरहोर, कमार व कोरवा की इस अंचल में बहुलता है। छत्तीगढ़ में देश के दक्षिण क्षेत्र व उत्तरी–पूर्वी क्षेत्र के आदिवासी वर्ग सम्मिलित है।

सन् 2001 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या जिलेवार इस प्रकार है –

क्रं.	जिला	कुल	पुरूष	महिला
1	सरगुजा	1076669	541949	534720
2	बस्तर	866488	428973	437515
3	दंतेवाड़ा	564931	277670	287261
4	जशपुर	469953	233166	236787
5	रायगढ़	447703	222470	225233
6	कोरबा	419889	210373	209516
7	बिलासपुर	397104	197984	199120
8	रायपुर	365273	182409	183864
9	कांकेर	365031	180825	184206
10	दुर्ग	348801	172038	176763
11	राजनांदगांव	341688	166587	175101
12	कोरिया	260040	131957	128083
13	महासमुंद	232485	114221	118264

14	धमतरी	185515	91748	93767
15	जांजगीर	153069	75454	77615
16	कवर्धा	121957	60510	61447
छत्तीसगढ़		**6616596**	**3287334**	**3329262**

भौगोलिक पृष्ठभूमि

बिंझवार जनजाति बिलासपुर संभाग के बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर–चांपा व मुंगेली जिले में निवास करती है। जनसंख्या की दृष्टिकोण से सर्वेक्षण के अनुसार बिंझवार जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या बिलासपुर जिले में निवास करती है।

भौगोलिक स्थिति और क्षेत्रफल :-

बिलासपुर संभाग के अंतर्गत बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर–चांपा, मुंगेली जिले आते है।

बिलासपुर :-

बिलासपुर जिला छत्तीसगढ़ में 22'5 उत्तरी अक्षांश एवं 82'10 पूर्वी देशांतर पर 'अरपा नदी' के तट पर बसा है। इसकी समुद्र तल से उंचाई 853 फीट है। यह जिला उत्तर की ओर सरगुजा, दक्षिण की ओर दुर्ग एवं रायपुर से पूर्व की ओर कोरबा जिला से घिरा है। रायपुर जिले के बाद क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा जिला है। बिलासपुर जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 8569 वर्ग किमी. है। यह जिला भौगोलिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ के उत्तर–पश्चिम में स्थित है। बिलासपुर जिले को छत्तीसगढ़ की संस्कारधानी और न्यायाधानी भी कहा जाता है। बिलासपुर में छत्तीसगढ़ की पहली ब्रेल लिपि स्थित है जो तिफरा क्षेत्र (बिलासपुर) में स्थित है। इस जिले के अंतर्गत तहसीलें इस प्रकार है बिलासपुर, मस्तूरी, बिल्हा, पेण्ड्रा, कोटा, मरवाही, गौरेला, तखतपुर आते है।

मुंगेली :-

जिला मंगेली छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले से पृथक कर दिनांक

01.01.2012 को नवगठित जिले के रूप में अस्तित्व में आया। यह जिला राज्य के पश्चिम मध्य भाग में स्थित है। इसकी पश्चिम सीमा पर कबीरधाम, उत्तर पूर्व में जिला बिलासपुर तथा दक्षिण में बेमेतरा एवं बलौदाबाजार जिला स्थित है। जिले में 03 विकासखंड (मुंगेली, लोरमी तथा पथरिया) ये सभी सामुदायिक विकासखण्ड है, जिले में आदिवासी विकासखंड नहीं है। जिले का मुख्य भौगोलिक क्षेत्रफल 1893 वर्ग किमी. है इसमें वन क्षेत्रफल 1740.46 वर्ग किमी. (62.64 प्रतिशत) है। जिले के वनों में साल, साजा, बीजा, बांस, तेन्दू, महुआ, आम, आंवला आदि वृक्ष पाये जाते है। पूर्व में अविभाजित बिलासपुर जिले में वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत वर्ष 2009 में 557.55 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में अचानकमार टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई हे जो वर्तमान में नव गठित मुंगेली जिले में शामिल है। जिले में भारत सरकार द्वारा राज्य के लिए घोषित पांच विशेष पिछड़ी जनजातियों में बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के साथ–साथ कंवर, कोल, गोंड आदि जनजातियां भी निवासरत है।

जांजगीर-चांपा

बिलासपुर–चांपा रेल मार्ग पर 45 किमी पर स्थित है। इस जिले का स्थापना वर्श 1998 है क्षेत्रफल 4467 वर्ग किमी है इसके अंतर्गत 10 तहसील, 06 विधानसभा क्षेत्र तथा 09 विकासखंड है। जाजल्लदेव द्वितीय के रतनपुर शिलालेख से पता चलता है कि उसने अपने नाम एक नगर बसाया था। जहां मंदिर एवं तालाब भी बनवाये थे। उसका नाम था–जाजल्लपुर। वर्तमान में जांजगीर को ही उस स्थान के नाम से जाना गया है।

यहां मदिर एवं मूर्तियां कल्चुरीकालीन उत्कृष्ट कला का प्रदर्शन करती है। यह पूर्वाभिमुख है तथा सत्परथ योजना का है। मंदिर में वराह, नृसिंह वामन बुद्ध और त्रिविक्रम विष्णु अवतारों तथा बायां हिस्सा शिव का एवं दाहिना हिस्सा विष्णु का बताने वाली हरिहर प्रतिमा और अपने घोड़ों एवं रथ के साथ सूर्य प्रतिमा का भी अंकन है।

चांपा (ऐतिहासिक, धार्मिक, गढ़–मदनपुर) – चांपा, हावडा–मुंबई रेल मार्ग पर बिलासपुर से रेलमार्ग द्वारा 53 किमी तथा सड़क मार्ग द्वारा 78 किमी दूरी पर समुद्र तल से 500 मी. की उंचाई पर हसदो नदी के तट पर बसा यह नगर अपने कांस,

कोसा तथा कंचन (सोना) से निर्मित वस्तुओं के लिए विष्व प्रसिद्ध है। दर्षनीय स्थल – यहां सम्लेष्वरी देवी का मंदिर, श्री जगन्नाथ मंदिर, श्री मुरली मनोहर का षिव मंदिर, श्रीकृष्ण गौशाला मंदिर, राजमहल एवं रामबांधा ताला मदनपुर गढ़, मड़वा रानी मंदिर आदि प्रमुख है।

रायगढ़

रायगढ़ जिला छत्तीसगढ़ का एक पूर्वी जिला है जिसकी सीमाएं पूर्व में ओडिशा प्रान्त, उत्तर पूर्व में झारखंड प्रांत के गुमला जिले से लगती है। जिले का कुल क्षेत्रफल 7086 वर्ग कि.मी. है। रायगढ़ जिले में 06 तहसीले, 09 विकासखण्ड, 05 विधानसभा क्षेत्र, 05 नगर, 01 नगरपालिका, 04 नगर पंचायत, 09 जनपद पंचायत एवं 673 ग्राम पंचायते है। जिले का 3330 वर्ग कि.मी. वन क्षेत्र है। जिला रायगढ़ को शैलाश्रयों का गढ़ भी कहते है।

कोरबा :-

दक्षिण पूर्वी रेल्वे के हावड़ा मुंबई मुख्य मार्ग पर रायगढ़ एवं बिलासपुर स्टेषन के बीच स्थित चांपा जंक्शन से मात्र 40 कि.मी. की दूरी पर औद्योगिक नगरी जिला कोरबा स्थित है। यह नगर कोयला क्षेत्र में स्थित है एवं देष विदेष में विद्युत उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। यह छत्तीसगढ़ की ''उर्जा नगरी'' है। जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 6598 वर्ग कि.मी. है। जिले में 04 तहसीले, 05 वि.ख., 03 विधानसभा क्षेत्र, 01 नगर निगम, 05 नगर, 01 नगर पंचायत, 05 जनपद पंचायत एवं 347 ग्राम पंचायते है, जिले का वन क्षेत्र 4187 वर्ग कि.मी. है।

सन् 2001 की जनगणना के अनुसार बिलासपुर संभाग में निम्नांकित अनुसूचित जनजातियाँ निवास करती है जिसकी जनसंख्या इस प्रकार है :–

जिला - बिलासपुर (अविभाजित)

क्रं.	विवरण	जनसंख्या	प्रतिशत
1	मरवाही	138989	35.48
2	कोटा	95189	24.30
3	लोरमी	33895	08.65
4	मुंगेली	13537	03.46
5	तखतपुर	28414	07.25
6	बिल्हा	25314	06.46
7	बिलासपुर	10650	02.72
8	बेलतरा	22618	05.77
9	मस्तुरी	28498	07.28
कुल		**391704**	**100.00**

जिला - रायगढ़

क्रं.	विवरण	जनसंख्या	प्रतिशत
1	लैलुंगा	129602	28.95
2	रायगढ़	44470	09.93
3	सारंगढ़	46996	10.50
4	खरसिया	65937	14.73
5	धरमजयगढ़	160698	35.89
कुल		**447703**	**100.00**

जिला - कोरबा

क्रं.	विवरण	जनसंख्या	प्रतिशत
1	रामपुर	132556	31.57
2	कोरबा	34773	08.28
3	कटघोरा	74842	17.82
4	पाली	177718	42.33
कुल		**419889**	**100.00**

जिला - जांजगीर-चांपा

क्रं.	विवरण	जनसंख्या	प्रतिशत
1	अकलतरा	32842	21.46
2	जांजगीर–चांपा	10085	06.59
3	शक्ति	41726	27.26
4	चंद्रपुर	39467	25.78
5	जयजयपुर	20159	13.17
6	पामगढ़	8790	05.74
कुल		**153069**	**100.00**

सम्पूर्ण राज्य में जनजातियों का वितरण पाया जाता है। प्रदेश में जनजातियों के संकेन्द्रण को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है–

1. **उत्तरी क्षेत्र** - इसके अंतर्गत कोरिया, सरगुजा, जशपुर, रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर जांजगीर–चांपा जिले सम्मिलित है। सरगुजा तथा जशपुर की प्रमुख जनजातियां कोरबा, बिरहोर, खैरवार, उरांव, बिंझवार, कोडार तथा भैना आदि

प्रमुख है। सरगुजा और रायगढ़ के पहाड़ी क्षेत्रों में सर्वाधिक आदिम जनजाति कोरवा रहते है, जिन्हे 'पहाड़ी कोरवा' कहा जाता है। बिंझवार रायगढ़ की जनजाति है।

2. **मध्य क्षेत्र** - इस क्षेत्र के अंतर्गत धमतरी, रायपुर, महासमुंद, दुर्ग, राजनांदगांव, कबीरधाम सम्मिलित है यहां की प्रमुख जनजातियां कमार, हल्बा, भतरा, सौंता, बिंझवार हैं। कंवार, कमार, बिंझवार एवं भरता रायपुर की जनजातियां है।

3. **दक्षिण क्षेत्र** - इसके अंतर्गत बस्तर, दंतेवाड़ा तथा कांकेर जिले सम्मिलित है। यहां निवास करने वाली जनजातियों में गोंड, हल्बा, माड़िया, हल्बी, अबूझामाड़िया, परजा, कोलम, गदबा तथा भतरा आदि हैं।

भारत शासन द्वारा घोषित अत्यधिक पिछड़ी जनजातियों में से सात जनजातियां मध्यप्रदेश में निवास करती हैं, जिसमे से पांच जनजातियां छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, ये है – **अबूझमाड़िया, कमार, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर और बैगा।**

अध्याय–2 भौतिक संस्कृति

बिंझवार जाति के लोगों की अधिकांश आबादी जंगली पहाड़ी क्षेत्र एवं मैदानी ग्रामीण क्षेत्र में ही समूह के रूप घनी आबादी में निवासरत है। बिंझवार जाति के लोग गांव के अन्य जाति के लोगों से साथ ही निवास करते है। जो गांव में अन्य जातियों के साथ एक स्थान पर समूह बनाकर ज्यादातर रहते है। अधिकांश गांवों में बिंझवार जाति के लोग अन्य जाति (गोंड, कंवर, उरांव, धनुहार, बैगा, यादव, साहू, कंवर, खैरवार, नाई धोबी, मानिकपुरी आदि) गांव में समूह में निवास करते हैं।

ग्राम एवं घरों की बनावट :-

बिंझवार जनजाति के लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते है। बिंझवार जनजाति का अलग से ग्राम नहीं होता। ये अन्य जातियों व जनजातियों के साथ ही ग्राम में निवास करते है। कुछ ग्राम में इस जनजाति का अलग से पारा ''मोहल्ला'' होता है। ग्राम की बनावट लगभग अन्य ग्रामों के समान ही होती है।

ग्राम आयताकार, गोलाकार या लम्बवत रूप में बसा होता है। गांव के बीच में बड़ा चबूतरा होता है गांव में बैठक, रामलीला, नाटक, नाच, पंडवानी आदि का आयोजन किया जाता है। गांव के बीच में गली होती है जो ज्यादा चौड़ी नहीं होती है। उसके किनारे मिट्टी के मकान कतारों में बने रहते है। इसके अलावा ग्रामों में अन्य छोटी छोटी गलियां भी होती है उस पर भी किनारे में मकान बने होते है। इनके मकान प्रायः मिट्टी के ही बने होते है। छत खपरैल व घास–फूस की बनी होती है। गांव के बाहर तालाब होता है जहां वे स्नान आदि करते है। वर्तमान में गांव के बाहर की ओर पाठशाला, ग्राम पंचायत भवन आदि भी होता है। इसके अलावा दूसरे किनारे पर बथान होता है जहा सुबह गांव की पशुओं को एकत्र कर रखते है बाद में 9–10 बजे उसे चराने जंगल ले जाते है। गांव के चारों ओर खेत और जंगल आदि पाये जाते है। कई गांवों में एक किनारे पर नदी नाला भी बहता है गांवो में पीपल, बरगद, नीम, जामुन, अमरूद, मुनगा आदि के पेड़ पाये जाते है। वनांचल क्षेत्र में निवासरत बिंझवार

जाति के लोग अपना घर लकड़ी, बाँस एवं घासफूस से झोपड़ी बनाकर रहते है।

बिंझवार जनजाति अन्य जातियों की तरह अपने घर का निर्माण स्वयं करते है। घर निर्माण के समय सर्वप्रथम चयनित स्थल पर घर निर्माण हेतु किसी षुभ दिन जैसे गुरूवार, रविवार, सोमवार आदि भूमि का पूजन परिवार का प्रमुख व्यक्ति करता है। घर बनाने के जगह में गढ्ढा खोदकर उसमें हल्दी, सुपाड़ी, चांवल एवं पैसा चढ़ाकर अपने आराध्य देव की पूजा कर घर का निर्माण कार्य शुरू करते है। परिवार के सदस्य संख्या आदि के आधार पर मकान बड़ा या छोटा होता है। 'नेव' खोदने के बाद मिट्टी में पैरा मिलाकर उसे पानी डालकर मिलाने के बाद उसे नीवं में भरते है। यह कार्य प्रातः 6 बजे से प्रारंभ कर 9 बजे तक पूरा किया जाता है जिससे दिन भर की धूप में गीली मिट्टी सूख सके। मकान बनाने का कार्य फागुन माह से वैषाख तक किया जाता है। मिट्टी बनाने का कार्य सायं काल 5 से 7 बजे के बीच किया जाता है रात भर बनी बनाई मिट्टी रखी रहती है। दूसरे दिन प्रातः उसे दीवाल के रूप में लगभग 1 फुट ऊंचा प्रतिदिन चढ़ाते जाते है।

जमीन से लगभग 3 हाथ उंचा होने पर खिड़की, आलमारी, सामान रखने हेतु दीवाल में छोटा गहरा स्थान बनाते है। चार हाथ उंचा दीवाल होने पर दरवाजे के स्थान के उपर भरवट लगाकर रिक्त दीवाल को जोड़ देते है। लगभग पांच हाथ उपर में आवष्यकता अनुसार 3 से 4 फुट गोलाई लकड़ी के मियाल लगाये जाते है। मियाल लगाने के बाद लगभग 2–3 हाथ मिट्टी चढ़ाकर मियाल में छेद बनाकर मलखामें सीधे लगाये जाते है। मलखाम दीवालों से अधिक उंचाई का होता है। इन मलखानों में उपरी सिरे पर बैसाकी लगाकर उसके उपर एक लम्बी लकड़ी की पटीया रखा जाता है। पटियां की गोलाई लगभग 2 फुट होती है। पटियां के दोनो किनारे से नीचे मकान के चारो कोने की ओर छोटा पटिया लगाया जाता है। फिर पटीये से एक एक फुट गोलाई की लम्बी कांड कील के सहारे से लगाया जाता है। कांड के उपर बांस की भदरी लगाकर उपर स्वंय के निर्मित खपरैल या धान के पुआल या खददर घास लगाकर मकान का ढ़ाचा पूरा किया जाता है। यदि मकान के आगे व पीछे की आरे परछी बनाना हो तो दीवाल में दोनों ओर लगभग 7 हाथ छोटी छोटी लकड़ी की

खुटगी लगाई जाती है। दरवाजे पर लकड़ी के बने हुए चौखट व कपाट लगाये जाते है जिस पर सकरी लगा होता है।

मकान में आकार के अनुसार इसमें रहने की व्यवस्था होती है मकान में सामने भाग में परछीनुमा भाग होता है। बीच के कमरे बड़े होते है उसमें ही अनाज रखने की कोठी, देवी–देवता का स्थान, कपड़ा लटकाने हेतु बांस या रस्सी बंधी होती है। मियान के ऊपर बांस या लकड़ी डालकर मचान बना लिया जाता है। यहां अनाज कृषि के औजार आदि भी रखते है। रसोई बनाने के लिये अलग कोई रसोई का कमरा नही होता। घर के पीछे के भाग में परछी में ही कोने में रसोई बनाया जाता है। पशुओं के लिये घर के बगल में लकड़ी से घेरकर ''कोठा'' बनया जाता है जहां जानवरों (पशुओं) को रखा जाता है। कोठा में बड़े पषु गाय, बैल, भैंस आदि बांधे जाते है। बकरी आदि को परछी में प्रायः रखते है जिनके घर में बड़े पशु न हों तो वे कोठे में बकरी बांधते है। कोठा के सामने अंदर खुले में ही मिट्टी या पत्थर का या लकड़ी का बड़ा सा डोगा (डोंगी) होता है जिसमें पशुओं को पानी पिलाया जाता है। घर के दीवालों को मिट्टी से छाबते है। तत्पश्चात गोबर या पीली मिट्टी लगाकर उस पर सफेद मिट्टी या चूना या पीली मिट्टी से पुताई करते है। फर्श को मिट्टी से छाबते है तथा उसे गोबर से लीपते है। घर के सामने आंगन होता है जो दीवारों से घिरा होता है। आंगन में तुलसी चौरा होता है जिसमें तुलसी का पौधा लगा होता है। घर के पीछे बाड़ी होता है जिसमें साग, सब्जी उगाते है।

घर की सजावट

घर के सामने दीवालों पर मिट्टी के फूल, मोर, तोता, हाथी, घोड़ा, हिरण देवी देवताओं का आकार मिट्टी से बनाते है। बाद में इन पर नीला या लाल रंग लगा दिया जाता है त्यौहारों के अवसर पर बच्चे घर के सामने दीवाल पर रंग से फूल बनाते है। घर के अंदर देवी देवताओं के कैलेण्डर तथा परिवार के फ्रेम किया हुआ फोटो लगाते है। त्यौहारों के अवसर जैसे नवाखाई, दीपावली आदि अवसरों में घर के दीवारों की पुताई चूने से या छुई, मिट्टी से की जाती है। इसी प्रकार कोई उत्सव, विवाह संस्कार, मृत्यु संस्कार आदि के समय भी घर की पुताई करते है।

मकान के बीच कोठी होती है जिसमें अनाज रखते है यह कमरों को बांटने का कार्य भी करता है सामने परछी पर बने कमरे में रसोई घर होता है। मुख्य कमरे में देवी देवताओं का स्थान व षयन कक्ष होता है। घर में धान कूटने की ढेकी, अनाज पीसने की जाता (चक्की) होता है। षयन कक्ष में खटिया रखा होता है जो स्वयं बना लेते है। कपड़े जो पहनने व ओढने बिछाने के काम आते है घर की मयार पर लम्बी रस्सी या बास बाधकर उसमें लटकाते है। रसोई घर में दो मुहां चूल्हा होता है जिस पर भोजन बनाते है। ठंड से बचने हेतु आग जलाने के लिए 'गोरसी' मिट्टी का बना हुआ होता है। नया मकान में नया चूल्हा करने के लिए सत्यनारायण की कथा कराते है। घर के पीछे परछी में या फिर दूसरे बाड़ी में पालतू जानवर बांधे जाते है। जिसे कोठा कहते है। वर्शा ऋतु में जानवरों के लिए सूखा पैरा भूसा रखने के लिए एक कमरा साथ में बनाते है। कोठा के बाहर ही जानवारों को पानी पिलाने के लिए पत्थर का कोटना या लकड़ी का कोठना रखा होता है।

घर की स्वच्छता व सफाई :-

इस जनजाति के लोग प्रतिदिन उठकर घर की स्त्रियां रसोई घर के चूल्हे से राख बाहर निकालती है। तत्पश्चात रसोई घर, कमरे, परछी, आंगन को झाड़ू लगाती है। गोबर व मिट्टी के घोल से चूल्हे व रसोई तथा परछी कमरे आदि को लीपती है। लीपने का यह कार्य प्रतिदिन न कर 5–7 दिनों में एक बार करते है। आंगन लगभग सप्ताह में एक बार लीपते है। प्रतिदिन कोठे से पशुओं का गोबर, मूत्र, आदि उठाकर घर के पीछे बाड़ी के किनारे पर डालते हैं और गोबर बीनकर छेने (कंडा) थापते है तथा बचा हुआ चारा आदि को बहार कर व घर की राख कचड़े आदि के साथ गांव के बाहर या घर के पीछे बाड़ी में बने 'घूरे' खाद बनाने का गड़ढ़ा में डालते है। तत्पष्चात कोठा में झाड़ू लगाते है। वर्षा के पहले इसे खाद के रूप में अपने खेतों में डालते है। घर के बाहर की गली को भी सुबह झाड़ू लगाते है। त्यौहारों के अवसर पर जैसे दीवाली, होली, छेरछेरा आदि के अवसर पर घर के दीवालों को पीली या सफेद मिट्टी या चूने से पुताई करते है।

व्यक्तिगत स्वच्छता एवं सफाई :-

बिंझवार जनजाति के लोग प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने हेतु तालाब, नदी या कुंए में जाते है। दांतों की सफाई हेतु बबूल, नीम, हर्रे आदि वृक्षों की लगभग 8–9 इंच लम्बी से 1/2 इंच चौड़ी डाली की दातौन करते है। जीभ की सफाई इस दातौन को बीच से चीरकर करते है। जीभ की सफाई के लिए बाजार से उपलब्ध स्टील से बनी जीभी का भी प्रयोग करते है। नहाने हेतु साबुन का उपयोग कम किया जाता है। शरीर का मैल साफ करने हेतु गोल पत्थर का प्रयोग करते है। वर्तमान समय में बहुत से बच्चे, युवक, युवतियां बाजार में उपलब्ध मंजन, पेस्ट और नहाने का साबुन आदि को उपयोग करने लगे है। शौंच हेतु लोग जंगल में या नाले, नदी, तालाबों आदि के किनारे जाते है। वर्तमान में घरों में भी शौचालयों का उपयोग होने लगा है।

इस जनजाति के लोग अन्य जनजातियों के जैसे कपड़े रोज धोते है पुरूषों के कपड़े 2–3 दिन में धोए जाते है। बच्चों के कपड़े 3–4 दिन के अंतराल में बाजार में उपलब्ध सोडा या कपड़े धोने के साबुन से धोते है। पुरूषों व बच्चों के बाल गावं में रहने वाला नाई काटता है। पुरूषों के दाढ़ी–मूंछ भी 3–4 दिन के अंतर से नाई बनाता है। नाई को इसके बदले में वर्ष में एक बार अनाज दिया जाता है। वर्तमान में कुछ लोग जो शिक्षित हो गये है अपनी दाढ़ी मूंछ स्वयं बनाते है। किन्तु सिर के बाल नाई से ही कटवाते है। इस जनजाति के लोग में प्रौढ़ व वृद्ध लोगो के सिर के बाल 1/2 से 1 इंच तथा लड़को के बाल लगभग 2 से 3 इंच होते है। स्त्रियों व लड़कियों के बाल नहीं कटाए जाते वे लम्बे बाल रखते है किन्तु कभी कभी छोटी लड़कियां के सर में जूं या घांव हो जाने क कारण सिर का मुण्डन भी करा दिया जाता है। बाल धोने के लिए स्त्री, पुरूष और बच्चे चिकनी मिट्टी या अरीठे का प्रयोग करते है वर्तमान समय में दुकान में मिलने वाले शैम्पू का भी उपयोग करने लगे है। बालों में नारियल, फल्ली या तिल आदि का तेल लगाकर कंघी करते है। स्त्रियां एक चोटी बनाकर उसे 'खोपा' बना लेती है जबकि लड़कियां एक या दो बेनी बनाकर लाल, पीला आदि रंग के 'फीता' रिबन बाधती है। जूं अधिक होने पर नीम तेल, मिट्टी तेल सिर पर डालकर

थोड़ा देर रखने के बाद सिर धोते है। कुछ लोग एक दूसरे के सिर से जू व लीख निकालते है। ककवा का उपयोग भी किया जाता है इस जनजाति में लड़कियों के कान व नाक बचपन में छेद लिये जाते है। कान–नांक पूर्व में घर के किसी सदस्य द्वारा ही छेद लिया जाता था परन्तु वर्तमान में सुनार लोग बाजार में या गांव में आकर बाली या मशीन के द्वारा नाक–कान छेदते है। कुछ पुरूषों को कान में बाली पहनते भी देखा गया। नाखून ब्लेड से या दांतों से स्वयं काट लेते है। वृद्ध व प्रौढ़ पुरूष नाखून नाई से कटवाते है।

साज श्रृंगार -

स्नान करने के बाद स्त्री व पुरूष अपने शरीर में नारियल या फल्ली का तेल लगाते है। स्त्रियां व बच्चे आखों में काजल लगाते है जो प्रायः घर में बनाया हुआ होता है जो मूंगफली के तेल का दीपक जलाकर उसका धुंआ कांसे की थाली को उल्टा रखकर एकत्र करते है फिर इसे घी में गीला कर लेते है। आजकल बहुत कम लोग बनाया हुआ काजल लगाते है बाजार में उपलब्ध काजल का प्रयोग करने लग गए है। विवाहित स्त्रियां मांग में सिन्दुर या कुमकुम भरती है जिसे सुहाग का चिन्ह माना जाता है। विवाहित स्त्रियां और लड़किया बाजार से लाई हुई टिकली लगाती है। सुहागिन स्त्रियां व लड़कियां कांच की रंगीन चुडियां दोनों कलाईयों पर पहनती है। त्यौहार, विवाह आदि अवसरों पर स्त्रियां व लड़कियां मेहदी लगाती है इसके अलावा तीज त्यौहार के समय पैरों में महुर लगाती है।

आभूषण :-

अन्य जनजाति की तरह इस जनजाति की स्त्रियां और लड़कियां भी गहनों के काफी षौकिन होती है वे सोना, चांदी, गिलट, पीतल कांच, प्लास्टिक व रेषम के गहने पहनती है जो निम्नलिखित है :–

आभूषण व उपयोग :-

क्रं.	आभूषण का नाम	धातु	स्थान (पहनने का)	उपयोगकर्ता
1	चुटकी	चांदी/डालडा चांदी	पैर की उंगली	स्त्री (विवाहित)
2	बिछिया	चांदी/डालडा चांदी	पैर की उंगली	स्त्री (विवाहित)
3	सांटी	चांदी/डालडा चांदी	पैर	स्त्री व लड़कियां
4	लच्छा	चांदी/डालडा चांदी	पैर	स्त्री व लड़कियां
5	पेंजन	चांदी/डालडा चांदी	पैर	स्त्री व लड़कियां
6	तोड़ा	पीतल	पैर	स्त्री व लड़कियां
7	करधन	चांदी/डालडा चांदी	कमर	स्त्री, लड़कियां, पुरूष व बच्चे
8	ऐंठी	चांदी/डालडा चांदी	हाथ की कलाई	स्त्रियां
9	चूड़ी	कांच/प्लास्टिक, रबर	हाथ की कलाई	स्त्री व लड़कियां
10	पटा	चांदी/डालडा चांदी	हाथ की कलाई	स्त्रियां/विधवा स्त्रियां
11	ढरकअवा	चांदी/डालडा चांदी	हाथ की कलाई	पुरूष, बच्चे
12	वहूंची	चांदी/डालडा चांदी	बांह में	स्त्री व लड़कियां
13	ककना	चांदी/डालडा चांदी	बांह में	स्त्री व लड़कियां
14	सूता	चांदी/डालडा चांदी	गला	स्त्री व लड़कियां
15	रूपिया	चांदी/डालडा चांदी	गला	स्त्री व लड़कियां
16	चैन माला	चांदी/डालडा चांदी	गला	स्त्री व लड़कियां
17	मोती माला	कांच	गला	स्त्री व लड़कियां

18	कारीपोत	कांच	गला	स्त्रियां
19	माला	नीला कांच और चांदी / डालडा चांदी	गला	स्त्रियां
20	ताबीज	चांदी / डालडा चांदी	गला	स्त्रियां, पुरूष व बच्चे
21	मुंगा माला	कांच का मूंगा	गला	स्त्री व लड़कियां
22	रिवनवा	सोना / चांदी / पीतल पालीस	कान	स्त्री व लड़कियां
23	कर्णफूल	सोना, चांदी, पीतल	कान	स्त्री व लड़कियां
24	झुमका	सोना, चांदी, पीतल	कान	स्त्री व लड़कियां
25	बाला	चांदी / पीतल	कान	लड़कियां
26	तरकी	चांदी / डालडा चांदी	कान	स्त्रियां
27	ढ़ार	चांदी / डालडा चांदी	कान	स्त्रियां
28	बारी	चांदी / डालडा चांदी	कान	स्त्रियां
29	खोचनी	चांदी / डालडा चांदी	बालों में	स्त्री व लड़कियां
30	क्लिच	लोहे	बालों में	स्त्री व लड़कियां

उपरोक्त आभूषण स्थानीय बाजार, सुनारों व मनिहारी वाले के पास से खरीदते है। इनका वजन अनुसार कीमत होता है।

गोदना :-

इस जनजाति में गोदना गुदवाने की प्रथा महिलाओं में अधिक प्रचलित है। स्त्रियां इसे स्थाई गहना मानती है। जो मृत्यु के पश्चात भी शरीर के साथ रहता है। अन्य आभूशण तो मृत्यु के बाद शरीर से अलग कर दिया जाता है किन्तु गोदना को अलग नहीं कर सकते। गोदना सर्वप्रथम 6–8 वर्ष के उम्र की लड़कियों के मस्तक, नाक के पास तथा ठुडी व हाथ में हथेली के उपरी भाग में तीन बिन्दु लगाये जाते है। फिर विवाह के उम्र में या गौना से पहले दोनों पांवों में अगुंठे उंगलियां के उपर पैर से

घुटने के उपर, हाथों में कलाई, बाजू आदि में गुदवाते है। गोदना गोदने का कार्य गांव में या बाजार में गोदना गोदने वाली जाति की स्त्रियां करती है। गोदना गुदाने में दर्द होता है किन्तु स्थाई आभूषण के शौक के कारण इन्हे दर्द सहने की ताकत मिलती है।

शरद त्रतु में देवरनीन या गुदियारिन आती है तो सुई के द्वारा गोदने का मास शरीर के अंदर प्रवेश करा देती है। इन्हें प्रति गोदने के 1 से 5 रूपये के हिसाब से दिया जाता है। बडी आकृतियों का 5 रू. तथा छोटे छोटे फूलों का 2 रू. होता है। पूरे षरीर में गोदना कराने का 15 से 25 रू. खर्च आ जाता है। आकृतियों में त्रिभुज, फूल, पक्षी, हिरण, चौक, नाम आदि गोदवाते है। पुरूष भी अपने कलाई व कोहनी के बीच नाम या बजरंगबली, षिव के चित्र की आकृति बनावाते है।

वस्त्र विन्यास एवं कपड़े :-

बिंझवार जनजाति के वस्त्र विन्यास गांवों में रहने वाले अन्य जनजातियों की भांति ही होता है। उम्र व लिंग अनुसार इनके वस्त्र निम्मलिखित हैः—

पुरुषों के वस्त्र :-

अ. बच्चों के वस्त्र :- पहले छोटे बच्चे को छठी के दिन एक झाबला पहनाया जाता था जो उपरी भाग का कपड़ा है। फिर लगभग 1 वर्ष की उम्र तक सभी को खुला कुर्ता पहनाया जाता था। 3 से 4 वर्ष के बाद ही लंगोट, चड्डी आदि पहनाते थे। स्कूल जाते समय हाफ पेन्ट व कुरता पहनाते थे। कुछ लोग पटुका (धोती का छोटा रूप) व बंडी करीब 8 से 10 वर्श बाद पहनने लगते थे। वर्तमान में छटी के दिन से ही चड्डी व कुरता पहनाने लगे है।

ब. वयस्क :- वयस्क पुरूश धोती, पटुका नीचे चड्डी पहनते है। तथा उपर बंडी, सेन्डो, सलुका, कमीज आदि पहनते है। जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हे वे कुर्ता, कमीज, बंगाली व धोती पहनते है। नये उम्र के लड़के पेन्ट, शर्ट, पायजामा, अण्डरवीयर, बनियान, लुंगी, टॉवेल का उपयोग करते है। पुराने लोग गमछा या पटुका का उपयोग नहाते समय, पहनने हेतु तथा कार्य के समय सिर में बांधने हेतु करते है।

स. वृद्ध :- वृद्ध पुरूष प्रायः कार्य के साथ गंधा व सलुका या बंडी पहनते है। बाहर जाते समय धोती व सलुका / सिर पर कभी कभी पागा भी बांधते है।

1. स्त्रियां :-

अ. लड़कियां :- जन्म के बाद लड़कियों के एक साल तक झाबला पहनाया जाता है फिर फ्राक पहनाते है। पहले पोलका पहनाते थे। नीचे 2 से 3 वर्श तक कुछ नहीं पहनाया जाता फिर चड़्डी पहनाते है। लगभग 8 से 9 वर्ष के उम्र के होने पर लुगडी 'छोटी साडी' पहनने लगते है। 12 से 13 वर्ष होने पर लुगड़ा (पेटीकोट) भी पहनते है। पढ़ने जाने वाली लडकियां अब स्कर्ट व्लाउज तथा सलवार कुर्ता भी पहनने लगी है।

ब. वयस्क स्त्रियां :- वयस्क स्त्रियां लुगड़ा (साड़ी) व पोलका पहनती है। लुगड़ा प्रायः 16 हाथ का होता है। अब कुछ स्त्रियां 12 हाथ की लुगड़ा लंहगा के साथ पहनती है। सम्पन्न व पढ़ी लिखी स्त्रियां ब्रेसियर का उपयोग करती है। किन्तु वयस्क स्त्रियां पेन्टी का उपयोग नहीं करते।

स. वृद्धा :- वृद्धा स्त्रियां लुगड़ा 16 हाथ व पोलका पहनती है। कई वृद्धा सिर्फ लुगड़ा ही पहनती है वक्षस्थल में लुगड़ा को ही लपेटती है। पोलका नहीं पहनती।

सोने के लिए खाट या चटाई में गोदडी (कथरी) या दरी बिछाते है। कुछ लोग चादर भी बिछाते है। ओढने के लिए चद्दर (चादर) आदि उपयोग करते है। सम्पन्न लोगों के घर गद्दा व रजाई भी मिलता है जबकि अत्यन्त निर्धन लोग जूट को भी ओढ़ने बिछाने में उपयोग करते है।

भोजन बनाने के बर्तन :-

भोजन बनाने के लिए मिट्टी, एल्युमिनियम, लोहे व पीतल के बर्तन का उपयोग करते है खाने आदि हेतु कांसे, एल्युमिनियम स्टील आदि के पात्र भी उपयोग करते है। इनके बर्तनों के नाम निर्मित वस्तु व उपयोग निम्नलिखित है :–

क्रं.	बर्तन का नाम	निर्मित वस्तु	उपयोग
1	हडिया	मिट्टी	भात (चावल) बनाने हेतु
2	कनोजी	मिट्टी	साग (सब्जी) बनानो हेतु
3	परई	मिट्टी	ढक्कन के रूप में
4	तावा	मिट्टी / लोहा	रोटी बनाने हेतु
5	घघरी / करसी	मिट्टी / काला, लाल रंग	पानी भरने
6	कुड़ेरा	मिट्टी	पानी रखने, चावल का माड निकालने के लिए
7	दोहना दूहनी	मिट्टी	दूध रखने
8	कुड़ाही	लोहा / एल्युमिनियम	सब्जी बनाने
9	भगोना	पीतल / एल्युमिनियम	चावल बनाने, पानी रखने
10	गंजी	पीतल / एल्युमिनियम	पानी भरने, चावल बनाने
11	बटलोट्टी	पीतल	चावल बनाने
12	थाली	कांसा / पीतल / एल्युमिनियम	भोजन करने
13	गिलास	कांसा / पीतल / एल्युमिनियम	पानी पीने हेतु
14	लोटा	कांसा / पीतल / एल्युमिनियम	पानी पीने हेतु
15	करछुल	लोहा / एल्युमिनियम	भोजन बनाने
16	धधरा	पीतल	पानी भरने
17	बटकी	कांसा / एल्युमिनियम	बासी रखने हेतु
18	कप शासर	चीनी मिट्टी	चाय पीने हेतु
19	कलई	एल्युमिनियम	चाय बनाने

खेती शिकार एवं मछली पकड़ने के औजार व उपकरण :-

खेती के औजार का नाम व कार्य

क्रं.	नाम	निर्मित वस्तु	उपयोग
1	नागर (हल)	लकड़ी, लोहा	खेतों की जुताई
2	कोपर	लकड़ी	खेतों को समतल करने
3	दतारी	लकड़ी	बीज बोनें के बाद उपर चलाने हेतु
4	जुडा	लकड़ी	नागर, कोपर, दतारी में बैल जोतने हेतु
5	नहाना जोता	चमड़ा रस्सी	हल व बैंलों को जुडों में बांधने
6	रापा फावड़ा	लोहा, लकड़ी	मिट्टी उलटने, खाद फैलाने
7	कुदाली	लोहा, लकड़ी	मिट्टी खोदने
8	गैती	लोहा, लकड़ी	जमीन की गहरी खुदाई
9	टंगिया	लोहा, लकड़ी	लकड़ी कटाई
10	बसुला	लोहा, लकड़ी	हल कोपर बनाने के लिए
11	पटासी	लोहा	लकड़ी में छेद करने के लिए
12	साबल	लोहा	खुदाई
13	कलारी	लोहा, लकड़ी	धान मिजाई में
14	ढ़ोरी	रस्सी	बैंलों को जोड़ने के लिए

शिकार एवं मछली पकड़ने के उपकरण

क्रं.	नाम	निर्मित वस्तु	उपयोग
1	फंदा जाल	रस्सी	पंक्षी व छोटे जानवर (खरगोश) पकड़ने हेतु
2	धनुष	लकड़ी, रस्सी	पंक्षी व छोटे जानवर (खरगोश) पकड़ने हेतु
3	तीर	लोहा, लकड़ी	जानवरों के शिकार व आत्मरक्षा
4	फरसा	लोहा, लकड़ी	शिकार व आत्मरक्षा
5	गुलेल	लकड़ी, रबर	शिकार व आत्मरक्षा
6	जाल	नायलोन धागा	मछली पकड़ने
7	चोरिया	बांस	मछली पकड़ने
8	गरी	बांस	मछली पकड़ने

घर में उपयोगी अन्य वस्तुएं :-

1. **ढेकी** :- लकड़ी का बना हुआ धान कूटने के उपयोग करते है।
2. **मूसल** :- लकड़ी का बना नीचे लोहा लगा होता है घान कूटने में उपयोग करते है।
3. **जाता** :- पत्थर की चक्की अनाज पीसने व दाल दलने (पीसने) के लिए उपयोग करते है।
4. **खुमरी** :- बांस एवं पत्ते का बना वर्षा से बचने के लिए उपयोग करते है।
5. **सिल-बट्टा** :- पत्थर का जिसमें नमक मिर्च हल्दी आदि पीसने के लिए करते है।
6. **टोकरी** :- बांस का बना, धान अनाज आदि वस्तु रखने में उपयोग करते है।
7. **सूपा** :- बांस से निर्मित, चावल, गेंहू तथा अन्य अनाज साफ करने के उपयोग हेतु।
8. **चलनी** :- टीन का बना छिद्रयुक्त, अनाज साफ करने के लिए।
9. **बाहरी (झाड़ू)** :- घास, बांस आदि का बना घर का सफाई के लिए।

वाद्य यंत्र :-

बिंझवार जनजाति के वाद्य यंत्र इस प्रकार है :- ढोल, मांदर, नागाड़ा, डफड़ा, तम्बूरा, तबला, मंजीरा, हारमोनियम, खंजेरी आदि

परिवहन व यात्रा के साधन :-

पहले पैदल व बैलगाड़ी से यात्रा करते थे। अनाज आदि का परिवहन बैलगाड़ी से ही करते थे। यात्रा हेतु अब सायकल आदि का उपयोग करते है। शासकीय या प्राइवेट बसों में भी अब यात्रा करने लगे है। वर्तमान में आर्थिक रूप से संक्षम लोग मोटर सायकल का भी उपयोग करने लगे है।

भोजन :-

बिंझवार जनजाति का मुख्य भोजन भात (चावल) है। इसके साथ दाल व सब्जी का भी उपयोग करते है। रात्रि के बचे हुए भात में चावल का मांड या पानी डालकर हंडिया में रखते है। इसे बासी कहा जाता है। सुबह एवं दोपहर को बासी एंव साग (सब्जी) खाते है। कभी कभी सब्जी ना होने पर नमक मिर्च की चटनी व बासी खाते है। दोपहर के भात में पानी डालकर रख कर संध्या में खाते है या रात्रि में खाते है उसे बोरे कहा जाता हैं। चावल के आटे की रोटी चीला, खपूरी व अंगाकर बनाकर खाते है।

त्यौहार जैसे दीवाली, होली, अक्ती पोला, हरेली, दशहरा व विवाह आदि उत्सवों पर खीर, चौसेला ठेठरी खुरमी, सोहारी (पूड़ी), अरिसा, भजिया(बरा), लाडु (लड्डू) आदि बनाते है।

सब्जियों में मौसम अनुसार कुम्हडा, तरोई, लौकी, मूली, बैगन, गोभी, आलू, टमाटर सेम, करेला, लाल भाजी, चौलाई भाजी, चेंच भाजी, अमारी भाजी आदि खाते है। मिर्च का उपयोग अधिक करते है। किन्तु तेल का उपयोग कम करते है। तेल में गुल्ली (टोरी) तेल, फल्ली तेल, अलसी तेल आदि का उपयोग करते है। दालों में तुअर (अरहर), मूंग, उड़द, लाखड़ी, बटरा, चना, मसूर की दाल खाते है। भोजन प्रायः सुबह, दोपहर व रात्रि में करते है।

मादक वस्तुओं का उपयोग :-

बिंझवार जनजाति के लोग त्यौहारों, उत्सवों व संस्कारों में महुए का बना शराब पीते है। जिसे वे स्वयं घर में ही बना लेते है। देवी–देवताओं के पूजा के समय भी शराब का उपयोग करते है। गांजा का उपयोग बहुत कम लोग जो वृद्ध हो गये है करते है। तम्बाखू खरीद कर तेन्दू पत्ते से बीड़ी बनाकर अधिकांश पुरूष पीते है। कुछ व्यक्ति तम्बाखू चूना के साथ भी खाते है इसे (माखूर) कहा जाता है। इसके अलावा पान खाना भी पसंद करते है कुछ लोग गुडाखू का उपयोग भी करते है। वर्तमान में मादक वस्तुओ के सेवन में पहले की तुलना में कमी आई है।

अध्याय–3 आर्थिक–जीवन

बिंझवार जनजाति में अचल एवं चल सम्पत्ति की अवधारणाएं होती है। अचल सम्पत्ति के अंतर्गत भूमि, मकान आदि आते है जबकि चल सम्पत्ति के अंतर्गत पषु, गहना, रूपया पैसा, कपडा, घरेलू वस्तुएं आदि आते है। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सम्पत्ति में अपना ज्ञान कला जादू टोना आदि को मानते है। व्यक्तिगत सम्पत्ति को मूल्य रूपयों से नहीं आका जा सकता तथा इसका बटवारा भी नहीं किया जाता बल्कि सीखा जाता है। चल एवं अचल सम्पत्ति का उत्तराधिकार पिता से पुत्रों को मिलता है। लड़कियों को कोई हिस्सा नहीं दिया जाता है। भूमि में सबसे बड़े भाई को कुछ अतिरिक्त हिस्सा मिलता है जिसे जेठासी कहा जाता है। पिता के बाद परिवार में पिता की भूमिका निभाने के कारण यह अतिरिक्त हिस्सा बड़े भाई को दिया जाता है। सम्पत्ति का बटवारा ग्राम के व जाति के व्यक्तियों के समक्ष होता है। इसे पंच कहा जाता है यदि माता पिता जीवित हो तो उनके लिए अलग हिस्सा छोड़ा जाता है यदि वे कार्य करने योग्य हो तो अलग रहते है बाद में किसी लड़के के साथ अपने हिस्से के जमीन के साथ रहने लगते है। माता–पिता के मृत्यु पष्चात यह सम्पत्ति भाईयों में बांटी जाती है यदि कुछ बच्चे अविवाहित हो तो बटवारा के समय उसके विवाह का खर्च निकाला जाता है।

जिस व्यक्ति का लड़का न हो तो उसकी सम्पत्ति उसके लड़कियों में बराबर बांटी जाती है यदि एक ही पुत्री हो तो या एक से अधिक पुत्री होने पर पुत्री के लिए घरजमाई लाते है। घरजमाई वाली पुत्री को जो माता–पिता की देखरेख करते है को कुछ अधिक भूमि मिलती 0है। निःसंतान दम्पत्ति अपने बड़े भाई या छोटे भाई के पुत्र या अपनी बहन का लड़का या फिर अपनी पत्नि के भाई के लड़के को 'गोद' 'दत्तक' लेता है।

आर्थिक-संरचना

बिंझवार जनजाति की आर्थिक संरचना मुख्यतः कृषि पर आधारित है। इसके अतिरिक्त भी कई व्यक्ति अन्य कार्य भी करते है। इसके मुख्य व्यवसाय निम्नलिखित है :–

1 कृषि
2 कृषि मजदूरी
3 वनोपज एकत्र करना
4 पशुपालन
5 जंगल मजदूरी
6 अन्य मजदूरी
7 नौकरी
8 शिकार
9 मछली पकड़ना

कृषि :-

इस क्षेत्र की भूमि मुख्यतः मटासी एवं कन्हार है। कुछ क्षेत्र पर रेतेली दोमपट जमीन भी है। इनकी मुख्य फसल धान है इसके अतिरिक्त कोदो, अरहर, उडद, मूंग, चना, तिवरा, अलसी आदि भी बोते है। कुछ कृशक गेहूं भी बोते है। सिचांई हेतु इस क्षेत्र में मुख्यतः वर्षा पर निर्भर रहते है, कुछ स्थानों में बांध बन जाने से अब कुछ जमीन में नहरों द्वारा सिंचाई होने लगी है।

धान की खेती :-

इस जनजाति के लोग फाल्गुन माह में खेतों में घर के गोबर व कूडें करकट से बनाया हुआ खाद डालते है। यदि पूर्व माघ से चैत तक पानी गिरती है तो जमीन की एक बार जुताई कर दी जाती है। वर्शा होने पर धान के खेत में खाद फैलाकर तथा बीज छिड़क कर जुताई करते है। इसे तबर बतर की बोनी कहते है यदि वर्षा से पहले जेठ के अंतिम सप्ताह वर्शा से पूर्व बीज छिड़क कर हल चलाते है तो उसे खर्री बोनी कहते है। खेतों को मताकर उसमें धान के अंकुरित बीज डालते है। उसे लेई पद्धति तथा खेत के एक कोने में थरहा तैयार कर श्रावण में लगाया जाता है उसे रोपा पद्धति कहते है। लेई, खर्री व बतर की बोनी में अंतिम श्रावण या भादों में एक बार पुनः हल चलाकर बियासी करते है। तत्पश्चात खेतों में निदाई किया जाता है निदाई में स्त्रियां बदौर मछरिया नामक घास को निकालती है एवं उसे खेतों में सड़ने हेतु उल्टा गड़ाती है। धान की खेतों में पानी भरकर रखा जाता है क्वांर माह में पुनः एक बार निदाई कुटाई की जाती है करगा निकाला जाता है कई कृशक इससे पूर्व यूरिया या डी.ए.पी. खाद भी डालने लगे है।

कार्तिक मास में कोठार को छिलकर उसे गोबर से लीप कर तैयार करते है। फसल पकने के बाद फसल की कटाई करते है। कटाई प्रारंभ करने के पहले दिन खेतों में नारियल, धूप, आगरबत्ती आदि चढ़ाकर कटाई प्रारंभ किया जाता है। धान काटकर दो–तीन दिन सूखने हेतु खेतों में छोड़कर फिर उसे पैरा डोरी (धान के पुआल की रस्सी) में बांधकर सिर पर या बैलागाड़ी में रखकर कोठार में लाते है और खरही रचते है अगघन व पूस में धान को निकाल कर पौधे सहित कोठार में फैलाते है फिर मिजाई करते है। तत्पश्चात पैरा निकालकर धान को इकट्ठा करते है फिर दिन में उसे सूपा द्वारा उड़ाते है। धान का पैरासी पैरासी ''बोदरा'' (कचड़ा, घास, फूस) हवा में उड़ जाता है। साफ धान नीचे एकत्र होता है उसे घर जाकर कोठी में भर देते है।

कोदो की खेती :-

माघ फाल्गुन की वर्षा में जमीन को एक बार जुताई किया जाता है। फिर आशाढ़ में एक बार जुताई कर बीज डालकर पुनः एक बार जुताई करते है। भादों में घास निकालने का कार्य स्त्रियां करती है। कार्तिक अगहन में फसल पकने पर कटाई कर कोठार में लाकर ''खरही'' बनाते है फिर धान की तरह मिजाई करते है।

अरहर :-

अरहर की खेती कोदो के साथ किया जाता है। कोदो की कटाई के बाद अरहर में फूल फल आते है। पकने पर काटकर लकड़ी से पीटकर दाना निकालते है फिर सूपे से उड़ा कर भूरा अलग करते है।

चना-मसूर :-

घान काटने पर गीली जमीन में दो बार हल चलाकर चना व मसूर बोते है। फाल्गुन माह के अंत में कटाई करते है। फिर दौरी से मिजने के बाद सूपे से उड़ाकर साफ करते है।

अलसी-तिवरा :-

क्वार में जब धान के खेतों में पानी कम हो जाता है तो उसे छिड़क कर बोते है। धान काटते समय पौधा नीचे रहता है पकने पर मिजाई करते है।

गेहूँ :-

भर्री जमीन को क्वार में 2–3 बार जुताई किया जाता है फिर कार्तिक के प्रारंभ में एक बार जुताई कर देशी हल से गेहूँ बोया जाता है। धान के खेतों में फसल काटने के तुरंत बाद दो बार जुताई कर हल द्वारा गेहूँ बोते है। फसल फाल्गुन में पक जाती है। उसे काटकर कोठार में लाकर मिजाई करते है तथा धान की तरह उड़ा कर गेहूँ के दाने घर लाते है।

सब्जी :-

सभी बिंझवार परिवार अपने घर के बाड़ी में लौकी, कुम्हड़ा, रखिया, तरोई, भिण्ड़ी, बैंगन, टमाटर, मिर्च, ग्वारफल्ली, सेम आदि बोते हैं। तथा उसका उपयोग सब्जी के रूप में करते है। कुछ परिवारो के आंगन में या बाड़ी में ''मुनगा'' का पेड़ रहता है जिसकी फल से सब्जी बनाते है।

कृषि मजदूरी व अन्य मजदूरी :-

जिस परिवार में खेती की जमीन बहुत कम होती है या भूमिहीन होते है वे गांव में अन्य व्यक्ति जिसके पास अधिक भूमि है उनके यहा कृषि मजदूरी करते है। कृशि मजदूरी सिंचाई हेतु इस क्षेत्र में मुख्यतः वर्शा पर निर्भर रहते है, कुछ स्थानों में बांध बन जाने से अब कुछ जमीन में नहरों द्वारा सिचांई होने लगी है। इसके अलावा मकान बनाने के लिए स्त्रियों व पुरूषों को मजदूरी पर बुलाया जाता है। पुरूषों की मजदूरी स्त्रियों की अपेक्षा कृषि मकान बनाने आदि में अधिक होती है। जंगल विभाग द्वारा लकड़ी काटने नर्सरी में पौधे लगाने पी.डब्लू.डी. विभाग द्वारा रोड़, बांध बनाने आदि में भी मजदूरी करने जाते है। इसके अतिरिक्त कुछ परिवार के व्यक्ति सरकारी नौकरी व प्राइवेट नौकरी भी करते है।

जंगली एवं उपज संग्रह :-

बिंझवार जनजाति गांव में रहने वाले अन्य जनजातियों के साथ जंगल से तेन्दू पत्ता तोडते है। हर्रा बीनते है तथा महुआ भी एकत्र करते है इसे ठेकेदारों को बेच दिया जाता है। तेन्दू पत्ते को षासकीय फंड में बेचते है।

शिकार एवं मछली :-

बिंझवार जनजाति पहले गोड, कंवर आदि के साथ मिलकर हिरण, बारहसिंगा, जंगली सुअर, खरगोश आदि का शिकार करते है किन्तु अब शासन की ओर से प्रतिबंध होने पर शिकार नहीं करते।

वर्षा ऋतु में जब नदी नाले में पानी बहने लगता है उस समय मछलियों का भी षिकार करते है। इसके अतिरिक्त केकड़ा, कछुआ, घोंघा आदि को भी भूनकर खा जाते है। मछली पकड़ने का कार्य पुरूष तथा स्त्री दोनो करते है।

पशुपालन :-

बिंझवार जनजाति गाय बैल, भैसा भैसी, बकरी आदि पालते है। मवेषी पषुओं को रखने का स्थान कोठा कहलाता है। जहां लकड़ी के खूंटे में बांधे जाते है। इन पषुओ को रस्सी से बांधते है। गाय बैल भैसा बकरी आदि देषी नस्ल के होते है। पषुओं को धान का पैरा खिलाते है।

बैल, भैसा आदि से खेती करते है। बकरी बकरा देवी देवताओं में बलि चढ़ाने, दूध एवं मांस हेतु पाले जाते है। इसके अतिरिक्त बिंझवार जनजाति के लोग मुर्गी, मुर्गा भी पालते है। इसे खाने के अलावा बाजार में बेचा भी जाता है।

आर्थिक कार्यो का विवरण :-

माह अनुसार कृषि कार्य का विवरण

माहवार	कृषि	वानिकी	अन्य
जनवरी	—	लकड़ी एकत्र करना	मजदूरी
फरवरी	—	लकड़ी एकत्र करना, महुआ संग्रह,	मजदूरी

मार्च	–	महुआ संग्रह, तेन्दु पत्ता संग्रह	मजदूरी
अप्रैल	कृषि भूमि में खाद डालना	तेन्दु पत्ता संग्रह	मजदूरी
मई	खेती जमीन को व्यवथित करना।	तेन्दु पत्ता संग्रह	खपरा निर्माण
जून	धान, कोदो, तिल, अरहर आदि बोते है	–	मजदूरी
जुलाई	धान के खेती में बियासी करते है	मशरूम एकत्र करना	घर मरम्मत
अगस्त	खेत की निदाई का कार्य	–	परहा लगाना
सितम्बर	चारा इकट्ठा करना (घास निकालना)	–	मजदूरी
अक्टूबर	धान की कटाई	–	मजदूरी
नवम्बर	अलसी, तिवरा बोआई का कार्य	–	मजदूरी
दिसम्बर	कटे धान की मिजाई का कार्य करते है	लकड़ी एकत्र करना	मजदूरी

बिंझवारों की दिनचर्या:-

बिंझवारो की दिनचर्या निम्नलिखित है।

पुरुष :-

पुरूष सुबह 5 बजे उठकर पशुओं को कोठे से छोड़ते है, गौठान में मिलाते है। पशुओं के लिए चारा पानी की व्यवस्था करने के बाद वह खेत को निकल जाते है। खेत में काम करने के बाद वही से नदी या तालाब आदि में स्नान करके घर आते है। खाना खाने के बाद दोपहर को आराम करते है और फिर खेत की ओर काम करने निकल जाते है उसके बाद घर के लिए बाजार या खेत से सब्जी भाजी आदि लेते हुए आते है। घर के बड़े बच्चे और महिलायें भी खेती में पुरूषों की मदद करते है।

महिलाएं :-

इन जनजाति की महिलाएं भी अन्य जनजाति के महिलाओं की तरह सुबह 5 बजे उठकर घर आंगन की सफाई व लिपाई करती है, घर के आंगन को गोबर से लिपाई करती है। घर में पीने का पानी भरने के बाद बच्चों को नहलाती है या अपने साथ नदी तालाब आदि में स्नान कराके लाती है। खाना बनाने के बाद बच्चों को खाना खिलाकर वह भी खेत पर काम करने जाती है या मजदूरी करने जाती है। संध्या आकर खाना बनाकर भोजन कराती है।

बिंझवार जनजाति की वर्ष 2014–15 में बिलासपुर संभाग में कुल 192 परिवारों का सर्वेक्षण किया गया है जो नीचे प्रस्तुत किय गये सारणियों में स्पष्ट किया जा रहा है :–

तालिका - 01

सर्वेक्षित परिवारों में लिंग अनुसार जनसंख्या का वर्गीकरण 2014

क.	विवरण	कुल संख्या	प्रतिशत	प्रति परिवार संख्या
1	पुरूष	493	53.41	02.57
2	स्त्री	430	46.59	02.24
	योग	**923**	**100.00**	**04.81**
कुल सर्वेक्षित परिवार – **192**				

उपरोक्त तालिका के अनुसार यह स्पष्ट है कि सर्वेक्षित 192 परिवारों में पुरूषों की संख्या स्त्रियों से अधिक हैं। कुल सर्वेक्षित 192 परिवारों में से पुरूषों की संख्या 493 अर्थात (53.41 प्रतिशत) तथा महिलाओं की संख्या 430 (46.59 प्रतिशत) है इसी के आधार पर औसत प्रति परिवार संख्या के अनुसार पुरूषों की संख्या 02.57 तथा महिलाओ की संख्या 02.24 है।

तालिका-2

वैवाहिक स्थिति जनसंख्या का वर्गीकरण

क्रं.	विवरण	पुरूष		स्त्री		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	विवाहित	315	63.89	311	72.33	626	67.82
2	अविवाहित	178	36.11	119	27.67	297	32.18
	योग	**493**	**100.00**	**430**	**100.00**	**923**	**100.00**
कुल सर्वेक्षित परिवार – **192**							

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि कुल सर्वेक्षित बिंझवार परिवारों में से 315 (63.89 प्रतिषत) पुरूष तथा 311 (72.33 प्रतिशत) महिलाएं विवाहित है जिनकी कुल संख्या 626 है उसी प्रकार 178 (36.11 प्रतिशत) पुरूष तथा 119 (27.67 प्रतिशत) महिलाएं अविवाहित है जिनकी कुल संख्या 297 है इस तालिका से स्पष्ट है कि कुल जनसंख्या 923 में से 67.82 प्रतिशत विवाहित है तथा 32.18 प्रतिशत अविवाहित है।

तालिका-3

वैवाहिक की स्थिति

क्र.	विवरण	संख्या			प्रतिशत		
		पुरूष	स्त्री	योग	पुरूष	स्त्री	योग
1.	नाबालिग विवाह	191	115	306	60.63	36.98	48.88
2	बालिग विवाह	124	196	320	39.37	63.02	51.12
	योग	**315**	**311**	**626**	**100.00**	**100.00**	**100.00**
कुल सर्वेक्षित परिवार – **192**							

उपरोक्त तालिका के अनुसार सर्वेक्षित बिंझवार परिवारों में वैवाहिकों की स्थिति में 191 (60.63 प्रतिशत) पुरूष तथा 115 (36.98 प्रतिशत) महिलाएं ऐसे है जिनका विवाह कम उम्र अर्थात नाबालिग उम्र में हुआ है उसी प्रकार 124 (39.37 प्रतिशत) पुरूष तथा 196 (63.02 प्रतिशत) महिलाएं जिनका विवाह सामान्य तय उम्र सीमा में हुआ है। कुल विवाह की गणना देखे तो सर्वेक्षित बिंझवार के 192 परिवारो में कुल 626 व्यक्तियों का विवाह हुआ है जिसमें जिसमें 306 (48.88 प्रतिशत) नाबालिग विवाह एवं 320 (51.12 प्रतिशत) बालिग विवाह हुए है।

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि स्त्रियों की अपेक्षा पुरूशों में नाबालिग विवाह का प्रतिशत अधिक है।

तालिका-4

सर्वेक्षित परिवारों में वैवाहिक दूरी की स्थिति

दूरी (कि.मी. में)	विवाहित			प्रतिशत		
	पुरूष	स्त्री	योग	पुरूष	स्त्री	योग
1 – 10	135	126	261	42.86	40.51	41.69
11 – 20	88	97	185	27.94	31.19	29.55
21 – 30	62	61	123	19.68	19.62	19.65
31 – 40	16	13	29	05.08	04.18	04.63
41 – 50	–	–	–			
51 से अधिक	14	14	28	4.44	04.50	04.48
योग	**315**	**311**	**626**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

उपरोक्त तालिका के अनुसार सर्वेक्षित बिंझवार पारिवारों में वैवाहिक दूरी की स्थिति में 135 (42.86 प्रतिशत) पुरूष तथा 126 (40.51 प्रतिशत) ऐसे है जिनका वैवाहिक दूरी 0 से 10 कि.मी. है। उसी प्रकार 88 (27.94 प्रतिशत) पुरूष तथा 97 (31.19) महिलाएं जिनकी वैवाहिक दूरी 11 से 20 कि.मी. है। 62 (19.68 प्रतिशत) पुरूष तथा 61 (19.62 प्रतिशत) महिलाएं जिनकी वैवाहिक दूरी 21 से 30 कि.मी. है। उसी प्रकार 05.08 प्रतिशत पुरूष तथा 04.18 प्रतिशत महिलाए जिनकी वैवाहिक दूरी 31 से 40 कि.मी. है। 04.44 प्रतिशत पुरूष तथा 04.50 प्रतिशत महिलाएं ऐसे है जिनकी वैवाहिक दूरी 51 से अधिक दूरी पर है।

कुल योग के आधार पर देखे तो सबसे अधिक 261 (41.69 प्रतिशत) व्यक्ति ऐसे है जिनकी वैवाहिक दूरी 0 से 10 कि.मी. है। 185 (29.55 प्रतिशत) व्यक्ति ऐसे है जिनकी वैवाहिक दूरी 11 से 20 कि.मी. है। 123 (19.65 प्रतिशत) व्यक्ति ऐसे है जिनकी वैवाहिक दूरी 21 से 30 कि.मी. है। 29 (04.63 प्रतिशत) व्यक्ति ऐसे है जिनकी

वैवाहिक दूरी 31 से 40 कि.मी. है। सबसे कम 28 (04.48 प्रतिशत) व्यक्ति ऐसे है जिनकी वैवाहिक दूरी 51 कि.मी. से अधिक है।

तालिका-5

शैक्षणिक स्थिति

क्र.	विवरण	पुरूष		स्त्री		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	शिक्षित	318	64.50	194	45.12	512	55.47
2	अशिक्षित	175	35.50	236	54.88	411	44.53
	योग	**493**	**100.00**	**430**	**100.00**	**923**	**100.00**

उपरोक्त तालिका के अनुसार सर्वेक्षित 192 बिंझवार परिवारों में शैक्षणिक स्थिति में शिक्षित पुरूषों की संख्या स्त्रियों से अधिक है। कुल जनसंख्या में 318 (64.50 प्रतिशत) पुरूष व 194 (45.12 प्रतिशत) स्त्रियां शिक्षित है। इसी प्रकार 175 (35.50 प्रतिशत) पुरूष तथा 236 (54.88 प्रतिशत) स्त्रियां अशिक्षित है। कुल जनसंख्या के आधार पर 512 (55.47 प्रतिशत) लोग शिक्षित है और 411 (44.53 प्रतिशत) अशिक्षित है। तालिका से स्पष्ट है कि इन जनजाति की शैक्षणिक स्थिति अन्य जनजातियों की तुलना में अच्छी है।

तालिका-6

शैक्षणिक स्तर

क्र.	शिक्षा का स्तर	पुरूष		स्त्री		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	प्राथमिक	113	35.53	76	39.18	189	36.91
2	माध्यमिक	100	31.45	66	34.02	166	32.42
3	हाईस्कूल (10वी)	58	18.24	35	18.04	93	18.16
4	हायर सेकेण्डरी (12वी)	39	12.26	17	08.76	56	10.94
5	स्नातक	6	01.89	—	—	6	01.17
6	स्नातकोत्तर	2	00.63	—	—	2	00.39
7	अन्य	—	—	—	—	—	—
	योग	**318**	**100.00**	**194**	**100.00**	**512**	**100.00**

उपरोक्त तालिका के अनुसार सर्वेक्षित बिंझवार परिवारों में सबसे अधिक 189 (36.91 प्रतिशत) ऐसे है जिनकी शिक्षा प्राथमिक स्तर तक है जिसमें 113 पुरूष तथा 76 स्त्रियां है। 166 (32.42 प्रतिशत) ऐसे है जिनकी षिक्षा माध्यमिक स्तर तक है। जिसमें 100 पुरूष तथा 66 स्त्रियां है। 93 (18.16 प्रतिषत) ऐसे है जिनकी शिक्षा हाईस्कूल (10वीं) तक है जिसमें 58 पुरूष तथा 35 स्त्रियां है। 56 (10.94) ऐसे है जिनकी शिक्षा हायर सेकेण्डरी (12वीं) तक है जिसमें पुरूषों की संख्या 39 तथा स्त्रियों की संख्या 17 है। 6 (01.17 प्रतिशत) ऐसे है जिनकी शिक्षा स्नातक तक है जिसमें

केवल पुरूष है जिनकी संख्या 6 है सबसे कम 2 (00.39) व्यक्ति ऐसे है जिनकी शिक्षा स्नातकोत्तर तक है जिसमें केवल पुरूष है जिनकी संख्या 2 है। वर्तमान में अधिकतर की शिक्षा जारी है। जनसंख्या के स्तर पर देखा जाए तो कुल जनसंख्या में 55.47 प्रतिशत व्यक्ति शिक्षित है।

तालिका-7
परिवार में सम्पत्ति के प्रकार

क्रं.	सम्पत्ति के प्रकार	कुल सम्पत्ति 192 परिवार की (रूपयों में)	प्रतिशत	प्रति परिवार औसत सम्पत्ति (रूपयों में)
1	पशुधन	2932100.00	87.97	15271.00
2	मुर्गा–मुर्गी	55400.00	1.66	289.00
3	आभूषण	345500.00	10.37	1799.00
4	अन्य	–		
योग		**3333000.00**	**100.00**	17359.00

उपरोक्त तालिका के अनुसार सर्वेक्षित परिवारों में सम्पत्ति का आकलन करने पर पशुधन के रूप में सबसे अधिक 2932100.00 रूपये (87.97 प्रतिशत) सम्पत्ति है जिन पर वह निर्भर रहते है। उसके बाद 345500.00 (10.37 प्रतिशत) आभूषण के रूप में सम्पत्ति है। सबसे कम 55400.00 (01.66 प्रतिशत) मुर्गा–मुर्गी के रूप में है वर्तमान समय में ग्रामों में मुर्गा–मुर्गी पालने वालों की संख्या कम हो गई है। औसत प्रति परिवार सम्पत्ति के आधार पर कुल प्रति परिवार रूपयों में 17359.00 रूपयें है जिसमें 15271.00 रूपयें पशुधन 1799.00 रूपये आभूषण तथा 289.00 रूपयें मुर्गा–मुर्गी है।

तालिका-8

घर की स्थिति

क्रं.	विवरण	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	कच्चा	144	75.00
2	पक्का	14	07.29
3	अर्धपक्का	34	17.71
योग		**192**	**100.00**

उपरोक्त तालिका के अनुसार कुल 192 सर्वेक्षित परिवारों में 144 (75.00 प्रशित) परिवार ऐसे है। जिनका घर कच्चा है 34 (17.71 प्रतिशत) परिवार ऐसे है जिसका घर अर्धपक्का है और 14 (07.29 प्रतिशत) परिवार के घर पक्के है। तालिका से स्पष्ट है कि ग्रामों में अधिकतर परिवारों के घर कच्चे है।

तालिका-9

कृषि भूमि

क्रं.	भूमि (एकड़ में)	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	भूमिहीन	21	10.94
2	0.01 – 1.0	65	33.85
3	1.01 – 2.0	44	22.92
4	2.01 – 3.0	30	15.63
5	3.01 – 4.0	12	06.25
6	4.01 – 5.0	10	05.21
7	5.01 – 6.0	2	01.04
8	6.01 – 7.0	4	02.08
9	7.01 – 8.0	2	01.04
10	8.01 – 9.0	–	–
11	9.01 – 10.0	2	01.04
12	10.01 से अधिक	–	–
योग		**192**	**100.00**

उपरोक्त तालिका के अनुसार सर्वेक्षित 192 परिवारों में सबसे अधिक 65 (33.85 प्रतिशत) परिवार ऐसे है जिनकी कृषि भूमि 00.01 से 1.0 एकड़ के बीच है। 44 (22.92 प्रतिशत) परिवार जिनकी कृषि भूमि 1.01 से 2.0 एकड़ है। 30 (15.63 प्रतिशत) परिवार ऐसे है जिनकी कृषि भूमि 2.01 से 3.0 एकड़ के बीच है। 12 (06.25

प्रतिशत) परिवार ऐसे है जिनकी कृषि भूमि 3.01 से 4.0 एकड़ के बीच है। 10 (05.21 प्रतिशत) परिवार ऐसे है जिनकी कृषि भूमि 4.01 से 5.0 एकड़ के बीच है। 2–2 परिवार ऐसे है जिनकी कृषि भूमि 5.01 से 6.0 एकड़ तथा 7.01 से 8.0 एकड़ के बीच है। 2 परिवार ऐसे है जिनकी कृषि भूमि 9.01 से 10.0 एकड़ के बीच है। 4 (02.08 प्रतिशत) ऐसे है जिनकी कृषि भूमि 6.01 से 7.0 के बीच है। इसके अलावा 21 (10.94 प्रतिशत) ऐसे परिवार है जिनके पास कृषि भूमि नहीं है।

तालिका-10

परिवार में पशुधन

क.	पशु	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	गाय	154	17.40
2	बैल	161	18.19
3	भैंस–भैसा	83	09.38
4	मुर्गी–मुर्गा	277	31.30
5	बकरी–बकरा	210	23.73
6	सुअर	–	–
7	अन्य	–	–
योग		**885**	**100.00**

उपरोक्त सारणी के अनुसार सर्वेक्षित बिंझवार परिवारों में कुल पशुओ की संख्या 885 है जिनमें सर्वाधिक पशुधन मुर्गी–मुर्गा 277 (31.30 प्रतिशत) तथा न्यूनतम पशु भैंस–भैसा 83 (09.38 प्रतिशत) है शेष पशु में गाय 154 (17.40 प्रतिशत), बैलों की संख्या 161(18.19 प्रतिशत) तथा बकरा–बकरी की संख्या 210 (23.73 प्रतिशत) है। वर्तमान समय में सर्वे के अनुसार किसी भी परिवार के पास सूअर नहीं है।

तालिका-11

पशुधन की संख्या अनुसार परिवारों का वर्गीकरण

क्रं.	पशुओं की संख्या	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	पशु नही	55	28.65
2	01	13	06.77
3	02	38	19.79
4	03	16	08.33
5	04	13	06.77
6	05	6	03.13
7	06	9	04.69
8	07	3	01.56
9	08	5	02.60
10	09	6	03.13
11	10	2	01.04
12	10 से अधिक	26	13.54
योग		**192**	**100.00**

उपरोक्त तालिका के अनुसार सर्वेक्षित 192 बिंझवार परिवारों में सर्वाधिक 55 परिवार (28.65 प्रतिशत) ऐसे है जिनके पास पशु नहीं है। 10 से अधिक पशुओं वाले 26 परिवार (13.54 प्रतिशत) है। इसके अलावा 38 (19.79 प्रतिशत) परिवार के पास 2 पशु है। 13–13 (06.77 प्रतिशत) परिवार ऐसे है जिनके पास 01 और 04 पशु है।

तालिका-12
परिवारों में मुर्गियों की संख्या

क.	मुर्गियों की संख्या	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	नहीं	156	81.25
2	1	—	—
3	2	2	01.04
4	3	4	02.08
5	4	6	03.13
6	5	8	04.17
7	6	1	00.52
8	7	—	—
9	8	1	00.52
10	9	1	00.52
11	10	4	02.08
12	10 से अधिक	9	04.69
योग		**192**	**100.00**

उपरोक्त तालिका के अनुसार सर्वेक्षित 192 बिंझवार परिवारो में सर्वाधिक 156 परिवार (81.25 प्रतिशत) ऐसे है जिनके पास मुर्गियां नहीं है। वहीं 10 से अधिक मुर्गियों की संख्या वाले 9 परिवार (04.69 प्रतिशत) है।

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि अधिकांश बिंझवार परिवारों में मुर्गे–मुर्गियाँ नहीं पाले गए हैं।

तालिका-13

वार्षिक आय का स्त्रोत (192 परिवार)

क्रं.	स्त्रोत	आय	
		रूपयें	प्रतिशत
1	कृषि	4488060.00	43.33
2	कृषि मजदूरी	3488000.00	33.67
3	पशुधन	782000.00	07.55
4	वनोपज	500040.00	04.83
5	शासकीय/अशा. नौकरी	642000.00	06.20
6	शिकार/मत्स्यखेट	5000.00	00.05
	अन्य	452800.00	04.37
	योग	**10357900.00**	**100.00**

उपरोक्त तालिका के अनुसार सर्वेक्षित बिंझवार परिवारों में कुल आय का सर्वाधिक 43.33 प्रतिशत भाग कृषि से तत्पश्चात 33.67 प्रतिशत भाग कृषि मजदूरी से प्राप्त होता है। 07.55 प्रतिशत आय का भाग पशुधन से, 04.83 प्रतिशत भाग वनोपज के संग्रह एवं बिक्री से, 06.20 प्रतिशत आय का भाग शासकीय/अशा. नौकरी से, 04.37 प्रतिशत आय का भाग अन्य स्त्रोतों से तथा मात्र 00.05 प्रतिशत आय का भाग जंगली जानवरों के शिकार/मत्स्यखेट से प्राप्त होता है। अर्थात कृषि आय का प्रतिशत सर्वाधिक है।

तालिका-14

वार्षिक आय अनुसार परिवारों का वर्गीकरण

क्रं.	आय समूह (रूपयों में)	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	0 से 5000	—	—
2	5001 से 10000	1	00.52
3	10001 — 20000	10	05.21
4	20001 — 30000	37	19.27
5	30001 — 40000	36	18.75
6	40001 — 50000	34	17.71
7	50001 — 60000	20	10.42
8	60001 — 70000	16	08.33
9	70001 — 80000	8	04.17
10	80001 — 90000	5	02.60

11	90001 – 100000	6	03.13
12	100001 – 110000	8	04.17
13	110001 – 120000	–	–
14	120001 – 130000	2	01.04
15	130001 – 140000	1	00.52
16	140001 – 150001	2	01.04
17	150001 से अधिक	6	03.13
योग		**192**	**100.00**

उपरोक्त तालिका के अनुसार सर्वेक्षित 192 बिंझवार परिवारों में सर्वाधिक 37 परिवारों (19.27 प्रतिशत) की वार्षिक आय 20001 से 30000 रूपये के बीच है। तत्पश्चात् 30001 से 40000 रूपये के बीच वार्षिक आय वाले 36 परिवार (18.75 प्रतिशत), 40001 से 50000 रूपये के बीच वार्षिक आय वाले 34 परिवार (17.71 प्रतिशत) है। न्यूनतम 01–01 क्रमशः 5001 से 10000 रू. व 130001 से 140000 रूपये बीच वार्षिक आय वाले हैं। 0 से 5000 रूपये बीच वार्षिक आय वाला कोई भी परिवार नहीं मिला।

तालिका-15

वार्षिक व्यय का मद (192 परिवार)

क्रं.	मद	वार्षिक खर्च	
		रूपये	प्रतिशत
1	भोजन	3453500.00	36.35
2	मकान	521100.00	05.49
3	कपड़े	773800.00	08.15
4	शिक्षा	419000.00	04.41
5	जन्म	498200.00	05.24
6	विवाह	1547600.00	16.29
7	मृत्यु	491800.00	05.18
8	धार्मिक कार्य	292100.00	03.07
9	आभूषण	345500.00	03.64
10	चिकित्सा	646100.00	06.80
11	मद्यपान	247700.00	02.61
12	अन्य आकस्मिक खर्च	263500.00	02.77
योग		**9499900.00**	**100.00**

उपरोक्त तालिका के अनुसार सर्वेक्षित बिंझवार परिवारों में वार्षिक खर्च का सर्वाधिक भाग 36.35 प्रतिशत भोजन में व्यय होता है। तत्पश्चात 16.29 प्रतिशत भाग विवाह में व्यय होता है। धार्मिक कार्य, आभूषण तथा मद्यपान में कम खर्च होता है।

तालिका-16

वार्षिक व्यय अनुसार परिवारों का वर्गीकरण

क्रं.	व्यय खर्च (रूपयों में)	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	0 से 5000	—	—
2	5001 से 10000	2	01.04
3	10001 — 20000	31	16.15
4	20001 — 30000	42	21.88
5	30001 — 40000	32	16.67
6	40001 — 50000	23	11.98
7	50001 — 60000	23	11.98
8	60001 — 70000	7	03.65
9	70001 — 80000	9	04.69
10	80001 — 90000	4	02.08
11	90001 — 100000	3	01.56
12	100001 — 110000	5	02.60
13	110001 — 120000	—	—
14	120001 — 130000	1	00.52
15	130001 — 140000	2	01.04

16	140001 – 150001	2	01.04
17	150001 से अधिक	6	03.13
योग		**192**	**100.00**

उपरोक्त तालिका के अनुसार सर्वेक्षित बिंझवार परिवारें में सर्वाधिक 21.88 प्रतिशत परिवार 20001 से 30000 रूपए के अंतर्गत वार्षिक खर्च करने वाले समूह है। 5000 रूपये से कम खर्च करने वाले कोई भी परिवार नहीं पाया गया। 16.67 प्रतिशत परिवार 30001 से 40000 रूपए के अंतर्गत व 16.15 प्रतिशत परिवार 10001 से 20000 रूपए के अंतर्गत वार्षिक खर्च करने वाले समूह के अंतर्गत है।

वहीं 150001 रूपए से अधिक खर्च करने वाले 6 परिवार (03.13 प्रतिशत) है।

कर्ज की स्थिति

तालिका-17

क्रं.	कर्ज (रूपयों में)	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	कर्ज नहीं	130	67.71
2	0 से 10000	10	05.21
3	10001 – 20000	20	10.42
4	20001 – 30000	8	04.17
5	30001 – 40000	10	05.21
6	40001 – 50000	7	03.65
7	50001 – 60000	2	01.04
8	60001 – 70000	–	–

9	70001 – 80000	1	00.52
10	80001 – 90000	–	–
11	90001 – 100000	2	01.04
12	100001 – 110000	–	–
13	110001 – 120000	–	–
14	120001 – 130000	–	–
15	130001 – 140000	–	–
16	140001 – 150001	–	–
17	150001 से अधिक	2	01.04
योग		**192**	**100.00**

उपरोक्त सारणी के अनुसार सर्वेक्षण के समय 67.71 प्रतिशत परिवारों के पास कोई कर्ज नहीं है। 10.42 प्रतिशत परिवारों के द्वारा 10001 20000 रू. तक ऋण लिया गया है। 2 (01.04 प्रतिशत)परिवार ऐसे है जिन्होंने सर्वाधिक 150001 से अधिक का ऋण लिया है। इनमें से अधिकांश परिवारों का ऋण बैल, कुंआ, मोटरपंप व अन्य कृषि कार्यों जैसे कृषि कार्य हेतु खाद, बीज आदि को संपादित करने हेतु लेते है। ये परिवार सहकारी बैंक, ग्रामीण बैंक तथा साहूकारों के माध्यम से ऋण लेते है तथा फसल कटने पर ऋण अदा कर देते है।

अध्याय 4

सामाजिक संरचना

सामाजिक संरचना में समाज कम से कम दो लोगो से मिलकर बनता है एक वर्ग के समूह को एक समाज का रूप दिया जाता है। इसी आधार पर बिंझवार जनजाति के सामाजिक संरचना को समझने के लिए इनके जाति, उपजाति, गोत्र, नातेदारी, परिवार का उल्लेख आवश्यक है।

जाति :-

प्राचीन काल से ही भारतीय समाज विभिन्न जातियों में बटा है। आदिवासियों में गोड, भील, कोल, उरांव आदि विभिन्न जातियां है। बिझंवार भी एक आदिवासी जाति है। ये जाति अपने को ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैष्य की जातियों से नीचे किन्तु शूद्र वर्ण की जातियों से उपर रखते है। गोंड, कंवर, सावरा आदि अपने आसपास रहने वाली जातियों को अपने बराबर मानती है। अतः ब्राम्हण क्षत्रिय मिलने पर उसे आदर देते है। ये आपस में बंधुत्व की भावना रखते है।

उपजाति :-

बिंझवार जाति की चार उपजाति है।

1. बिंझवार, 2. सोनझरा 3. बिरझिया 4. बिंझिया।

बिंझवार जाति प्रारंभ में एक थी बाद में अलग–अलग 4 उपजातियों में बट गई।

1. बड़े बिंझवार
2. सोन झोलिया (सोनझरा)
3. बोडा सांभर (बिरझिया)
4. विन्ध्यगिरि (बिंझिया)

बड़े बिंझवार (बिंझवार)

बड़े बिंझवार को चारों में उच्च माना जाता है। पहले इनके पास जमीदारी थी यह माना जाता है। ये अपने को गोपालराय के संतान मानते है। बिंझवारों में यह वर्ग

पहले अन्य विभागों के अपेक्षा सम्पन्न था।

सोन झोलिया (सोनझरा)

सोन झोलिया बिंझवार सोना खान क्षेत्र में नदी की रेत से ''सोना'' छानने का कार्य करती थी अतः इसे सोनझोलिया बिंझवार कहते है।

बोडा सांभर (बिरझिया)

बिरजिया या बंडा साभर प्रारंभ में बेवट (स्थानांतरित) खेती करती थी इससे यह बिरजिया कहलाने लगी।

विन्ध्यगिरि (बिंझिया)

बिंझिया सबसे नीचे श्रेणी की उपजाती मानी जाती है जो गोड़ राजा के हत्यारे मामा–भांजा की संतान है अतः इसे बिंझिया (हत्यारे) कहा जाता है। वर्तमान में ये लोग विन्ध्यगिरी कहलाने लगे है अर्थात मां विन्ध्यवासिनी की संतान अपने को कहते है।

उपजातियों में खानापानी का संबंध था किन्तु शादी ब्याह आपस में नहीं होता था। वर्तमान में बड़े बिंझवार अपनी ही उपजाति सोनझोलिया बिंझवार उपजाति अपने ही उपजाति के अंतर्गत विवाह करती है।

गोत्र :-

बिंझवार जनजाति में उपजाति विभिन्न गोत्रों में विभक्त है। एक गोत्र के सदस्य अपने को आपस में भाई कहते है अर्थात उनका पूर्वज एक ही था। सभी लोहार, बुडई, माझी, बरिहा, पहली, लोही, कारे, करहीवाध, होडका, खुरसा, नाग, कावेरी, सराई, चाको, अदजा, धुलहेका, ठाकुर, सोनवानी, सीधा, सोनवानी फूलहा, सरई, नाग अमेरा, बोदा अमेरा, बांध, भोरा, सेनी, चौराशी, भैंसा, ताड़, कमलिया, बांका, मांझी, सोन, धान, नाग, पड़की, डोड़का, चड़इ ठेलका, बहेरा, सोनवारी, केषवार, बालन, नायक, पेड़रिहा, बोदा, करपी, सलेहा, मुर्री, षिखर, बिच्छी, मण्डल, कोड़हा, भौरा, जवाड़ी, पालके, भैंसा, बोकरा, चिता, सिंग, मुर्रा, केवरइ, सेमी, हाणील, रावत, लई, सामर पलखिया कलिहारी, बाधवंषी आदि।

इस जनजाति में समान गोत्र में बंधुत्व की भावना होती है। गोत्र चिन्ह (टोटम) की पूजा में गोत्र के सभी सदस्य मिलकर सम्पन्न करते है। सभी के अंदर एक दूसरे के लिए मदद की भावना होती है। विवाह मृत्यु आदि संस्कारों में आर्थिक मदद की भावना होती है।

नातेदारी :-

बिझंवार जनजाति में नातेदारी इस प्रकार हैः—

क्रं.	संबंध	नातेदारी का शब्द	संबोधन का शब्द
1	पिता	बाप	छदा
2	माता	मां	दाई
3	बड़ाभाई	बड़े भाई	भैया
4	छोटा भाई	छोटे भाई	नाम से
5	बड़ी बहन	बड़े बहिनी	दीदी
6	छोटी बहन	छोटे बहिनी	नाम से
7	पिता के बड़े भाई	बड़े बाप	बड़े बबा
8	पिता के छोटे भाई	कका	कका
9	पिता के बड़े भाई की पत्नी	बड़े दाई	बड़े दाई
10	पिता के छोटे भाई की पत्नी	काकी	काकी
11	पिता की छोटी/बड़ी बहन	फूफू दीदी	फूफू दीदी
12	पिता के छोटी/बड़ी बहन का पति	फूफा	फूफा
13	पिता के पिता	बाबा	बबा
14	पिता के पिता की पत्नी	डोकरी दाई	डोकरी दाई
15	मां का भाई	ममा	ममा
16	मां के भाई की पत्नी	मामी	मामी

17	मां की बडी बहन	बड़े दाई	बड़े दाई
18	मां की छोटी बहन	मौसी	मौसी
19	मां की बडी बहन का पति	बड़े बबा	बड़े बबा
20	मां की छोटी बहन का पति	मौसा	मौसा
21	बड़ा भाई की पत्नी	भौजी	भौजी
22	छोटे भाई की पत्नी	भाई बहु	भाई बहु
23	बडी बहन का पति	भाटों	भाटों
24	छोटी बहन का पति	बहिन दामाद	बहिन दामाद
25	बडा/छोटा भाई का पुत्र	भतीजा	भतीजा
26	बडा/छोटा भाई का पुत्री	भतिजी	भतिजी
27	बडा/छोटा भाई के पुत्र की पत्नी	भतीजा बहु	भतिजा बहु
28	बडा/छोटा भाई के पुत्री का पति	भतीजी दामाद	भतिजी दामाद
29	बड़ी/छोटी बहन का पुत्र	भांजा	भाचा
30	बड़ी/छोटी बहन का पुत्री	भांजी	भाची
31	बड़ी/छोटी बहन के पुत्री का पति	भांजी दामाद	भांजी दामाद
32	बड़ी/छोटी बहन का पुत्र की पत्नि	भांजा बहु	भाचा बहु
33	बड़ी/छोटी बहन के पति का पिता	दीदी के ससुर	दीदी का ससुर

34	बड़ी/छोटी बहन के पति की माता	दीदी के सास	दीदी के सास
35	भाई के पत्नी/बहन के पति	समधी	समधी
36	भाई के पत्नी/बहन के पति का बहन	समधीन	समधीन
37	पत्नी	घरवाली	घरवाली
38	पति	घरवाला	घरवाला
39	पति के पिता	ससुर	ससुर
40	पति के माता	सास	सास
41	पत्नी के पिता	ससुर	ससुर
42	पत्नी के माता	सास	सास
43	पति/पत्नी के पिता का भाई	कका ससुर	कका ससुर
44	पति/पत्नी के पिता के भाई की पत्नी	काकी सास	काकी सास
45	पति/पत्नी के पिता के पिता	बुढ़ा ससुर	बुढ़ा ससुर
46	पति/पत्नी के पिता के माता	बुढ़ी सास	बुढ़ी सास
47	पत्नी का बड़ा भाई	डेड़ साला	डेड़ साला
48	पत्नी की बड़ी बहन	डेड़ सास	डेड़ सास
49	पत्नी के छोटा भाई	साला	साला
50	पत्नी के भाई की पत्नी	साली	साली
51	पत्नी के बहन का पति	साढू भाई	साढू
52	पत्नी के बहन का पुत्र	भतीजा	भतीता
53	पत्नी के बहन की पुत्री	भतीजी	भतीजी

54	पत्नी के भाई का पुत्र	भतीजा	भतीजा
55	पत्नी के भाई की पुत्री	भतीजी	भतीजी
56	पति का बड़ा भाई	कुरा ससुर	कुरा ससुर
57	पति का छोटा भाई	देवर	देवर
58	पति का बड़ी बहन	डेढ़ सास	डेढ़ सास
59	पति की छोटी बहन	ननद	ननद
60	पति के बडे/छोटे भाई की पत्नी	जेठानी/देरानी	जेठानी/देरानी
61	पति के बड़ी/छोटी बहन का पिता	नन्दोई भाई	नन्दोई भाई
62	पति के बड़ा भाई /छोटा भाई का पुत्र	जेठ बेटा/देवर बेटा	जेठ बेटा/देवर बेटा
63	पति के बड़ी/छोटी बहन का पुत्र	भांजा	भाचा
64	पति के बड़ी/छोटी बहन का पुत्री	भांजी	भाची
65	पुत्र	बेटा	बेटा
66	पुत्री	बेटी	बेटी
67	पुत्र की पत्नी	बहु	बहु
68	पुत्री का पति	दमाद	दमाद
69	पुत्र के पत्नी का पिता	समधी	समधी
70	पुत्री के पत्नी की माता	समधीन	समधीन
71	पुत्री के पत्नी का पिता	समधी	समधी

72	पुत्री के पति की माता	समधीन	समधीन
73	पुत्र का पुत्र	नाती	नाती
74	पुत्री का पुत्र	बेटी नाती	बेटी नाती
75	पुत्र की पुत्री	नतनीन	नतनीन
76	पुत्री की पुत्री	बेटी नतनीन	बेटी नतनीन
77	माता के माता	आजी दाई	आजी दाई
78	माता के पिता	आजा बबा	आजा बबा
79	पुत्र के पुत्र की पत्नी	नाती बहु	नाती बहु
80	पुत्र की पुत्री का पति	नाती दमाद	नाती दमाद
81	पुत्र के पुत्र का पुत्र	पंथी	पंथी
82	पुत्र की पुत्री की पुत्री	पंथीन	पंथीन

परिहास संबंध :-

बिंझवार जनजाति में कुछ रिश्तेदारों के साथ हंसी मजाक किया जाता है इस प्रकार के संबंध में एक दूसरे के अधिक नजदीक आने की कोषिष होती है। किन्तु यौन संबंधो से बचा जाता है – जीजा–साली, जीजा–साला, साला व जीजा की छोटी, बडी बहन, देवर–भाभी, ननद–भौजाई, जीजा के भाई, भाभी के भाई बहन दादा / दादी–नाती / नातिन, नाना / नानी–नाती / नातिन समधी समधीन आदि।

परिहार संबंध :-

इस प्रकार के संबंध में दो रिष्तेदार एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश करते है। बिझंवारों में भाई बहु अपने जेठ, भांजा बहु अपने मामा ससुर के सामने नहीं जा सकती बात नहीं करती या किसी के माध्यम से बात करती है। इनके सामने सिर खुला नहीं रख करती स्पर्श नहीं करते। इस प्रकार पुरूष अपने पत्नी के बड़ी बहन को स्पर्श

नहीं कर सकते। बाते कर सकते है।

माध्यमिक संबोधन :-

बिंझवार जनजाति में कुछ रिष्तेदारों से सीधे बाते न करके किसी के नाम के द्वारा पुकारा जाता है जैसे नव वधु अपने पति को बुलाने के लिए कहती है ''नोनी के भैया'' बच्चे हो जाने पर ''रामू के ददा'' इस प्रकार बच्चे के नाम लेकर बलाते है। पति का नाम पत्नी नहीं लेती किन्तु आवश्यकता होने पर किसी सरकारी कागजों में बताने हेतु व्यक्ति को कहलवाते है। इसी प्रकार शासकीय या अन्य कार्य हेतु पति पत्नी का नाम लेता है किन्तु रोज मर्रे की बोल चाल में ''रामू के दाई'' कह कर बुलाते है या बाते करते है।

अन्य संबोधन :-

इसी प्रकार पति के बड़े भाई को बड़भाई, पति के बड़ी बहन को दीदी, छोटी बहन को नोनी तथा देवर को बाबू कहते है। जेठ के पुत्र पुत्री को भी बाबू या नोनी कहकर ही बुलाते है। किसी अवस्था में बड़े व रिष्ते में बड़े जैसे सास–ससूर, आदि का भी नाम नहीं लिया जाता।

परिवार :-

बिंझवार जनजाति में परिवार पितृ सतात्मक पितृ वंशीय एवं पितृ निवास स्थानीय होता है। अधिकांश परिवार केन्द्रीय या एकाकी पाया जाता है। किन्तु संयुक्त परिवार भी बिंझवारों में काफी दिखाई दिया। पिता परिवार का मुखिया होता है। संयुक्त परिवार में सभी सदस्य बडे–बूढों का आदर करते है तथा उनके आदेशानुसार कार्य करते है। विवाह हो जाने व विवाह पष्चात एक दो संतान हो जाने पर सभी भाई अलग अलग रहने लगते है। और साथ ही सम्पत्ति को बांट लेते है।

तालिका-1

सर्वेक्षित बिंझवार जनजाति में परिवार के आकार के अनुसार दिखाई दिया जो सारणियों में स्पष्ट किया जा रहा है :–

क.	प्रकार	संख्या	प्रतिशत
1	एकाकी	80	41.67
2	संयुक्त	112	58.33
योग		**192**	**100.00**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 41.67 प्रतिशत परिवार एकाकी व 58.47 प्रतिशत परिवार संयुक्त परिवार के रूप में अर्थात संयुक्त परिवारों की संख्या अधिक है।

तालिका-2

सदस्य संख्या अनुसार परिवार

क.	परिवार की सदस्य संख्या	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	01	–	–
2	02	18	09.38
3	03	19	09.90
4	04	47	24.48
5	05	45	23.44
6	06	34	17.71
7	07	21	10.94

8	08	5	02.60
9	09	1	00.52
10	10	—	—
11	10 से अधिक	2	01.04
योग		**192**	**100.00**

उपरोक्त तालिका के अनुसार बिंझवार परिवारो में सर्वाधिक सदस्य संख्या 10 से अधिक संख्या वाले 2 परिवार (01.04) तथा न्यूनतम 02 सदस्य संख्या वाले 18 परिवार (09.38 प्रतिशत) है। 04 सदस्य संख्या वाले 47 परिवार (24.48 प्रतिशत) है। 05 सदस्य संख्या वाले 45 परिवार (23.44 प्रतिशत) है। 06 सदस्य संख्या वाले 34 परिवार (17.71 प्रतिशत) है।

बिंझवार परिवार में परिवार के सदस्यों के बीच संबंध निम्नानुसार दर्शाया जा रहा हैः—

1. माता-पिता :-

माता—पिता बच्चों का पालन—पोषण करना, खेती, मजदूरी, जंगली उपज संग्रह, शिकार करना, मछली पकड़ना आदि आर्थिक कार्यों से संबंधित प्रशिक्षण व शिक्षण दिलाना अपना कर्तव्य समझते है। बच्चों का विवाह करना अपना धर्म समझते है। पुत्री का कन्यादान (विवाह) करना गंगा स्नान जगन्नाथ धाम की यात्रा के बराबर पुण्य का कार्य मानते है। अपनी सीमित आर्थिक स्थिति में खुश रहते हुए भी बच्चों का पालन पोषण वात्सल्य पूर्वक करते है। बच्चों की खुशी के लिए अधिक से अधिक मेहनत करते है। बच्चे माता—पिता को आदर देते है। बचपन की अपेक्षा जवान होने पर प्रेम व आदर की भावना बढ़ती है किन्तु वात्सल्य व ममता कम हो जाती है।

2. पति-पत्नी :-

पति—पत्नी का संबंध आपस में मधुर व प्रेमपूर्ण होता है। पति परिवार के भरण पोषण हेतु अर्थोपार्जन करता है। खेतों, जंगलों आदि में परिश्रम करता है। पत्नी घर

की देखरेख, भोजन बनाना, बच्चों की देखभाल के अतिरिक्त पति के साथ कार्यो में हाथ बटाती है। पति को भोजन करा कर ही पत्नी भोजन करती है। कभी कभी इनमें झगड़ा भी होता है और पति पत्नी को मार भी देता है किन्तु बाद में मनाता भी है। वैसे आमतौर पर उनके बीच प्रेम भाव रहता है।

3. माता-पुत्र :-

माता–पुत्र का संबंध वात्सल्य पूर्ण होता है। छोटा पुत्र घर पर माता से वात्सल्य अधिक करता है। बड़े होने पर पुत्र माता का बहुत आदर करता है माता से पुछकर काम करता है। पिता की अपेक्षा अपने मन की बात माता से अधिक सरलता पूर्वक कहता है। विवाह उपरान्त माता पुत्र का संबंध वात्सल्य पूर्वक होकर स्नेह पूर्ण हो जाता है।

4. माता-पुत्री:-

माता–पुत्री का संबंध भी बहुत वात्सल्य पूर्ण होता है। माता पुत्री को बड़ी होने पर सभी कार्य सिखाती है। काम न करने पर डाटती है। गलती करने पर मारती भी है। बड़ी होने पर घर का सम्पूर्ण कार्य जैसे – सफाई, बर्तन साफ करना, पानी भरना, खाना बनाना अधिकांषतः बड़ी पुत्री ही करती है। बड़ी होने पर माता–पुत्री के संबंध अधिक स्नेह पूर्ण होता है।

5. पिता-पुत्र:-

पिता पुत्र का संबंध भी स्नेह पूर्ण होता है। बड़ा होने पर पिता पुत्र को सभी आर्थिक कार्य सिखाते है। पुत्र भी बड़ा होकर पिता को विषेश आदर देता है। हर कार्य उनसे पूछकर करता है। वृद्ध पिता अपनी जिम्मेदारी बाद में पुत्र को सौंप देता है व उस पर आश्रित हो जाता है।

6. पिता-पुत्री :-

पिता पुत्री का संबंध अधिक वात्सल्य पूर्ण होता है। पिता यह जानता है कि पुत्री बड़ी होकर एक दिन ससुराल चली जायेगी अतः पुत्र की अपेक्षा पुत्री को कम डाटता है। पुत्री का कन्यादान, पुत्री को कुछ देना पुण्य कार्य मानते है। पुत्री की शादी

कराना गंगा नहाने से कम नहीं मानते। पुत्र के पालन पोषण के बीच उसकी भावना होती है कि वृद्धावस्था में पुत्र उसकी देखभाल करेगा किन्तु पुत्री के पालन पोषण को बहुत पुण्य कार्य मानते हैं। पुत्री भी पिता की बहुत इज्जत करती है। ससुराल में पिता के आने का रास्ता अन्य की अपेक्षा अधिक रखती है।

7. भाई-भाई:-

भाई–भाई का संबंध आपस में प्रेम पूर्ण होता है। बचपन में दोनों प्रेम भी करते है आपस में खेलते है और आपस में लड़ते भी है किन्तु बड़े होन पर बडे भाई का आदर छोटा भाई करता है तथा छोटे भाई से बड़ा भाई काफी स्नेह रखता है। विवाह के बाद अलग अलग रहने पर भी स्नेह होता है। कुछ लोग जमीन जायदाद के बटवारे के कारण झगड़ा भी करते है।

8. बहन-बहन:-

बहन–बहन का संबंध आपस में प्रेम पूर्ण होता है। बड़ी बहन छोटी बहन को कार्य सिखाती है। बचपन में दोनो लड़ते भी है किन्तु बड़े होने पर अत्यंत प्रेम व स्नेहमय संबंध होता है।

9. भाई-बहन:-

भाई बहन का संबंध भी आपस में स्नेह पूर्ण होता है। बचपन में दोनो साथ खेलते है किन्तु बड़े होने पर अलग अलग मित्रों के साथ खेलते है। बहन भाई के परिवार व समृद्धि की कामना करती है। प्रति वर्श रक्षा बंधन पर राखी भेजती है। भाई तीजा त्यौहार में बहन को लेने जाता है नयी साड़ी आदि देता है। भाइयों के झगड़े को बहन मिटाने का प्रयास करती है व उन्हें समझाती भी है।

10. सास-बहू:-

सास–बहू का संबंध कुछ परिवारों में अच्छा होता है। कुछ परिवारों में अच्छा नहीं होता हैं। प्रारंभ में सास की बात बहू मानती है किन्तु बाद में आज्ञा का उल्लंघन करने लगती है कही कही पर सास भी बहू के हर काम में गलती निकालती है। सास भी बहू और बेटी के बीच फर्क करने लगती है।

11. ननंद भौजाईः-

ननंद भौजाई का संबंध प्रायः स्नेह का होता है छोटी ननंद द्वारा ही भाभी की आवश्यकताओं की जानकारी सास–ससुर को हाती है। ननंद के विवाहोपरान्त संबंध और भी मधुर हो जाता है। कुछ परिवारों में जहां ननंद भौजाई बराबर उम्र के होते है वहां कार्य को लेकर तनाव भी होता है।

12. देवर-भाभी :-

देवर भाभी का संबंध प्रेम व स्नेह पूर्ण होता है। भाभी देवर को बाबू कहती है या नाम से भी संबोधित करती है। अपने छोटे भाई की तरह प्रेम करती है। देवर के विवाहोपरान्त कही कही संबंध बिगड जाता है। देवर भाभी के बीच हंसी मजाक भी होता है।

13. देवरानी-जेठानी :-

देवरानी जेठानी का संबंध अधिकांशतः अच्छा नहीं होता क्योंकि दोनों में अपने अपने अधिकार व हक की भावना आ जाती है। संस्कार भी दोनों का भिन्न होता है। बच्चों के आपस में लड़ने से दोनो भी लड़ जाते है। कहा जाता है कि भाइयों में बटवारा देवरानी जेठानी के मनमुटाव के बाद ही प्रारंभ होता है।

अन्तर्जातीय संबंध :-

बिझवार जाति ग्राम के अन्य जाति जैसे गोड, कंवर, सावरा आदिवासी जाति एवं ब्राम्हण, क्षत्रिय, अघरिया, रावत, गाडा, धोबी, नाई, केवट आदि जातियों के साथ निवास करती है। इनमे आपस में पारिवारिक संबंध की तरह मजबूत ग्रामीण संबंध पाया जाता है। सभी आपस में एक दूसरे जाति के सदस्यों को उक्त अनुसार कका, चाचा, भैया, भतीजा, बबा आदि संबोधन से संबोधित करते है। इनके अनुसार गांव वाले अन्य जाति के पडोसी संकट, बीमारी, मृत्यु, विवाह के अवसर में जल्दी आते है। दूसरे गांव में रहने वाले रिश्तेदार बाद में आते है अतः एक तरह से ग्रामवासी अपने सुख– दुख के साथी होते हैं।

बिंझवार जनजाति अन्य जातियों के साथ रावत की सेवा गाय–भैसा चराने हेतु, लुहार की सेवा लोहे की वस्तु बनवाने हेतु, महारा या गांडा जाति के कोटवार की सेवा सुरक्षा हेतु व नाई की सेवा बाल काटने में लेती है। इन्हे कार्य के बदले 'अनाज' दिया जाता है। जिसका उल्लेख आर्थिक जीवन के अंतर्गत किया जा चुका है। अर्थात सेवा हेतु एक दूसरी जातियों पर भी निर्भर रहते है।

ग्रामीण जाति व्यवस्था अनुसार बिंझवार जनजाति अपने से उच्च जाति जैसे ब्राम्हण, क्षत्रिय, अघरिया, मरार, केवट, नाई, लुहार, आदि के घर भोजन व पानी ग्रहण कर सकते है किन्तु ये जातियां बिंझवार के घर भोजन पानी नहीं ग्रहण करती इन्हें विवाह आदि अवसरों पर सीधा कच्चा अनाज आदि देते है। समकक्ष जाति गोंड, सादवरा व कंवर के घर भोजन पानी ग्रहण करते है व ये जाति बिंझवारों के घर भोजन पानी ग्रहण कर सकती है। अपने से नीची जाति जैसे– गांडा, महरा, चमार आदि के घर भोजन व पानी ग्रहण नहीं करते ये जातियां इनके घर भोजन व पानी ग्रहण कर सकती है। रावत के हाथ का भोजन पानी ग्रहण कर सकते है किन्तु रावत के घर का खाना नहीं खाते किन्तु अपने घर रावत का बनाया खाना खा लेते है।

बिंझवारों व अन्य जातियों के बीच फल बधना या मितान बधने की क्रिया अंतजातीय संबंध का महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसमें समान उम्र के लड़के या समान उम्र की लड़कियों को आपस में देवी देवताओं के समक्ष जगन्नाथ का महाप्रसाद, गंगाजल, तुलसी, गंगा बारू (गंगा की रेत) भोजली ज्वारा या नारियल फूल, दावना आदि बाधते है। इस अवसर पर दोनो बच्चे आपस में एक दूसरे को महाप्रसाद या गंगाजल खिलाते पिलाते है या कानो में ज्वारा, दोन, भोजली खोसते है या गंगा बारू देते है तथा नारियल आपस में बदलते है। कुछ पैसा आपस में बदलते है। बाद में नारियल का प्रसाद उपस्थित लोगो में बांटा जाता है। दोनों मितान उस दिन से मित्रवत व्यवहार करते है। मिलने पर सीता–राम कह कर अभिवादन करते है त्यौहार आदि अवसरों पर मिलते है। समकक्ष जाति हुआ तो एक दूसरे के घर भोजन करते है। कृशि आदि कार्यों, सामाजिक प्रसंगों में एक दूसरे के यहां सहयोग करते है। इस प्रकार का व्यवहार मितान बधने वाले जीवन पर्यन्त तक निभाते है। इनके बच्चे आपस

में मितान बध लेते है। मितान को परिवार का षुभचिन्तक माना जाता है।

स्त्रियों की स्थिति :-

बिंझवार जाति में स्त्रियों की स्थिति पुरूषों की अपेक्षा नीचे मानी जाती है। अर्थोपार्जन में पुरूष की मुख्य भूमिका होती है। स्त्रियों से अपेक्षा की जाती है कि वह पति की आज्ञा का पालन करें, उसकी इच्छानुसार कार्य करें। समान आदि खरीदने पुरूश ही जाते है पति का नाम बोलचाल में नहीं लेती है। पति को भोजन कराने के बाद ही भोजन करती है। पुरूष अपनी पत्नी को पीट सकता है किन्तु यदि पत्नी पति को पीटे तो यह बहुत बड़ा सामाजिक अपराध माना जाता है। जाति व गांव वालो को दण्ड की रकम व भोज देना पड़ता है। मार्ग में चलते समय भी स्त्रियां पति के पीछे मोटरा (कपड़ों की गठरी) लेकर चलती है।

देवर से भी भाभी का स्थान नीचे माना जाता है। उसे बाबू कह कर सम्बोधन करती है। विधवा होने पर चाहे तो अपने देवर से चूड़ी पहन (पुनः विवाह) कर सकती है। धार्मिक कार्यो जैसे देवी–देवता की पूजा पुरूष करते है किन्तु सत्यनारायण की कथा आदि में व हवन आदि दोनों साथ साथ बैठकर करते है।

उम्र बढ़ने के साथ साथ घर के प्रमुख की पत्नी मां आदि का स्थान परिवार में ऊँचा होता है इनसे सलाह आदि ली जाती है किन्तु परिवार के मुखिया से इनका स्थान नीचे ही रहता है।

अध्याय – 5

जीवन चक्र

जन्म:-

बिंझवार के जन्म संस्कार जानने से पूर्व स्त्री के विशय में जानकारी आवष्यक है। रजास्त्राव को बिंझवार ''माहवारी'' कहते है। माहवारी वाली स्त्री को अपवित्र माना जाता है। इस काल में पानी भरना, खाना बनाना, देवी देवताओं के पास व मंदिर जाना, धान की कोठी को छूना, धान कूटना, अनाज पीसना, खलिहान में जाना आदि अछूत माना जाता है। इस समय वह घर के बाहर के कार्य जैसे झाडू लगाना, बर्तन साफ करना, कृशि के अन्य कार्य जंगली उपज संग्रह, लकड़ी लाना आदि कार्य करती है। इस समय पति के साथ रहना मना रहता है। यदि वे ऐसा करती है तो देवी–देवता नाराज हो जाते है नही तो दोनो को बीमारी हो सकता है। पांचवे दिन स्त्रियां अपना सिर मिट्टी या साबुन से धोकर स्नान करती है, उसके बाद उसको षुद्ध माना जाता है।

गर्भाधान एवं गर्भकाल :-

बिंझवार में संतान प्राप्त होना भगवान की देन मानते है, यदि किसी स्त्री के विवाह के 4–5 वर्श बाद तक संतान नही होती है तो व्रत, पूजा आदि करती है। देवी देवताओं को मनौती करने, बैगा या किसी महराज पंडित, पुजारी की सलाह ली जाती है। जब स्त्री का मासिक धर्म आना बंद हो जाये तो उसको गर्भ अवस्था में है मान लिया जाता है। जब दूसरे माह खट्टे वस्तु का खाने की इच्छा होती है, उल्टी आने लगती है तो सगर्भा यह जानकारी हो जाती है गर्भ निरोध के कोई परम्परागत तरीके इनमें प्रचलित नही है। गर्भ को वैध हो या अवैध गर्भपात नहीं कराया जाता। गर्भपात को वे भूत–प्रेत जादू टोना या देवी–देवता के नाराज होने से हुआ है मानते है। गर्भवती स्त्री सभी कार्य करती है किन्तु पेड़ो पर चढ़ना, अधिक वजन उठाना आदि वर्जित कर दिया जाता है। गर्भवस्था में भोजन में कोई परिवर्तन नहीं करते किन्तु गरम वस्तु खाने, पीने के लिए मना किया जाता है। प्रथम गर्भावस्था से छठे या सातवे

महीना गर्भवती स्त्री को उनके मायके से ''सधौरी'' खिलाने के लिए उसके मां–बाप या भाई –भाभी आते है। सधौरी में गुड़ मिली हुई रोटी, अरसा, सोलरी (पूडी) खीर आदि तथा एक लुगड़ा (साड़ी) एवं पोलका (ब्लाऊज) तथा कभी–कभी दामाद के लिए पेंट, शर्ट लाते है। सधौरी में देवी–देवताओं को रोटी तसमई आदि चढ़ाकर गर्भवती को खिलाया जाता है फिर परिवार के अन्य सदस्यों को भी गर्भवती के मायके से आया रोटी व तसमई देते है। गर्भवती को ग्रहण के समय घर से बाहर नही निकलने दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के प्रभाव से गर्भस्थ षिषु में अपंगता आ जाता है।

प्रसव :-

प्रसव पति के घर ही होता है, मकान के एक कमरे जहाँ देवी–देवता न हो या एक कोने में परसोत पीड़ा (प्रसव पीड़ा) प्रारंभ होने पर ले जाया जाता है तथा तत्काल ही परिवार व रिश्तेदार की बड़ी बूढ़ी औरतो को व गांव की ''सुइन'' (दाई) जो किसी भी जात की प्रसव कराने की जानकारी होती है। उसको बुलाया जाता है ''सुइन'' के देख रेख में ही जमीन पर प्रसव कराया जाता है। प्रसव में कठिनाई होने पर परिवार के मुखिया से कहा जाता है। तब अपने देवी–देवताओं पूर्वजो को (सुमरन) करे या मनौती करें। यदि इससे भी काम नही बना तो बैगा को बुलाया जाता है जो देवी–देवता की मनौती व जादू–टोना, भूत–प्रेत का मंत्र पढ़कर बंधन करता है। प्रसव होने में विलंब होने से स्थानीय प्राईवेट चिकित्सालय को या नर्स को अब बुलाते है, किन्तु कठिनाई नही होने पर नही बुलाया जाता। प्रसव के उपरांत सुईन ब्लेड से बच्चे का नेरूआ (नाल) को काटती है व बिजरा (बीजा) वृक्ष का रस लगाती है। पहले नाल (नेरूआ) जंगली घांस की पतली कमची से काटते थे। नाल काटने के बाद ''सुइन'' बच्चे को तथा उसकी मां को कुनकुने पानी (हल्के गर्म) में कपड़ा भिंगाकर अंगोछती (पोछती) है बच्चे के जन्म के स्थान पर लगभग 1 फीट खोदकर नाल को गाड़ा जाता है मां को प्रसव के 3 दिन बाद तक ''कथा'' का पानी रक्त बिहार, कौवा केनी, फुड़हर की जड़, बदाम जड़ी, सोठ, गुहरिया, गुड़, तुलसी के पत्ते व हिरवॉ डालकर तथा उसमें लोहे का टुकड़ा डालकर उबाला हुआ पानी देते है। 2 दिन बाद एक समय मूँग या अरहर

का दाल देते है। इसी समय पर घी, सोंठ कर पीपरा, अजवाईन, काली मिर्च, नारियल, मेवा, गुड़ आदि से बना लडडू दिया जाता है, जिसे ''सोठ ढुढही'' कहा जाता है। 5 दिन तक परिवार को अछूत माना जाता है। इस समय परिवार के सदस्य, देवी, देवताओं की पूजा, यात्रा आदि में नही जाते है।

जन्म के छठे दिन ''छट्ठी'' नामक संस्कार किया जाता है, इस दिन घर की दीवालो व फर्श की पुताई व लिपाई करते है। घर के कपड़ो को परिवार या धोबी द्वारा धुलवाया जाता है। मां एवं बच्चे को गर्म पानी से बाड़ी में नहलाया जाता है। बच्चे को व मां को देवी–देवताओं का प्रणाम कराया जाता है तथा सूर्य के सामने बच्चे को ले जाकर सूर्य नारायण का दर्षन करया जाता है। इसी दिन बच्चे के कमर में रेषम की करधन (डोरी) सफेद चूड़ी दोनो हाथो में पहनाया जाता है। कुछ लोग ताबीज आदि भी पहनाते है। घर में आटे से चौक पूर कर दीपक जलाकर बच्चे को धान से भरे हुये सूपे के पास सुलाते है तथा एक लोटे में रखा पानी छुआ कर पृथ्वी, धान आदि को प्रमाण कराया जाता है। इसी दिन घर के बड़े बूढ़े बच्चे का नाम रखते है। वर्तमान में ब्राम्हण को पूछकर भी नाम रखा जाता है। इस दिन बच्चे को कपड़ा भी पहनाया जाता है।

छट्ठी के दिन रिश्तेदारों व गांव के लोगो को आमंत्रित करते है। नाई इस दिन घर के सभी पुरूशो व बच्चो के बाल बनाता है। आमंत्रित लोगो को चाय–बीड़ी तम्बाकू दिया जाता है दोपहर को सभी सगा संबंधियों को खाने में बुलाते है। इस दिन प्रसूता को पुराना चावल अरहर, मूंग की दाल खाने को दिया जाता है। नाई, धोबी, ''सुईन'' को (सीधा) दिया जाता है। सुइन को कुछ धान व पैसा तथा धोबिन व नाई को भी पैसा दिया जाता है। छट्ठी के दिन रात्रि में सतबहिनी व ग्राम देवी–देवताओं को नारियल चढ़ाया जाता है एवं घर के देवी–देवता को भी नारियल चढ़ाते है 12 दिन सुइन आकर प्रसूता को ''बरही'' नहलाती है इस दिन भी उसे सीधा दिया जाता है। प्रसूता को 21 वे दिन एक एकाइसा नहलाया जाता है तब उसे शुद्ध मानते है। बच्चा धीरे–धीरे बड़ा होने लगता है। 5–6 माह बाद कोई अच्छा दिन खीर बनाकर एक कटोरी में लेकर बच्चे को खीर चढ़ाया जाता है। इसे मुँह जुठारना कहते है जो अन्न

प्रासन संस्कार का सरल रूप कहा जाता है। इस दिन बच्चे को अच्छे कपड़े पहनाया जाता है व घर तथा गांव में रहने वाले रिश्तेदारो को खीर खिलायी जाती है। इसके बाद बच्चे को चावल–दाल बिस्कुट आदि थोड़ी–थोडी मात्रा में खिलाना प्रारंभ करते है। बच्चे के 4 माह होने के बाद बच्चे की मां कार्य हेतु खेत जंगल आदि जाने लगती है। बच्चे को उसके दादा, दादी बड़े भाई बहन आदि संभालते है 5–6 वर्ष की उम्र होने पर बच्चे अपने छोटे भाई बहनों को संभालते है। 7–8 वर्श होने पर लड़कियां मां के साथ घर कार्य सीखना प्रारंभ कर देती है। लड़के जानवरों को पानी पिलाना, घास, चारा देना, बैल धोना आदि करने लगते है। 7–8 वर्ष तक लड़के लड़कियां इकट्ठा खेलते है। धीरे–धीरे दोनो माता–पिता से कार्य सीखने लगते है। बिंझवार लड़कियां 12–13 वर्ष के उम्र में गृह कार्य व कृषि के कार्य में दक्ष हो जाती है। लड़का 12–13 वर्ष के उम्र में हल चलाना आदि सीखने लगता है। 14–15 वर्ष के उम्र में कृषि, मजदूरी जंगली उपज संग्रह मछली पकड़ने आदि में कुशल हो जाता है। इसके बाद वे परिवार के जिम्मेदारी में भी भाग लेने लगते है।

विवाह :-

बिंझवार में गोत्रबहिर्विवाह पाया जाता है। इनमें मामा व फूफा की लड़का लड़की को आपस में भाई बहन माना जाता है। इनसे विवाह नही होता इसी प्रकार काका व मौसी के लड़की के साथ भी विवाह नही किया जा सकता। बिंझवारों में वर्तमान में लड़को का विवाह 20–21 एवं लड़किया का 18–19 है पहले लड़को में विवाह 14–15 वर्श के बाद तथा लडकियों का 12–13 वर्ष के बाद कर दिया जाता था कृषि कार्य से निवृत्त हो माघ, फागुन आदि माह में लड़का का पिता अपने लड़का हेतु वधु ढूँढना प्रारंभ करता है। रिश्तेदारो, मित्रों जानपहचान वालो के द्वारा उसे ज्ञात होता है कि अमुक गांव में अमुक बिंझवार की विवाह योग्य लड़की है तब गांव से एक और आदमी लेकर लड़की के घर जाता है। उसके पिता से लड़की के विषय में पूछता है तथा अपने लड़के के विषय में बात करता है। यदि लड़की का पिता विवाह तय करने हेतु तैयार हो जाता है तो उसे लड़का देखने हेतु बुलाया जाता है। लड़का व घर देखकर लड़की का पिता सहमति देता है फिर षुभ भरना (वधु धन) की रकम धान,

दाल व नगदी के रूप में तय किया जाता है फिर फलदान की तिथि तय करने के बाद वर का पिता धान–दाल व नगदी किसी रिश्तेदार के हाथ लड़की के पिता के घर पहुचाता है। विवाह हेतु वर–वधु की राय नहीं जी जाती। वर्तमान में कुछ शिक्षित लड़के लड़की देखने के लिए अब साथ में जाने लगे है।

फलदान :-

पूर्व में निश्चित किया गया दिन वर के पिता अपने साथ गांव व रिश्तेदार के 4–5 व्यक्ति को लेकर तथा अपने साथ कांच की चूड़ियां साड़ी, ब्जाऊज, नारियल, गुड, तेल, उड़द की दाल, हल्दी, सुपाड़ी, बीड़ी आदि लेकर वधु के पिता के घर आते है।

सायंकाल वधू के घर के आगन में चावल के आटे का चौक बनाया जाता है। उसके ऊपर एक कांसे के लोटे में पानी भरकर उसके ऊपर नांद में या दोनो में धान भरकर जलता हुआ मिट्टी का दीया रखा जाता है। इसे कलश कहते है। वर पक्ष से लाया गया समान लेकर वर के पिता तथा उनके साथ आये लोग एक तरफ बैठते है दूसरे तरफ वधू पक्ष के पिता व गांव के अन्य रिष्तेदार बैठते है। इनकी उपस्थिति में वर के पिता व वधु के पिता कलष की पूजा करते है व वर तथा वधू को दोनो आर्षिवाद देते है। वर पक्ष से लाया गया सामान कन्या की फूफू दीदी या बड़ी बहन या भाभी अंदर ले जाकर कन्या को पहनाकर कन्या को साथ लेकर बाहर निकलती है फिर सुवासिन पहले कलष को फिर आये हुए वर पक्ष के लोगो व वधू पक्ष के बुजुर्गो का पैर छूकर प्रणाम करती है। कन्या सुवासिन के पीछे उसका अनुकरण करते हुए प्रणाम करती है, फिर आये हुए लोगो को नारियल गुड का प्रसाद बाँटा जाता है। रात्रि में वर पक्ष से आये लोगों का नेवता (न्यौता) करते है। जिसमें दाल–भात, बड़ा सोहारी (पुड़ी) खिलाया जाता है। रात्रि में महुए की षराब भी पीते है।

विवाह रस्में :-

विवाह बिंझवार जाति में पांच दिन तक चलता है। प्रथम दिवस रात्रि में लगभग 7–8 बजे भोजन आदि कर वर व वधु के घर में पृथक–पृथक गांव के लोग व रिश्तेदार ''चूलमाटी'' जाते है। गांव के बाहर किसी निष्चित स्थान पर सुवासिन वर व वधू की

फू फू दीदी या बड़ी बहन नया ''पर्रा'' बास की बनी गोलाकार व चौड़ा उथला बर्तन में पानी, गुलाल, हूम (दषांग घूप) गुड़ हल्दी, पानी डालकर पिसी हुई हल्दी व आटे का घोल लेकर साथ जाती है। स्त्रियां इस अवसर पर गीत गाते हुए चलती है। निश्चित स्थान पर पहुंच कर ''सुवासिन'' पानी छिड़क कर दीपक जलाकर हल्दी, गुलाल, आटे का घोल छिड़क कर आग में धूप व गुड़ डालती है तथा जमीन को प्रणाम कर साथ में लायी हुई ''सब्बल'' से 7 बार जमीन को खोदती है। बाद में सुवासिन के पति ''सुवासा'' मिट्टी खोदता है जिसे पर्रा में उठाकर सुवासिन घर लाती है तथा एक किनारे में रखती है। रात्रि वापस आने के बाद हल्दी व तेल पीसकर वर–वधु को अपने घरो में सुवासिन द्वारा तेल व हल्दी पैर से षुरू कर सिर तक (वर को बैठाकर चढ़ाते है सुवासिन के बाद वर के बहन, भौजाई, काकी, मामी आदि 4 लोग तेल चढ़ाते है, फिर सूखने पर सुवासिन उसे कपड़े से रगड़कर झाड़ देती है।

दूसरे दिन प्रातः मड़वा गाड़ा जाता है मड़वा हेतु बांस की चार लकड़ी दो–दो को साथ मिलकर जमीन में गड़ाया जाता है फिर उसके चारों ओर लकड़ी गाड़कर ऊपर बांस आदि डूमर (गूलर, महुआ की डाल व पत्ते से मड़वा को छाया जाता है। इन दोनो बाँस के बीचो–बीच चार के दो लकड़ी जिनमें नक्काषी खडी रहती है जिसे '' मंगरोहन '' कहा जाता है, गड़ाया जाता है मंगरोहन बनाने का कार्य सुवासा करता है। फिर नीचे जमीन को मिट्टी के चबूतरे में छिपा दिया जाता है इसके चावल को हल्दी, लाल व नीला रंग से रंग कर चारो ओर विभिन्न आकृति के चौक के रूप में बना दिया जाता है। फिर मंडप की पूजा वहां कलष स्थापित कर सुवासिन, सुवासा व वर वधू की मां करती है। फिर सुवासिन पहले वर को तीर पकड़ाकर मगरोहन को हल्दी चढ़ाकर वर को हल्दी चढ़ाते है। इस प्रकार तीन दिन तक ऐसा करते है। मंडप के दिन वर तथा वधू के परिजन सगे संबंधी कुछ पैसे आदि भेट करने के रूप में देते है। उसी दिन दोपहर सुवासिन गुलाल हल्दी, गुड़ आदि लेकर गांव के बैगा के घर जाकर उनके देव आदि की पूजा करती है इसे ''देवतला'' कहा जाता है। तीसरे दिन पुनः तेल चढ़ाया जाता है। तेल चढ़ाते समय स्त्रियॉ गीत गाती है, तीसरे दिन ही वर के माता पिता को उसका वर का मामा लुगरा व धोती देता है इसे चिकट कहा जाता है इसी दिन ''मायन

(मातृका पूजन) भी होता है, जिसमें देवी देवताओं की पूजा की जाती है।

वर को कुनकुने (हल्के गर्म) पानी से नहलाकर उसे नया कपड़ा पैंट शर्ट पहनाकर सिर में पगड़ी बांधी जाती है दूल्हा का पूरा वस्त्र सफेद रहता है पगड़ी के ऊपर खजूर (झींद) के पत्ते से बना ''मौर'' बांधा जाता है, दूल्हे का श्रृंगार और मौर बांधने का कार्य सुवासा करता है उसे वर के माता पिता ''नेग'' (कुछ रूपये) देते है। इसके बाद वर को मड़वा में खड़े कराकर सुवासिन वर की मां अन्य रिश्तेदार वर के चारो ओर कलष लेकर परिक्रमा कर दीपक के लौ से हाथ गरम कर वर के माथे व मौर में ले जाकर रखती है इसे मौर सौपना कहते हैं।

मौर सौपने के बाद वर के साथ बाजा आदि लेकर बाराती वधु के घर जाने के लिए निकल पड़ते है, यदि गांव के पास रहा तो उसी दिन व गांव से दूर रहा तो एक दिन पहले निकलकर बारात वधू के गांव पहुंचती है बारात में 50 से लेकर 150 व्यक्ति वधू के पिता के हैसियत के अनुसार बारात, ट्रेक्टर, बस से या फिर कोई अन्य व्यवस्था से बारात पहुंचते हैं। वर चार चक्का से या फिर बस से जाते है।

वधु के गांव में बारात पहुंचकर गांव से बाहर किसी वृक्ष की छाया या किसी की परछी पर रूकती है तथा बाजे के आवाज से वधु के घर वालो को जानकारी हो जाती है कि बारात आ गई अतः पानी आदि लेकर वधु के रिष्तेदार आते है पानी आदि पिलाया जाता है। लड़की वाले बारात की अगवानी (स्वागत) हेतु आते है उस समय अखाड़ा, लाडी, तब्बल आदि का खेल खेला जाता है फिर वर व वधु के पिता आपस में समधिन भेट करते (गले मिलते) हैं। बाकी रिश्तेदार भी एक दूसरे से गले मिलते है, फिर बारात वूध के घर की ओर जाती है। वहां सुवासिन दरवाजे पर पर्रा की ओर करके दुल्हन को रखती है। दुल्हा ''लाई'' (धान की कील) मड़वा पर छिड़ककर लाठी से मड़वा को छूता है और चला जाता है अब बरातियों को एक निष्चित स्थान पर ठहराया जाता है जो जनवासा कहलाता है। जनवासे में प्रवेष के पूर्व वधु पक्ष की ओर से नाई व रावत पानी लेकर प्रत्येक बारातियों का पैर धोते है, बाद में पैर धुलाई की (नेग) वर पक्ष से रावत व नाई को दिया जाता है। वधु की छोटी बहन या रिष्ते की छोटी बहन को साथ में लेकर सुवासिन (वधु पक्ष की) व स्त्रियां गाना गाती हुई

जनवासा आती है यहां वर के पास पानी रखकर मजाक के तौर पर वर की साली उसे दातौन कराती है फिर दूध भात (खीर) खिलाती है, इसे दूधभात का नेग कहा जाता है। इस हेतु वर का पिता नेग के रूप में कुछ पैसा वर के साली को देता है, फिर वर पक्ष की ओर से लड़की के लिए मौर, साड़ी, बिंछिया, चूड़ी, पोलका आदि भेजा जाता है जिसे वधु को पहनाया जाता है। बरात जनवासे में विश्राम करती है फिर वधु पक्ष की ओर से तैयार हो जाने के बाद भांवर के लिए बुलाते है। दूल्हा को तैयार कर बराती दुल्हन के घर दरवाजे पर आते है। सुवासिन दरवाजा के सामने पानी डालकर वर का हाथ पकड़ कर मंडप तक ले जाती है तथा मंडप में बैठा देती है, फिर वधु को लाकर दोनो को पूजा कराते है फिर दूल्हा के अल्गी (गमछा) में पीला चावल हल्दी व सुपाड़ी रखकर दुल्हन के आंचल में बांध देते है, इसे गठबंधन कहते है तत्पष्चात दुल्हन व दूल्हा मगरोहन के 5 परिक्रमा करते है। इसमें दुल्हन आगे रहती है दूल्हा पीछे बाद में पूर्व की ओर मुख कर दुल्हन को बैठाया जाता है तथा दूल्हा सिन्दुर जो ''सिधोरालिया'' में रखा रहता है। पांचो उंगली डूबाकर पहले पांच बार भूमि में साक्षी के रूप में लगाता है तत्पश्चात पांच बार दुल्हन के मांग पर लगाता है फिर दूल्हा को दुल्हन के दाहिने बाजू में बैठाया जाता है, बाद में कन्या के माता पिता अपनी आर्थिक स्थिति अनुसार थाली, लोटा, गिलास, बटलोही, गुण्डी आदि दहेज टीकते है। स्थिति के अनुसार गाय–बैल अनाज भी देते है, कही–कही जमीन भी दिया जाता है तत्पश्चात वधु के भाई–भाभी, काका काकी, मामा मामी, फूफू दीदी व फूफा तथा अन्य रिष्तेदार पीले, चावल वर वधु के माथे में टीका लगाकर बर्तन व नगद पैसे आदि देते है। इसे टिकावन कहते है, बाद में गठबंधन का अल्गी वधु के पास छोड़कर वर जनवासे चला जाता है। वधु पक्ष की ओर से बाराती को खाना खिलाया जाता है, जिसमें दाल भात सब्जी (विशेष रूप से कढ़ी या बरी) बरा सोहारी आदि दिया जाता है, खाने के बाद नवदंपती को सुवासिन बाहर मंडप में निकालती है। बाहर वधु का पूरा समान ''झापी'' बास का टोकरा का ढ़क्कन दार मे सामान रखकर निकालते है सुवासिन व वधु के माता वधु को ''मौर सौंपती '' है तथा कुछ अन्य स्त्रियां मौर सौंपती है। लड़के का पिता सुवासिन को ''नेग'' देता है, तत्पश्चात वधु के भाईयों के द्वारा वधु

को गुड़ पानी पिलाया जाता है तथा वधु सबसे मिलकर रोने लगती है रिष्तेदार उसे कुछ पैसा आदि देते है तत्पश्चात वधु की छोटी बहन व सहेलियों को कुछ नेग देता है जिसे गठछोडवनी नेग कहा जाता है। तत्पश्चात वर वधु को कार या गाड़ा गाड़ी में बैठाते है लड़की के माता पिता बारातियों से मिलते है तथा बारात दुल्हन को लेकर वर के घर की ओर चल पड़ती है, वधु के साथ उसकी छोटी बहन, दादी मां, डोकरी दाई जो भी हो साथ में वर के घर आती है उसे लोकड़हिन कहते है।

बारात घर पर आने पर वर की मां व वर की सुवासिन निकल कर दरवाजे पर पानी, गोलाकार रूप से डालती है उसे पानी ओछारना कहते है तत्पश्चात वघु वर का हाथ पकड़कर घर के अंदर लाती है, कुछ आराम कर नाश्ता करने के बाद दोपहर पष्चात वर के घर पुनः भांवर पड़ता है इसमें वर आगे रहता है वधु पीछे फिर दोनो को बैठाकर वर के घर में सिर्फ टिकावन के तौर पर नगद रूपये दाईज टीकते है। तत्पश्चात् बरातियों को खाना खिलाकर अपने अपने घर जाने दिया जाता है दूसरे दिन दुल्हा व दुल्हिन को एक कपड़ा छत की तरह पकड़ कर छाया में तालाब ले जाया जाता है वहाँ दूल्हा दुल्हन को स्नान कराते है फिर सुवासिन उनसे मिट्टी की कलश छोटे–छोटे घड़े पानी में कमर जितनी गहराई में डाल देने के बाद निकालने को कहती है जो करंसी पहले निकालता है उसकी जीत मानी जाती है फिर वधु उस करंसी में पानी लेकर आगे–आगे चलती है पीछे दूल्हा धनुष बाण लेकर चलता है, सुवासा आगे घास का हिरण लेकर चलता है।

पठौनीः-

विवाह के पश्चात् जब वधू की युवावस्था आ जाती है 18–19 वर्ष की हो जाती है तब गौना किया जाता है। विवाह के पष्चात् यदि वधु 14–15 वर्ष की हो तो उसे हर वर्ष दशहरा के समय मेवाखाई या नेवाखायी के समय उसे वर का पिता 2–3 दिन के लिए अपने घर लाता है फिर उसे लुगड़ा आदि देकर पहुँचा आता है। वधु के युवावस्था होने पर वर का पिता वधु के पिता के पास पठौनी मांगने आता है। वधु का पिता पठौनी के लिए यदि लड़की की अवस्था या कुछ समस्या बताता है और वर का पिता सहमत हो जाता है तो पठौनी दूसरे वर्ष के लिए तय हो जाता है या फिर पठौनी देना हो तो

दिन तय किया जाता है निश्चित तिथि को वर का पिता 10–15 व्यक्ति को पठौनी बारात के रूप में लेकर आता है, वधु पक्ष वाले उनका स्वागत करते है आपस में भेंट जोहार (गले मिलना) होता है इन्हे जनवासा में ठहराया जाता है, बाद में बीड़ी, तम्बाखू आदि दिया जाता है, भोजन तैयार होने पर बरातियों के पास बुलावा भेजा जाता है, भोजन कराया जाता है तत्पश्चात् वधु की मां उसी दिन या दूसरे दिन प्रातः घर के आंगन में सुवासिन से चौक पुराकर उसमें झांपी को रखती है, झांपी में चावल, रोटी, अरसा, बरा, सोहरी, तेल, कंघी, दर्पन, साबुन, फीता आदि रखा जाता है साथ ही साथ लुगड़ा, पोलका आदि भी झांपी में रखती है। तत्पश्चात् वर व वधू को खड़ा कर वर के कंघे में एक पेंट, शर्ट, धोती व वधू के कंधे में एक लुगड़ा डाली जाती है, रिश्तेदार व गांव वाले अपने इच्छानुसार ''लुगड़ा पोलगा, पैसा आदि वधु को देते है वधु सबसे मिलकर बिछड़ने के दुख के कारण रोती है मां आदि अन्य औरतें भी रोती है सबसे मिलने के बाद सुवासिन वधु को गांव के बाहर तक वधु के साथ जाती है वर भी साथ रहता है वधु के माता पिता, भाई बहन, भाभी व गांव के बुजुर्ग पुरूष गांव के बाहर तक साथ आते है, फिर गांव के बाहर वधु के भाई वधु का गुड़पानी पिलाता है यदि वर जिस साधन में ले जाना चाहे उसी में वधु बैठते है या फिर पैदल ही चल पड़ते है।

जब पठौनी बारात वधु को लेकर दूल्हा के गांव आ जाता है तो उसका स्वागत किया जाता है दरवाजे पर पानी डाला जाता है, वधु वर की आरती उतार घर में प्रवेश कराते है। झापी से लुगड़ा कपड़ा घोती, पैसा आदि निकालकर लोगो के देखने हेतु बाहर निकाल दिया जाता है फिर वर–वधु आये हुए समस्त बड़े लोगो को प्रणाम कर आर्षीवाद लेते है गांव वालो को रात्रि में पठौनी का खाना खिलाया जाता है रात्रि में दुल्हा–दुल्हन मिलते है तत्पश्चात उनका पारिवारिक जीवन प्रारंभ हो जाता है। यदि दुल्हन के युवावस्था में विवाह होता है तो पठौनी उसी वर्श 18–19 दिन के बाद भी दे दिया जाता है।

बिंझवार में विवाह का प्रकार

बिंझवार में निम्नलिखित प्रकार के विवाह देखे जाते है :–

1. **लमसेना या घरजिया** :- जब वधु के पिता पुत्र न हो या फिर शुभ भरना देने में

असमर्स्थ हो तो कुछ समय तक जमाई बनकर वधु के पिता के घर रहता है।

2. **राजी खुशी विवाह** :- वर–वधु के माता पिता द्वारा समाज के नियमों को स्वीकार कर किया गया विवाह जो उपर वर्णित है।
3. **पेहू विवाह** :-जब कोई अविवाहित लड़की जबरजस्ती प्रेमी के घर घुस जाती है पेहू विवाह कहते है। यह घुस पेहू विवाह का स्वरूप है।
4. **उदरिया विवाह** :- जब वर वधु के माता पिता सहमत न हो या विवाह हेतु खर्च करने के लिए हाथ में रकम न हो प्रेमी–प्रेमिका भागकर दूसरे गांव चले जाते है बाद में आने पर सामाजिक कुछ अर्थदण्ड देकर पति पत्नी के रूप रहने लगते है। यह सहपलान विवाह है।
5. **गुरांवट विवाह** :- जब एक वर की बहन दूसरे वर की पत्नी व दूसरे की बहन पहले की पत्नी बनता है ऐसा विवाह गुरावट कहलाता है। यह अदला–बदली या विनिमय विवाह का रूप है।

विवाह विच्छेद :-

पति–पत्नी में झगड़ा होने, पति के निकम्मा होने पत्नी के दुश्चरित्र होने, जादू मंत्र वाली टोनही होने या वधु को तकलीफ देने आदि कारणों से जाति पंचायत के समक्ष विवाह विच्छेद किया जाता है।

पुनःविवाह :-

पति की मृत्यु होने पर देवर अपनी विधवा भाभी को पत्नी बनाकर रख लेता है यह विधि चूड़ी पहनाना कहलाता है। देवर के अभाव में व्यक्ति जो विधुर हो या विवाह विच्छेद हो चुका हों विधवा या विवाह विच्छेद वाली महिला को चूड़ी पहनाता है। इसमें गांव के बुजुर्गो के समक्ष नया साड़ी ब्लाऊज व चूड़ी उस पुरूष की ओर से महिला को दिया जाता है तथा समाज वालों को भोज दिया जाता है यदि विवाह बाद एवं पठौनी से पहले किसी लड़की के पति की मृत्यु हो जाये तो उसे ''बरेंडी'' कहते है। किसी विवाहित को कोई भगा ले जाता है या फिर मायके में पति को छोड़ बैठी स्त्री को कोई पुरूष चूड़ी पहनाता है तो उसे सामाजिक भोज के अतिरिक्त पहले पति को बिहाती या

षुभ भरना के रकम का हर्जाना या विवाह खर्च का हर्जाना देना पड़ता है। बिहाती या बटा लेने वाला रकम पंचायत करती है उक्त रकम का कुछ भाग पंचायत को दिया जाता है।

दाम्पत्य जीवन :-

विवाह के कुछ वर्ष पश्चात जब एक दो बच्चे हो जाते है छोटे भाई बहनों का विवाह हो जाता है तो कुछ दिनो बाद भाईयों में बटवारा हो जाता है। सब अपने अपने हिस्से की जमीन में मेहनत करते है। अर्थोपार्जन हेतु जंगल मजदूरी, जंगली उपज संग्रह, कृषि आदि करते है तथा अपने बच्चों की परवरिश व विवाह करते है, समय–समय पर भाईयों, माता–पिता से मिलते रहते है। इस तरह धीरे–धीरे वृद्धावस्था प्रारंभ होने लगती है।

वृद्धावस्था:-

जब किसी बिंझवार के सभी लड़का लड़कियों का विवाह हो जाये एवं पुत्र पुत्रियों की भी संतान हो जाये अर्थात जब बिंझवार दादा बन जाता है जो अपने आप में वृद्धावस्था में मानता है, जिन्हे ''सियान'' कहते है।

निःसंतान दंपत्ति की 50 वर्ष बाद वृद्धावस्था में गिनती होने लगती है इनका कार्य मेहमानों की देखरेख करना, खेती के कार्यो की सलाह अपने बच्चों को देना कि कौन सी फसल किस खेत में बोना है, खेतों का निरीक्षण करना, सामाजिक व गांव की बैठको में जाना, रस्सी बनाना, बढ़ई गिरी करना आदि कार्य करते है। सयानी स्त्रियां बहुओं को सलाह देती है, जब बहुएं खेत गई तो उनके बच्चों को संभालती है। वृद्धा अवस्था में सामाजिक प्रतिष्ठा में कुछ वृद्धि हो जाती है।

मृत्यु:-

मृत्यु के संबंध में इनका विश्वास है कि जब तक ''जीव'' आत्मा शरीर में रहता है तब तक आदमी जिन्दा होता है जब ''जीव'' शरीर छोड़कर चला जाता है तब उसे मृत्यु हो गया कहते है भगवान उस जीव को अपने पास बुला लेता है तब उस प्राणी की मृत्यु होती है। आकस्मिक दुर्घटना, हत्या या आत्महत्या द्वारा हुए मृत्यु को अल्पकाल

(अकाल) मृत्यु कहते है इस प्रकार की मृत्यु में इनका विश्वास है कि इनका जीव भूत–प्रेत बनकर भटकता रहता है, यदि कोई व्यक्ति शारीरिक पीड़ा व पीड़ा जनक रोग से ग्रसित है तो कहा जाता है कि उसके कर्मो का फल भुगत कर मर रहा है, यदि व्यक्ति रोगी होता है तो बैगा आदि बुलाकर उपचार कराता है देवी–देवताओं में बलि भी देते है यदि वह बच जाता है तो इनका विश्वास बैगा पर अधिक दृढ़ हो जाता है किन्तु यदि मर जाता है तो कहा जाता है कि भगवान ने इसे उतने ही दिनों के लिए भेजा था।

जब किसी व्यक्ति का मृत्यु क्षण निकट आ जाता है तो लोग जमीन को गोबर से लीपकर उस व्यक्ति को जमीन पर सुलाया जाता है, इस संबंध में इनका कहना है कि जन्म व मृत्यु धरती माता की गोद में होना चाहिए मृत्यु के समय परिवार वाले व रिश्तेदार उसके मुंह में गंगाजल, तुलसी पत्र का रस महाप्रसाद, दूध, दही आदि डालते है। यदि घर में बछिया हो तो उसकी पूँछ मृतक के हाथ में छुआते है इसे बतेरणी कहा जाता है, बाद में बछिया भांजे या बेटी को दे दिया जाता है। मुह में गंगाजल आदि पवित्र वस्तु डालने के संबंध में यह विश्वास किया जाता है कि मृतक की आत्मा को इससे षांति मिलेगी सभी पाप कट जाऐगे।

मृत्यु के बाद मृतक के षरीर को रिष्तेदार व ग्रामवासी मिलकर नहलाते है फिर हल्दी व तेल का मिश्रण लगाते है। नया कपड़ा पहनाया जाता है फिर उसे बांस की बनी हुई खंटनी (अर्थी) या उल्टा खटिया में सुलाया जाता है फिर इनको सफेद कपड़ा ओढाकर मुआ की रस्सी से अर्थी के साथ बांध देते है जिसमें ले जाते समय शव गिर न पडे। चारो ओर किनारे में केले के पत्ते बाधे जाते है, फिर धान व कुछ 1,2 रूपयें के सिक्के को मिलाकर एक व्यक्ति रखकर आगे चलता है तथा चार निकट संबंधी पुत्र भतीजा, नाती, भाई का अन्य रिष्तेदार चार लोग अर्थी को कन्धे पर उठाकर रामनाम सत्य है, सबकी यही गत है कहते हुए श्मशान की ओर ले जाते है, साथ में धान व पैसा घर से बाहर निकालते समय जमीन में छिड़का जाता है स्त्रियाँ रोती हुई घर के दरवाजे तक आती है फिर वापस चली जाती है गांव से बाहर निकलने पर एक जगह अर्थी कुछ देर उतार कर चारो व्यक्ति आपस में घूमकर अपना स्थान बदलते है।

मृतकों को प्रायः दफनाया जाता है, इसलिए 3–4 व्यक्ति पहले ही श्मशान जाकर लगभग 2 हाथ चौड़ा व 5 हाथ लम्बा व 3 से 2/2 हाथ गहरा गढ़ढा खोदकर रखते है। तत्पश्चात अर्थी के पहुँचने पर उसे उतार कर पहले जमीन में 1–2 रूपये सिक्का डालकर षव के गहने आदि निकाल लेते है फिर उसे गढ़ढे में उतार कर नमक एक मुठ्ठी धान, तिल व पैसा उसके शरीर में डाल सभी व्यक्ति थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल, दूर से ही प्रमाण करते जाते है। तत्पश्चात गढढे को मिट्टी से दबादबा कर पूरा भरते है, बीच में कांटा बोरझरी डालते है ताकि उद बिलाव आदि जंगली जन्तु शव को खोदकर खा न सके, फिर मिट्टी जमीन से 1 फुट उपर तक डालकर उसमें पानी डालकर उपर गोबर से लीप दिया जाता है। उसके उपर धान, उड़द, पैसा आदि छिड़कर कर रख देते है। शव का सिर उत्तर की ओर रखा जाता है, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी व प्रतिष्ठित बुजुर्ग हो जिनकी अस्थि महानदी या गंगा जी ले जा सके उसके शव को जलाया जाता है। मृत्यु का गांव में पता चलते ही लोग मृतक के घर के पास अपनी सामर्थ्य अनुसार लकड़ी व छेना (कंडा) एकत्र करते है बाद में इसे बैलगाड़ी में श्मशान पहुंचा दिया जाता है शव के श्मशान पहुँचने पर एक दो व्यक्ति चिता रचते है। चिता उत्तर दक्षिण रखा जाता है फिर उसमें अनाज व पैसा आदि डालकर उपर पुनः कंडे व लकड़ी रखकर दाग देते है। कुछ व्यक्ति इसमें घास के छोटे–छोटे पूले बनाकर रख देते है, जिससे आग जल्द फैल सके। बड़ा पुत्र आग लेकर चिता के चारों ओर परिक्रमा कर सिर के तरफ से चिता में आग लगा देता है। कुछ समयोपरान्त बांस की लकड़ी से चिता की लकड़ी को एकत्र करते है व शव के सिर के तरफ उलटाते है इसे रवोदास कहा जाता है चिता में पूरी तरह अग्नि फैल जाने पर लोग नदी या तालाब में स्नान हेतु जाते है। स्त्रियां स्नान करती है फिर नदी किनारे में छोटा सा गढ़ढा बना दातौन व दूबी गड़ा कर आसपास चावल छिड़क कर सभी औरते 5–5 ''पसर'' (अंजनी) पानी उस पर मृतक के नाम से डालती है। पुरूष भी स्नान आदि कर उसी स्थान पर जहां स्त्रियां पानी दी थी वही पानी देते है, फिर सब एक कतार में घर आते है, घर का प्रमुख आगे, रहता है फिर शेष लोग एक एक के कतार में सब पुरूष मृतक के घर के पास से आकर थोड़ा चावल दाल व नमक मिर्ची

लेकर मृतक के घर पुनः पहुचते है। मृतक के घर 3 दिन तक भोजन नहीं बनता गांव में रहने वाले सगा संबंधी रिश्तेदार आदि परिवार वालो व बाहर से आये मेहमानों को बुलाकर खिलाते है।

मृत्यु के तीसरे दिन तीज नहावन रखा जाता है इस दिन यदि मृतक को जलाया गया हो तो अस्थि चूनते है तथा इसे एकत्र कर दुहना (महका) में एकत्र करता है। फिर स्त्री व पुरूष गांव के अन्य स्त्री पुरूषों के साथ अलग–अलग समूह के रूप में कतारों में घर से निकलकर स्नान हेतु तालाब व नदी जाते है। वहां स्नान कर पानी देकर वापस घर आते है। सायंकाल केला के पत्ते में दाल भात गांव के बाहर मृतक के नाम से प्रतिदिन दसकरम तक रखते है। इसी दिन अस्थि को एक जगह रखकर उस पर दीपक जलाते है। फिर गंगा या महानदी जाने वाले इसे लेकर गंगा चला जाता है वहां अस्थि विसर्जित कर श्राद्ध करा वापस लौटता है।

मृत्यु के दसवे दिन दशकरम कहलाता है इस दिन परिवार के व्यक्तियों का कपड़ा धोबी से धुलवाते हैं, नदी के किनारे परिवार रिष्तेदार व गोत्र के लोगो के बाल, दाढ़ी, मूछ आदि नाई उतार देता है।

स्त्रियाँ मृतक की विधवा स्त्री के गहने–चूडिया आदि इस दिन उतार देती है पूरे घर की लिपाई पुताई भी किया जाता है, स्थान पर पानी देकर लौटने के बाद रात्रि में गांव वालों को भोजन कराया जाता है कही–कही इसे धिनबाद कहते है व तेरही कहते है। छोटे बच्चों का तेरहवी 3 दिन में ही कर देते है। इस दिन से परिवार षुद्ध हुआ माना जाता है।

प्रथम पितृ पक्ष (क्वार) कृष्णपक्ष में जिस तिथि को मृत्यु हुआ है उसी तिथि में उसे पानी देकर उसके नाम पर बरा भजिया बनाकर व उस दिन उसकी प्रिय सब्जी बनाकर उसके नाम से निकाल कर बाहर ''छानी'' (छप्पपर) पर रख देते है। इसे पितर मिलौनी कहते है इसके बाद पितृ पक्ष में प्रत्येक वर्ष उनके नाम से पितर मनाया जाता है पानी दिया जाता है।

अध्याय - 6

राजनैतिक संगठन

बिंझवारों में सामाजिक नियंत्रण हेतु परम्परागत राजनैतिक संगठन पाया जाता है, बिंझवारों के अनुसार उनके समाज व गांव में निम्नलिखित राजनैतिक संगठन कार्यशील है।

1. जाति पंचायत
   - (अ) ग्राम स्तरीय जाति संगठन
   - (ब) राजद एक क्षेत्र ब्लाक स्तरीय (जाति पंचायत)
   - (स) जिलास्तरीय जाति पंचायत (बिंझवार सभा)
   - (द) छत्तीसगढ़ बिंझवार महासभा (राज्य स्तरीय)
2. गांव पंचायत
3. आधुनिक ग्राम पंचायत

1. जाति पंचायत

(अ) ग्राम स्तरीय जाति संगठन - प्रत्येक ग्राम में अपना अलग–अलग जाति पंचायत होता है इस पंचायत के सदस्य सिर्फ बिंझवार जाति के ही लोग होते है, बिंझवार में जो व्यक्ति सम्पन्न व तेज न्याय वाला होता है वह गांव में (गौटिया) कहलाता है, बाकि सब सदस्य जाति पंचायत के पंच होते है, गौटिया का मूल वंश परम्परागत होते है इसका कार्य निम्नानुसार है।

1. जाति की देवी देवताओं के पूजा हेतु चंदा इकट्टा करना।
2. सगोत्र विवाह रोकना।
3. जाति के सदस्यों का अन्य जाति के सदस्यों के साथ विवाह रोकना।
4. राजद जाति पंचायत के नियम आदि गांव के लोगो को बताना।

(ब) राजद जाति पंचायत - इसके अन्तर्गत लगभग 150–200 ग्राम के बिंझवार आते है यह गांव स्तरीय जाति पंचायत में फैसला न हो पाने वाले मामलो पर फैसला

देती है। इसके सदस्य प्रत्येक गांव का गौटिया होता है, सभी गौटिया आपस में इकट्ठा होकर राज जाति पंचायत का गौटिया, पंच, छडीदार, खजांची आदि चुनते है।

गौटिया - गौटिया राज के बिंझवार जाति पंचायत का प्रमुख होता है। 1, 2, 3, 4, 5 एवं 6 आदि अलग–अलग राज है जिनमें अलग–अलग गौटिया है, गौटिया का पद वंश परंपरा अनुसार ही होता है कोई भी ग्राम गौटिया यह पद चुना जा सकता है। गौटिया की निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए।

1. बिंझवार समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति हो।
2. जेल आदि न गया हो।
3. 30 साल से अधिक उम्र का न हो।
4. जाति के नियमों का ज्ञान रखता हो।
5. न्याय प्रिय स्पष्टवादी व सत्यनिष्ठ हो।
6. शिक्षित हो।
7. जाति के कार्य हेतु समर्पण की भावना हो।
8. चरित्रवान हो।

कार्य :-

1. जाति के उत्थान हेतु कार्य करना।
2. जातिगत झगड़ो का निपटारा करना।
3. विवाह विच्छेद आदि मामला निपटाना।
4. बिहाती आदि के झगड़े निपटाना।
5. दूसरी जाति में किये विवाह, व्याभिचार का फैसला करना।
6. जाति के प्रमुख देवी का मंदिर बनवाना वार्षिक पूजा की व्यवस्था करना।
7. सगोत्र विवाह आदि पर फैसला देना प्रायश्चित करवाना।
8. भाई–बहन, सास–दामाद, पिता–पुत्री आदि के अनैतिक संबंधों का प्रायश्चित करवाना, दण्ड देना।

9. गौ हत्या आदि का प्रायश्चित करवाना।
10. ग्राम स्तरीय जाति पंचायत मे न निपटे मामले को निपटाना।
11. अलग–अलग ग्राम के बिंझवारों के जाति संबंधी मामलो को निपटाना।
12. षुभ, अनैतिक संबंधी, बिहाती आदि की रकम पूरे राज्य के लिए तय कर देना।
13. बरातियों की संख्या, चौथिया की संख्या आदि का बोझ लोगो पर अधिक न पडे अतः इनकी संख्या तय कर देना।
14. जाति के संबंधित नियम बनाना।

2. **खजांची** :- ग्राम स्तरीय जाति पंचायत के किसी संपन्न गौटिया को खजांची चुना जाता है खजांची के लिए योग्यता निम्नलिखित होनी चाहिए।

1. शिक्षित हो।
2. ईमानदार
3. सचरित्र
4. न्यायप्रिय व समदर्शी
5. वयोवृद्ध हो
6. सम्पन्न हो

कार्य :-

1. आय व्यय वार्शिक लेखा जोखा रखना
2. खर्चो की व्यवस्था करना
3. चंदा की रकम प्रत्येक गौटियो से लेना
4. राज्य जाति पंचायत में आये लोगो के भोजन की व्यवस्था करना।

3. **पंच** :-ग्राम गौटिया में से 4–5 को पंच चुनते है जो कि गौटिया के साथ मिलकर राज जाति पंचायत के कार्यो को निपटाने में मदद करते है, फैसला करते है, नियमों का अनुमोदन करते है।

4. **छड़ीदार** :- ग्राम गौटिया ही मिलकर छड़ीदार चुनते है छड़ीदार का कार्य गौटिया के आदेशानुसार बैठक में बुलाने हेतु सदस्यों के पास खबर व आयोजनों के

अवसर पर भोजन बनवाने के कार्यो में देख रेख व भोजन बनने पर सदस्यों के बुलाने आना। छड़ीदार को प्रत्येक बैठक या मामले की सुनवाई पर 50 रू दिया जाता है यह बहुत कम है किन्तु सामाजिक कार्य में मानदेय की भांति ग्रहण करता है।

सभी पद अनैतिक होता है। गौटिया व पंचों की मृत्यु होने पर उसके स्थान पर नया गौटिया, पंच या खजांची चुनते है। कई बार अवस्था या अधिक वृद्ध होने पर गौटिया, खंजांची के त्यागपत्र देने पर नया चुनाव किया जाता है, जो जाति पंचायत के निर्णय को नही मानता उसे जाति के सदस्य से बहिस्कृत करते है। रोटी, हुक्का–पानी बिलकुल बंद कर देते है।

(स) जिला स्तरीय बिंझवार सभा - इसमें अध्यक्ष–उपाध्यक्ष कोशाध्यक्ष सचिव आदि होते है इस संगठन में ब्लाक स्तरीय समिति से गौटिया खजांची व पंच आदि भाग लेते है व आपस में मिलकर अध्यक्ष कोशाध्यक्ष उपाध्यक्ष, सचिव (मंत्री) आदि चुनते है। इनका कार्य जाति के विकास हेतु कार्यक्रम, शिक्षा पर जोर व कई पुरानी परम्परा जो अधिक खचीर्ली है, को संषाधित करने आदि का है।

(द) छत्तीसगढ़ बिंझवार महासभा - इस संगठन में रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ आदि जिले के बिंझवार जाति के लोग सदस्य है, इनमें भी अध्यक्ष, सचिव जैसे आधुनिक पद है। इनका कार्य जाति को कुप्रथाओं, अंधविष्वास, अज्ञानता से दूर करना व जाति की उन्नति करना है।

उपरोक्त दोनो सभाएं नवीन तथा इसमें पढ़े लिखे सदस्य अधिक है। ग्राम में बिंझवारों के मामले ग्राम स्तरीय जाति पंचायत व राज जाति पंचायत में ही निपटा लिया जाता है।

2. **ग्राम पंचायत** - इसमें बिंझवारों के साथ रहने वाली अन्य जातियां जैसे गोंड, कंवर, सवरा, ब्राम्हण, अघरिया, क्षत्रीय, केंवट, रावत, गांडा, महरा, धोबी, नाई आदि समस्त ग्रामवासी सदस्य होते है। इस पंचायत का प्रमुख पटेल होता है। यह पद भी जीवन पर्यान्त है इन्हे रेन्यू पहेल भी कई स्थानों में कहा जाता है गांव के अन्य व्यक्ति सदस्य होते है किसी मामले के फैसले के लिए पटेल के साथ 5–7 लोगो का पंच बना

लेते है। पंच हर फैसले में बदले जाते है, किन्तु पटेल का पद स्थाई होता है।

यह पंचायत निम्नलिखित कार्य सम्पन्न करती है :–

1. गांव में अलग–अलग जातियों के बीच होने वाले झगड़ों का निपटारा
2. गांव के विकास हेतु विभिन्न कार्यो का आयोजन।
3. गांव के देवी–देवताओं के पूजा व्यवस्था व चंदा एकत्र करना।
4. विवाह विच्छेद मामलो का निपटारा।
5. ''विहाती'' धड़ा आदि का निपटारा।
6. अलग–अलग जाति या एक ही जाति के सदस्यों के बीच अनैतिक संबंधों का निपटारा।
7. निकटा, निगमन, जैसे– भाई–बहन, ससुर–बहु, सास–दामाद, बाप–बेटी के अनैतिक संबंधों का निपटारा।
8. किसी कुंवारी लड़की के गर्भ रह जाने पर लड़के का पता कर उनको दण्ड देना व लड़की को स्वीकारने हेतु बाध्य करना।
9. गौ हत्या आदि का प्रायश्चित कराना।
10. भाईयों के बीच संपत्ति के बटवारा पंचायत के समक्ष सबूत के तौर पर करना।
11. भूमि संबंधी सामान्य विवादों का निपटारा।
12. गांव की साफ–सफाई पानी आदि स्वच्छता, चारागाह आदि से संबंधित बातों का निपटारा आदि।

3. आधुनिक ग्राम पंचायत

आधुनिक ग्राम पंचात में वर्तमान चुनाव पद्धति है, इसमें भी बिंझवार जाति के पंच सरपंच या उपसरपंच रखते है अब वर्तमान में चुनाव कांग्रेस, भाजपा आदि पार्टी के नाम पर लड़ा जा रहा है। ग्रामवासी व बिंझवार इस पद हेतु व्यक्तिगत गुणा जैसे–शिक्षण सुचरित्रता, कार्य करने की शक्ति, सामाजिक प्रतिष्ठा, निष्ठा व ईमानदारी, सम्पन्नता आदि गुण देखकर पंच या सरपंच चुनते है।

इस पंचायत का चुनाव व कार्य पद्धति सामान्यतः लोगो को ज्ञात रहता है अतः यहां प्रकरण आधिक विस्तृत न हो इस लिए अलग से नही दिया जा रहा है।

ग्राम पंचायत में बिंझवार जाति के लोग जनपद सदस्य, सरपंच, पंच, सचिव के पदों पर कार्यरत है चुनावी प्रक्रिया के दौरान अपनी जाति के सदस्यों को सर्वसम्मति से चुनाव में खड़ा कराते है उसे चुनते है।

अध्याय – 7

धार्मिक जीवन

बिंझवार जाति की आराध्य देवी मां बूढ़ी माई, विंध्यवासिनी, दूल्हादेव, दुल्हीन दाई परमेश्वरी देवी, ठाकुरदेव, करिया धुरुवा, माता देवाला, शीतला माता, परिहार देव, कंकालिन माता, साहड़ा देव, भैसासुर, घटवालिन, सतबहिनी, शंकर भगवान, हनुमान जी आदि। ग्राम देवी–देवता की पूजा गांव के बैगा–बैगिन के द्वारा की जाती है। घर में घर परिवार के मुखिया के द्वारा की जाती है। घर में अपने गोत्र व्यवस्था के अनुसार अलग–अलग देवी–देवता की पूजा करते है। घर में पूजा गृह रसोई घर के एक कोने में स्थापित किया जाता है। गांव में ग्राम देवी–देवता गांव के बीच माता चौराहा में बनाए जाते है। जहां ग्राम के सभी देवी–देवता का पूजा अर्चना की जाती है।

(1) दूल्हा देव -

दूल्हा देव गांव के एक किनारे पर स्थित चबूतरा जैसी रचना में स्थित होता है। इनकी पूजा नवाखाई, अकती, अक्षय तृतीया, हरियाली श्रावण अमावस्या आदि में किया जाता है। पूजा में नारियल, मुडका हूम, शराब तथा काला बकरा की बली दी जाती है। गांव की ओर से 3 साल में एक बार बलि देते है। जबकि नारियल वर्श में दो तीन बार चढ़ाया जाता है।

(2) ठाकुर देव -

ठाकुर देव बिंझवारों का मुख्य देव है। यह गांव की रक्षा करता है। गांव में बीमारी, पशुओं की बीमारी के समय प्रत्येक वर्ष हरेली, श्रावण अमावस्या, नवाखाई तथा अकती को इनकी पूजा की जाती है।

(3) करिया घुरुवा -

गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे इनका निवास माना जाता है। ये गांव को जादू–टोने के प्रकोप से बचाते है। इनकी पूजा हरेली, नवाखानी तथा अकती में होती है। इन्हें नारियल, गुड का हूम, शराब, गांजा, काला बकरा या काला मुर्गी की बलि

दिया जाता है।

(4) माता शीतला -

गांव में एक किनारे पर नीम वृक्ष के नीचे घर बना हुआ है यहां त्रिशूल आदि रखा है जिसके पास चबूतरा बना है। प्रतिवर्श हरेली, नवाखानी अकती तथा शीतला के पहुचानी व ग्रीष्मकाल में जुड़वास के अवसर पर पूजा किया जाता है। इन्हें नारियल, हूम, नीबू काली या खैरी बकरी या काली या खैरी मुर्गी बलि दिया जाता है। यह चेचक से गांव की रक्षा करती है।

(5) कंकालिन माता -

कंकालिन माता का स्थान बैगा के घर के पास होता है। चबूतरे में त्रिशूल व काल मण्डाई, काली लंबी ध्वजा लगी रहती है। यह मनुश्य और पशुओं को हैजा, अतिसार आदि से बचाता है। इनकी पूजा हरेली, नवाखानी, अकती शारदीय नवरात्रि तथा बसंत नवरात्रि में किया जाता है। इन्हे नारियल नीबू, गुड का हूम, काली ध्वजा काली बकरी या काली मुर्गी बलि में दिया जाता है।

(6) शंकर जी -

तालाब के किनारे बना हुआ शिवलिंग है इनकी पूजा श्रावण सोमवार, शिवरात्रि में कुवारी लड़किया उपवास रखती है। शंकर जी में बेलपत्र, फूल नारियल, धतूरा व चावल चढ़ाया जाता है। कई पुरूष व महिलाएं हर सोमवार को व्रत रखती है।

(7) साहड़ा देव -

इसका स्थान खैरागढ़ के पास है। जानवरों के रक्षा हेतु इनकी पूजा दीवाली के दिन किया जाता है। इन्हे दूध, नारियल, गुड़ का हूम आदि चढ़ाते है।

(8) भैसासुर -

इनका स्थान खेतो के बीच गूलर के पेड़ के नीचे है। भैसासुर अन्न उत्पादन तथा खेती का देवता है। अच्छी उपज तथा खेत में रोग न हो इसलिए इनकी पूजा की जाती है। अकती, नवाखानी, हरियाली में पूजा करते है। इन्हे नारियल बकरा चढ़ाते है। हर 3 साल में सुअर की बलि भी दी जाती है।

(9) धरबालीन -

धरबालीन तालाब के पास है, गांवों की रक्षा हेतु इनकी पूजा करते है। इन्हे 3 साल में एक काली या खैरी बकरी बलि में देते है। प्रतिवर्ष हरियाली में नारियल से पूजा करते है।

(10) सतबहिनी -

इनका स्थान नीम वृक्ष के नीचे गांव के बीच में माना जाता है। वह बच्चों की भूत–प्रेत से रक्षा करती है। हरियाली, अकती, नवाखानी में नारियल, गुड़ का हूम से इनकी पूजा करते है। बच्चें की छठी के दिन यहां उस परिवार वाले काली चूड़ी, फीता व नारियल चढ़ाते है।

(11) हनुमान जी -

गांव में पीपल वृक्ष के नीचे बजरंग बलि की प्रतिमा होती है। इनकी पूजा दशहरा, दीवाली, होली, आदि के अवसर पर सिन्दूर व तेल तथा लालध्वज चढ़ाकर करते है। कई लोग वर्ष भर मंगलवार को हनुमान जी का व्रत करते है।

(12) कुल देवी देवता -

बिंझवार जाति में अलग–अलग गोत्रों के अलग–अलग देवी–देवता होते है। जैसे सोनवानी गोत्र के लाग दूल्हा देव की पूजा प्रतिवर्ष सामूहिक रूप से करते है। काला बकरा की बलि 3 साल में एक बार दिया जाता है। सरई गोत्र वालों की कुल देवी कंकालिन माता है। तीन वर्ष बाद काले बकरे की बलि व प्रति वर्ष नारियल नीबू से पूजा करते है। बाघ गोत्र के लोग ठाकुर–देव की पूजा प्रतिवर्ष नारियल से करते है। 3 वर्ष बाद सफेद बकरा की बलि देते है।

इसके अतिरिक्त बिंझवारों के घर में अपने अलग से देव प्रत्येक परिवार में होते है। परिवार के विभाजन पर कुछ समय देव की पूजा साथ मिलकर करते है। बाद में नये घर में चबूतरा बनाकर पुराने देव स्थान की थोड़ी सी मिट्टी यहां लाकर चबूतरे में मिला देते है। प्रत्येक त्यौहार में पूजा हूम दिया जाता है। जन्म विवाह आदि के समय

बकरे व मुर्गी की बलि भी दी जाती है।

इन देवी–देवताओं के अतिरिक्त बिंझवार जाति के लोग राम कृष्ण, गणेश, शिव, हनुमान, सरस्वती, लक्ष्मी, विष्णु, हलपष्ठी, संतोषी, दुर्गा, महाकाली आदि की भी पूजा करते है। जो कि गांव की दूसरी जाति की तरह होती है। पूर्वजों की पूजा प्रतिवर्ष क्वार कृष्ण, पितर में हर दिन ब्राम्हण के द्वारा किया जाता है। कुश से पूर्वजों को पानी देकर व चांवल, उड़द रखकर प्रमाण करते है। और घर में बड़ा–पूडी, दाल–भात पितरों के नाम पर हूम आग में जलाकर कुछ पत्ते में रखकर छप्पर में रखते है जिसे कौआ खा लेता है। मान्यता है कि पितर कौआ का रूप लेकर उसके यहां खाने आते हैं।

(13) पूजा विधि -

किसी भी देवी–देवता की पूजा की जाती है तो सर्वप्रथम उस स्थान की गोबर से लिपाई की जाती है। उसके पश्चात् स्नान आदि से निवृत्त होकर नारियल, सिंदूर, दूध, पानी, आग, अगरबत्ती, फूल, दूब आदि लेकर देव स्थान में जाते है वहां सर्वप्रथम देवता को पानी व दूध छिड़का जाता है। उसके बाद सिंदूर का रोका लगाकर फूल चढ़ाया जाता है। अगरबत्ती जलाकर देवता के चारों ओर घुमाकर जमीन में गड़ाते है। फिर आग में गुड़ या धूप का हूम देते है फिर नारियल के चारों ओर पानी घूमाकर देवता के पास रखकर प्रार्थना करते है। आपका चढ़ावा लाया हूं। उसे आप स्वीकार करिए फिर नारियल पत्थर में फोड़कर एक टुकड़ा देवताओं के पास रख दिया जाता है। बांकि को लोगो में बांट दिया जाता है।

जिन देवी–देवताओं में पशु या मुर्गी की बलि दी जाती है। उनमें अलग विधि के पश्चात् मुर्गी या बकरे के उपर पानी छिड़कर उनके सामने चावल का दाना डालकर देवता से प्रार्थना करते है कि अपना भोग ग्रहण करे। यदि बकरा या मुर्गी दाना खाने लगता है तब माना जाता है कि देवता ने भोग स्वीकार कर लिया फिर उसके गर्दन पर तेज धार वाले कुल्हाड़ी या चाकू से काट दिया जाता है। और फिर मांस को प्रसाद के रूप में बांट कर खाते है।

(14) व्रत, त्यौहार और उत्सव -

बिंझवार जनजाति में निम्नलिखित व्रत त्यौहार और उत्सव मनाये जाते है।

(15) व्रत -

निम्नलिखित व्रत बिंझवार जाति के लोग रखते है।

(1) एकादशी -

प्रत्येक हिन्दी मास के कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष की एकादशी को कई महिला व पुरूष व्रत रखते है। तथा पूजा करते है। सायंकाल फल या कंद–मूल आदि खाते है।

(2) मंगलवार -

बिंझवार युवक मंगलवार को बजरंग बली का व्रत करते है। सायंकाल पूजा आदि कर रात्रि में भोजन करते है।

(3) श्रावण सोमवार -

बिंझवार जाति के लोग श्रावण सोमवार का व्रत रखते है। कुवारी लड़किया तथा महिलाएं श्रावण सोमवार का व्रत रखती है। भगवान शंकर जी में बेल पत्र, धतूरा, फूल, नारियल, गुड़ का हूम दिया जाता है। फिर शाम को फलाहार किया जाता है।

बिंझवार समाज का गोत्र व देवी–देवता पूजा पद्धति

बिंझवार समाज में कई गोत्र है व हर गोत्र का अपने–अपने अलग तरीके से देवी–देवता का पूजा करने का रीति–रिवाज है।

पलखिया :-

इस गोत्र के लोग अपने देवी–देवता का पूजा करने के लिये पीढ़ी दर पीढ़ी बलि देते है। इस गोत्र में ज्येष्ठ पुत्र पैदा होने या ज्येश्ठ पुत्र की शादी करते है तो अपने देव स्थान पर बलि देते है। जिसे पुजाई कहते है। पुजाई हर तीन साल में भी देते है। पुजाई देने के लिये सुअर, बकरा, मुर्गा का उपयोग करते है, ज्येश्ठ पुत्र की शादी करते है तब शादी करके वापस लौटते है तो घर के बाहर दरवाजे पर अंदर जाने से पहले धुरपवा बकरा काटते है उसके बाद अंदर प्रवेश करते है। धर में जहां पर देव स्थापित रहता है। वहां पर सुअर देते है। ठाकुर देव स्थान पर मुर्गा काटते है किसी में

बकरा का चलन है। पलखिया गोत्र के लोग अपने कुल देवी–देवता को प्रसन्न करने के लिये सुअर की बलि देते है। यह बलि चैत्र मास में देते है। बलि देने के लिये नर सुअर का प्रयोग करते है, कुल देवता के स्थान पर जब बलि दिया जाता है। तो वहां पर जो भी जीव का बलि दिया जाता है वह बकरा हो या मुर्गा उसे देव स्थान पर ही पकाया जाता है और उसी स्थान पर उसे बैठ कर खाते है। जो भी वहां बैठकर खाते है उसमें बचा हुआ मांस या हड्डी को वहीं पर गड्ढा खोदकर गड़ा देते है। उसे बाहर नहीं फेकते और उस मांस को खाने के लिए केवल उसके परिवार ही खाते है दूसरे गोत्र के लोग को नही देते। बाहर कटा हुआ मास खाने के लिए पूरे समाज को निमंत्रण देते है।

इस गोत्र के लोग जब तीन साल में पुजाई करते है (तीरसाला) तब बाहर के अपने रिस्तेदार को निमंत्रण देते है। जिसमें सभी परिजन पहुंचते है।

इसके अतिरिक्त सभी गोत्र की भांति इस गोत्र के लोग भी अन्य देव–देवता का पूजा करते है जैसे – शिव, हनुमान, लक्ष्मी शिव–पार्वती (गौरी–गौरा)

छठ, कृश्ण, गणेष, अक्ती आदि। बलि देने के अतिरिक्त हर वर्श सावन मास में हरियाली के दिन सभी देवी–देवता के स्थान पर पूजा करते है। इस दिन नारियल, गुड, धूप अगरबत्ती से पूजा करते है। किसी किसी में मुर्गा भी देते है। हरियाली त्यौहार के दिन से ही सभी देवी–देवता को नारियल, हूम से पूजा करके अपनी व परिवार वालों की सुख समृद्धि की मन्नत मांगते है व इस दिन से सभी देवी–देवता की पूजा षुद्ध होती है।

सरईगोत्र :-

इस गोत्र को मानने वाले लोग भी अन्य सभी समाज के लोगों की भांति हर वर्ष ग्राम देवता, कुल देवी–देवता, शीतला मॉ, काली मॉ व भैसासुर आदि देवी–देवता की पूजा हरेली के दिन करते है। उस दिन नारियल, गुड़, धूप, अगरबत्ती से पूजा करते है। इस गोत्र के लोग नवाखायी में जो क्वार नवरात्र पक्ष में मनाते है जिसमें सरई का पान विशेष महत्व है जब नवा खायी चलता है तो अपने देवी देवता की पूजा करते है। वहां पर नारियल गुड और सरई पान सुपाड़ी चढ़ाते है। व हूम देकर नारियल फोड़

कर पूजा करते है। पूरे परिवार एक साथ मिलकर नवाखायी का त्यौहार मनाते है और नवाखायी में नया चावल की रोटी बनाकर परसाद चढ़ाते है उसके बाद खाते है। नवाखायी में देवघर में ही अंदर खाने के बाद निकलते है वहां का परसाद अपने परिवार के अलावा दूसरे परिवार के लोग को नही देते है।

सरई गोत्र के लोग कुल देवी के रूप में कंकालीन माता को मानते है (काली) अपने कुल देवी को काले रंग की बकारा का बलि देते हैं। हर वर्ष नारियल, अगरबत्ती, गुड धूप से पूजा करते है। प्रत्येक तीसरे वर्ष में काला बकरी की पुजाई करते है। इस पुजाई में अपने पूरे परिवार को व रिश्तेदार को निमंत्रण देते है। पुजाई चैत्र मास में या बैसाख मास में मनाते है। इस दिन बकरी को पानी में धोकर घर का मुखिया नहाकर देव स्थल पर दिया जलाकर बंदन का टीका लगाकर देवस्थल पर टीका लगाकर बकरी को चावल का दाना खिलाकर काटते है। फिर उसे पूरे परिवार मिलकर पकाते है गांव में अपने समाज के लोगो को खाने पर बुलाते है।

बोदा:-

इस गोत्र को मानने वाले सभी लोग गांव में अन्य लोगों की भांति हर वर्ष सभी भगवान (देवी–देवता) की पूजा करते है। व अपने कुल देवी–देवता की पूजा हरियाली में नारियल, गुड़, अगरबत्ती से करते है। किसी में मुर्गी–मुर्गा भी इस त्यौहार को देव स्थान पर काटते है। गांव के अन्य जाति के लोगों की तरह शिव, कृष्ण, गणेश, राम, हनुमान, कालीमॉ, लक्ष्मी मॉ, आदि देवी–देवता की पूजा करते है क्वार में नवरात्रि पूजा मॉ दुर्गा की और दीपावली में उसी दिन मॉ लक्ष्मी की पूजा करते है दीपावली के दिन पूरे घर पर सभी तरफ मिट्टी के दीये व आटा का दीया बनाकर जलाते है, खेतों में जहां फसल बोये रहते है। वहां पर दिया जलाते है और लक्ष्मी की पूजा करते है खलिहान (कोठार) पर दीया जलाकर ग्राम देवता में दिया जलाते है शिव मंदिर, हनुमान मंदिर में भी दिया जलाते हैं।

इस गोत्र को मानने वाले परिवार में भी एक विषेश पुजाई का महत्व है अपने कुल देवी देवता में हर तीन साल में पुजाई करते है। पुजाई के लिए बकरा, मुर्गा, किसी–किसी में सुअर का भी प्रचलन है पुजाई हर 3 वर्ष में चैत्र, बैसाख मास में ही

करते है अन्य गोत्र की तरह इस गोत्र के लोग अपने रिश्तेदार व गांव के समाज के लोग को निमंत्रण देकर बुलाते है पुजाई के दिन देवस्थल को लीपकर दीया जलाकर बंदन का टीका लगाते है उसके बाद बकरा काटते है। गांव से बाहर इनका देव नीम या पीपल के पेड के नीचे स्थापित रहता है जहां पर मुर्गा काटते है वहां का मांस पकाने के बाद वहां स्थित लोग ही खाते है। उसे बचा कर वापस नहीं लाते है और उस मांस को स्त्री को नही देते है।

नागवंशी :-

गांव के दूसरे समाज की भांति इस समाज या इस गोत्र के लोग भी देवी–देवता की पूजा करने या मानने में विश्वास रखते है हर वर्श ग्राम देव, दूल्हादेव, ठाकुर देव, ठकुराईन, भैसासुर, दुर्गा, लक्ष्मी, हनुमान, राम आदि देवी–देवता का पूजा करते है। हरेली के दिन सुबह घर का मुखिया नहा धोकर गांव पूजा होने के बाद अपने गृह देवता में दीया जलाकर बंदन का टीका लगाकर नारियल, फूल, गुड़, अगरबत्ती से पूजा करते है ठाकुर देव व ठकुराईन में किसी–किसी परिवर में हरेली के दिन काला मुर्गा या फिर कारी मुर्गा मारते है (काला सफेद) अपने लक्ष्मी की सुरक्षा के लिए कोठा (गौशाला या लक्ष्मी गृह) में लाल रंग का मुर्गा मारते है और लक्ष्मी गृह की पूजा करते है यह कार्य कभी कभार या फिर 3 साल में देते है।

इस गोत्र के लोग नवाखानी जो दूसरे गोत्र के लोग खाते है ये भी हर वर्ष नई फसल आने पर नया चावल का नवाखानी मनाते है नवाखानी का समय हर वर्श नवरात्रि पर्व पर दशहरा के दिन खाते है।

नवाखानी के लिये देव स्थल या उस घर को लीप कर नया तवा जो मिट्टी का रहता है नया चूल्हा सात खड़ी बिरापान सात खड़ी सुपाड़ी व नया चावल या आटा की रोटी बनाकर सात नग घर से मुखिया दीया जलाकर देव स्थल पर बंदन का टीका लगाकर सभी सामान को चढ़ाता है उसके बाद पूजा करता है फिर नारियल फोड़ता है परसाद के रूप में अपने परिवार के सभी सदस्य को चढ़ा हुआ रोटी व नारियल, गुड देता है जितने भी सदस्य है वे सभी उसी घर में बैठकर प्रसाद खाते है उसके बाद ही बाहर निकलते है वहां का प्रसाद घर से बाहर नही ले जाते।

इस गोत्र में एक विशेषता यह है कि ये सभी नाग सर्प को अपने देवता मानते है कही भी नागसर्प देख लिया तो उसका नाम लेकर उसे भगा देते है इस गोत्र के लोगों का प्रतीक चिन्ह नाग है इसी के चलते इसका गोत्र भी नागवंशी है। हर वर्ष नागपंचमी को नाग के लिये अपने–अपने खेत के मेड़ में दूध और लाई रखते है व नागदेवता की पूजा करते है।

अमराईः-

इस गोत्र को मानने वाले परिवार हर वर्श सावन हरेली पर्व मनाते है। इस दिन पूरे गांव वालों के साथ मिलकर ग्राम देवी–देवता का पूजा करते है ठाकुर देव, कलिका, सतबहिनीया, भैसासुर, जितने भी देवी–देवता है सभी की पूजा करते है उसके बाद अपने घर का दूल्हा देव ठाकुर देव ठकुराईन में नारियल, गुड़, फूल, बंदन, अगरबत्ती से पूजा करते है दूसरे गोत्र की तरह इनमें भी अपने घर ज्येष्ठ पुत्र के पैदा होने पर अपने घर के देवी देवता पर पुजाई करते है पुजाई करने के लिये इनमें कोई समय सीमा नहीं है वे अपने अनुसार कभी भी समय देखकर करते है अपने रिश्ते नाते को आमंत्रण करके पुजाई करते है ये अपने पुजाई के लिये बकरा काला, कालामुर्गा, व कर्रा मुर्गा, जो लाल, सफेद रहता है। वैसे बकरा का विशेष महत्व नही है। पुजाई का कार्य दिन में करते है देव स्थल को लीप कर वहां पर दीया जलाकर बंदन का टीका लगाकर मुर्गा को उस स्थान पर चावल, दूबी का दाना खिलाकर मारते है यदि उस स्थान पर कोई भी मुर्गा यदि दाना नही खाता है तो उसे नहीं मारते है उसके बदले दूसरा फिर से लाते है। दिन की पुजाई खत्म होने के बाद रात में अंधियारी देव मनाते है वहां पर काला मुर्गा रात को मारते है और वहीं पर पकाकर खाते है उसमें से एक भी मांस व हड्डी उस स्थान से बाहर नहीं ले जाते जितना भी बचता है उसे वहीं पर गड्ढ़ा खोदकर दबा देते है।

इस गोत्र के लोग नवाखानी को एक अलग प्रकार से मनाते है वैसे तो नवाखानी का कार्य क्वार का महीना नवरात्रि पर्व होता है पर समय में चावल उपलब्ध नहीं होने के कारण दीवाली को मनाते है या फिर आगे–पीछे कर देते है पूरे घर को लीपकर सभी स्वच्छ होकर मनाते है इसे मनाने के लिये घर की महिला खेत जाकर

खड़ी फसल से धान लाकर उसे तत्काल घर में ही कूटकर पिसाई कर रोटी बनाती है इस कार्य को पूरा करते तक महिला किसी भी बाहरी आदमी से बात नही करती है रोटी बनने के बाद घर का मुखिया देवता के पास दीया जलाकर बंदन का टीका लगाकर पूजा करता है इसमें नारियल गुड, धूप अगरबत्ती का उपयोग करता है फिर सभी उस जगह पर खाते है।

सोनवानी :-

सोनवानी गोत्र के लोग भी दूसरे गोत्र के लोगों की तरह अपने कुल देव व अपने पारंपरिक त्यौहार व ग्राम देवी–देवता का पूजा करते है इस गोत्र के लोग भी ठाकुरदेव, दुल्हादेव, ठकुराईन, काली, लक्ष्मी, दुर्गा, शिव, हनुमान, गौरी–गौरा की पूजा करते है परंतु अपने समाज के अन्य लोग की तरह पुजाई करते है यह पुजाई हर तीन वर्ष में दिया जाता है पुजाई का समय चैत्र, बैसाख के माह में किसी भी दिन अपने अनुसार करते है काला बकरा व काली बकरी के साथ मुर्गा देते है इस गोत्र में भी अपने रिश्ते नाते को आमंत्रित करते है पुजाई का काम वैसे ही होता है जिस तरह बाकि के गोत्र में होता है घर लीपकर देव स्थल पर दीया जलाकर टीका लगाकर दाना ठोकवा कर मारते है मुर्गा को घर पर ही अंदर में बनाते है और वहीं पर खाते है इसे बाहर नहीं ले जाते इस गोत्र में ऐसा कोई बंधन नही है कि मांस को कोई भी गोत्र के लोग खा सकते है पर उसी घर पर ही खाते है।

इस गोत्र में विशेष यह है कि जब किसी भी परिवार में लोग मृत होते हैं तो जब दशगात्र करते है उस वक्त समाज में एक रस्म होता है काठी का जो चार व्यक्ति मृतक को उठाकर श्मशान ले जाते है उसकी काठी उतरवाते है यह कार्य दशगात्र नहाकर आने के बाद होता है वह कार्य सोनवानी गोत्र के व्यक्ति द्वारा कराया जाता है जिसे काठी उतारना कहते है उसके बाद पगड़ी रस्म के समय मृतक के परिवार वाले का शुद्धिकरण सोनवानी गोत्र के किसी व्यक्ति द्वारा कराया जाता है यह कार्य बिंझवार समाज में ब्राम्हण के द्वारा नही कराया जाता। हर गोत्र के लोग शादी पर अपने कुल देवता ठाकुर देव व दूल्हादेव की पूजा करते है उसी घर पर ले जाते है जहां पर देवता रहता है और वहां का प्रसाद दुल्हा, दुल्हन को खिलाते है।

कलिहारी:-

कलिहारी गोत्र के लोग गांव के देवी–देवता के साथ–साथ अपने घर पर कुलदेव ठाकुर ठकुराईन दूल्हादेव को भी मनाते है हर गोत्र में यह सभी देव को मनाते है पर उनकी पूजा पद्धति कुछ थोड़ा बहुत अंतर है इस गोत्र में भी अपने कुल देवी देवता को मानने का रिवाज अलग नहीं है पुजाई प्रथा इनमें भी है।

इस गोत्र में विशेष यह है कि हूम व नेवराद बोना वैसे तो इसमें हर तीन साल में नेवराद का चलन है पर यदि नही बो पाये तो उसके स्थान पर हुमन का कार्य करते है इस परिवार में भी ज्येष्ठ पुत्र की शादी करते है या फिर ज्येष्ठ पुत्र पैदा होता है तो नेवराद का कार्य करते है और उसी के साथ–साथ पुजाई का काम भी। नेवराद बुवाई का काम क्वार या चैत्र, बैसाख माह में अधिकतर करते है पर क्वार का माह नवरात्रि का पर्व होता है जिसके कारण अपने घर का नेवराद चैत्र, बैसाख माह में रखते है जिस घर में देवता रखते है उस घर को साफ सफाई कर लीपकर नेवराद बुवाई करवाते है इस षुभ कार्य में सम्मिलित होने के लिये अपने रिष्तेदार व सगासंबंधी को निमंत्रण देते है नेवराद बोने का काम कोई भी पक्ष से शुरू करते है शुरू के दिन घर के मुखिया के द्वारा देवता घर में देवता स्थान पर टोकरी व पीढ़ा में खाद गोबर डालकर उसमें जौ, तिल, गेंहू, ज्वार, व मक्का का दाना डालकर उसे उपर से फिर खाद में हल्का हल्का ढंक देते है और हल्का हल्का पानी डालकर रख देते है। घर का मुखिया या कोई भी उस आठ दिन तक रोज सुबह, शाम नहाकर पूजा करता है और दिन भर उपवास रहता है शाम को एक समय फलाहार के रूप में दूध और गेंहू आटा की दो रोटी लेता है हर रोज मॉ सेवा के रूप में गांव से या फिर घर वाले जसगीत गाते है यह कार्य पूरे सात दिन तक चलता है आठवे दिन अठवाई पूजा का काम देवता में करते है उसके बाद पूरे गांव में घुमाकर विसर्जन करते है।

नागवंशी गोत्र :-

इस गोत्र में भी गांव के सभी वर्गो की भांति सभी त्यौहार को गांव वालों के साथ मिलकर ग्राम देवता की पूजा करते है हर वर्ष पूजा का समय श्रावण माह के दूसरे पक्ष हरेली के दिन से शुरू होता है इस दिन सभी अपने अपने घर में व खेत में

पूजा करते है। गांव में ग्राम देवता, ठाकुर देव, शिव हनुमान भैसासुर, काली मॉ, सतबहिनिया, शीतला जितने भी देवी–देवता है सभी की पूजा करते है उसके बाद अपने घर कुल देवी–देवता की पूजा करते है इस दिन इस गोत्र के लोग अपने देवी देवता में काली मुर्गी, काला मुर्गा व कर्रा मुर्गा की बलि देते है। पर कोई–कोई पूजा करने के लिये नारियल गुड़ हूम अगरबत्ती का उपयोग करते है। इस गोत्र के लोग भी सभी की भांति हर त्यौहार को मनाते है। अक्ती, राम नवमी, होली, छेरछेरा, दीवाली, अक्ती, रामनवमी को पूजा करने के लिये अक्ती को घर की महिला सुबह नहाकर पीतल की गुंडी लेकर पानी पीपल पेड़ बरपेड़ आम नीम का पेड़ पर पानी डालते है और उसकी पूजा करते है उसके बाद घर आकर ब्राम्हण को दान करते है।

राम नवमी को सुबह नहाकर भगवान राम की श्रद्धा से पूजा पाठ करते है और उसकी षोभा यात्रा निकालते है।

नागवंशी गोत्र के लोग भी पुजाई करते है ये लोग हर 3 साल में अपने कुल देवता व कुल देवी में काला बकरा व काली बराई का पुजाई करते है और अपने ठाकुर देव में सफेद बकरा देते है।

अध्याय – 8

लोक परम्पराएं

बिंझवार जनजाति में लोक नृत्य, लोकगीत, भजनराज, सप्ताह माता सेवा, फाग आदि गाये जाते है, इसके अतिरिक्त नाटक राम लीला भी खेले जाते है इनकी लोक साहित्यों में लोक कथाएं, पहेलिया, कहावतें मुख्य है बच्चे अपने मनोरंजन हेतु विभिन्न प्रकार के खेल भी खेलते है। वर्तमान में मनोरंजन के नये आयाम के साधन में मोबाईल से भी मनोरंजन करते है। खेल में क्रिकेट, फुटबाल आदि शामिल है।

लोक नृत्य :-

बिंझवार समाज में कर्मा नृत्य पहले प्रचलन में था परन्तु वर्तमान में यह धीरे–धीरे लुप्त होते जा रहा है। कुछ दूरस्थ गांवों में बिंझवार, गोंड, कंवर आदि मिलकर एक साथ कर्मा नृत्य नाचते है। होली के त्यौहार में 'राहस' या डंडा नृत्य करते है, जिसमें सिर्फ पुरूष ही नाचते है साथ ही राहस गीत गाये जाते है। किन्तु अब यह भी लुप्त होता जा रहा है। छेर–छेरा के समय बच्चे पहले छेर–छेरा नाचते थे किन्तु अब यह भी लुप्त होने के कगार पर है। भादो क्वार में लोग एकत्र होकर साथ नाचते है। जिसके साथ ढ़ोला, गजीरा, झुमका आदि होता है। गायक कोई धार्मिक कथा गाता है नर्तक ढ़ोल की ताल पर नृत्य करते है। दीपावली के आस–पास महिलाएं सुआ गीत गाकर सुआ नाचती है। दीपावली के अवसर पर रावत के साथ कई बिंझवार रावत नाच भी करते हैं।

लोकगीत :-

बिंझवार जनजाति का लोकगीत छत्तीसगढ़ी में होता है। इनके लोकगीत विभिन्न अवसरों जैसे सगाई, विवाह के अवसर पर गाने वाले बिहाव गीत ''भडवनी'' राहस नृत्य के साथ गाये जाने वाले नृत्य गौरा–गौरी, दीवाली के दिन गाये जाने वाले गीत, ज्वारा गीत, माता सेवा, रामसत्ता, गीत राम सत्ता, भादों क्वार के महीने में होली में ''फाग'' भजन लोग गीतों में ददरिया जो युवा लड़के व लड़की एक–दूसरे के प्रश्न के उत्तर के रूप में गाते है। इसके अतिरिक्त कर्मा गीत इनका मुख्य लोक गीत है।

वर्तमान समय में रामायण के कुछ गीतों के धुन गाकर, हारमोनियम, ढ़ोलक, मंजीरा के साथ रामचरित मानस के पदों को गाया जाता है। छत्तीसगढ़ी नाच के अवसर पर अलग पोषाक में ''जोकर बनकर'' लोकगीत भी गाया जाता है।

रामलीला, नाटक एवं छत्तीसगढ़ी नाच, महाभारत, चदैनी :-

दशहरे के अवसर पर रामचरित मानस के कथानुसार रामलीला खेलते है। जिसमें स्त्री व पुरूष का पात्र पुरूष ही करते है। इनके पोषाक आदि राजसी होता है व मुकुट घारण करते है। गायन पदो को हारमोनियम के साथ गाकर संवाद बोलकर हावभाव का प्रदर्षन कर अभिनय करते है। इसके साथ–साथ नाटक जैसे वीर अभिमन्यु, कृश्ण अवतार, मोरध्वज, भक्त प्रहलाद आदि खेल खेले जाते है। इसमें भी पुरूष व स्त्री पात्रों के चरित्र केवल पुरूष व लड़के करते है। इस अवसर पर ग्रामवासी बहुत खुश नजर आते है।

विवाह, मेले, मड़ई आदि के अवसरों पर कुछ लोग नाच कराते है। इसमें हारमोनियम, तबला, मंजीरा, झुमके के साथ प्रथम तीन गीत जो फिल्मों का होता है किन्तु उसका पहनावा फिल्मी होता है। भाव प्रदर्शन स्त्रियों को करते है इसे ''परी'' कहा जाता है। एक दो स्त्री पात्र का अभिनय करने वाले स्त्रीवेश में नजर आकर गीत गाते है। फिर छत्तीसगढ़ प्रहसन जिसे ''गम्मत''कहा जाता है प्रस्तुत करते है। यह नाटकों की तरह सामाजिक समस्याओं कहानियों पर आधारित होता है। संवाद व गीत छत्तीसगढ़ी में होता है कभी कभी मजाक भी होता है जिसे देखने वाले बड़े चाव से देखते है। महाभारत जिसे पंडवानी भी कहा जाता है विवाह, जन्म, पितृपक्ष आदि के अवसरों पर आयोजित किया जाता है। इसमें महाभारत कथा को छत्तीसगढ़ी बोली में भाव प्रदर्शन के साथ अभिनय सहित गाया जाता है। बिंझवार जनजाति कुछ अवसरों पर चंदैनी गायन का भी आयोजन करते है। जिसमें लोरिक चन्दा का कथा छत्तीसगढ़ बोली में अभिनय किया जाता है।

लोक कथाएं :-

बिंझवार जनजाति में अनेको लोक कथाएं प्रचलित है जिसे खेती के कार्य जैसे धान निदाई के समय काम करने वाले सुनाते है और बाकी लोग सुनते हुए काम करते

है। इसके अतिरिक्त दादा–दादी अपने पोता–पोती को, माता–पिता अपने बच्चों को कई कहानियां सुनाते है जैसे डोकरा–डोकरी, राजा–रानी, जंगली जानवर जैसे षेर–सियार, खरगोश–शेर, गाय–शेर, बंदर, राजकुमारी, ढ़ेला–पत्ता, सतबहिनी आदि मुख्य है। कहानियां मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी व्यक्ति या दादा–दादी से सुनकर हस्तातरित होती रहती है।

जनउला पहेलिया :-

बिंझवारों में कई ''जनउला'' प्रचलित है ये एक दूसरे की बुद्धि परीक्षण व समय बिताने के उद्देश्य से पूछा जाता है।

''हाना'' कहावते :-

बिंझवारों में कई ''हाना'' भी प्रचलित है ये बात करते समय या उदाहरण देते समय ''हाना'' का उपयोग करते है।

बच्चों के खेल :-

बिंझवार जनजाति के बच्चे गिल्ली डंडा, भौरा, बाटी, गोलियां, आधी–चपाती, आंख–मिचौनी, घोर घोर रानी, डंडा–पचरंगा, वृक्ष में चढ़कर छूने का खेल, नदी–पहाड का खेल, धूप व छाया में पकड़ना, लुकउना, चुरमुन्दरी,अगूठी छूपानी, चूड़ी पकउला, चूड़ी रेत में छुपाकर खोजना, बिल्लस, लाइन खींचकर पैर से पत्थर का टुकड़ा बाहर निकालना, खोरी छुअउना, लगड़ी, घर दुआर, घर घुदियां, रेत क घर बनाकर रहना, सगा–पहुना, पारिवारिक रिश्तेदार मेहमान का खेल, पिट्ठूल गेंद का खेल, इमली के बीज खानों में भरकर चलने वाला खेल कौड़ी, कब्ड्डी, खो–खो आदि खेलते है। इसके अतिरिक्त रक्षाबंधन के बाद जन्माष्टमी व पोला तक लड़कियां पेड़ों में झूला बांधकर झूलती है। वर्तमान समय में बच्चे मोबाइल में भी विभिन्न प्रकार के खेल खेलते है।

लोक कला :-

बिंझवार जनजाति में त्यौहारों के अवसर पर स्त्रियां घर को लीपकर चावल के आटे से चौक, रंगोली बनाती है। इसके अतिरिक्त घरों के निर्माण के समय मोर, बिल्ली, कुत्ता की आकृति भी मिट्टी से बनाती है। बच्चे दीपावली के अवसर पर घर के सामने रंगो के फूल पत्ते व कई पशुओं की आकृति बनाते है। इसके अतिरिक्त बच्चे मिट्टी से आकृति जैसे बैल, घोड़ा, हाथी आदि खिलौना बनाते है। स्त्रियां कांच की रंगीन खरीद कर माला गूथती है बहारी (झाडू बनाना), धान के पौधों से कई आकृति बनाना आदि कार्य करती है।

अध्याय – 9

परिवर्तन

संचार के साधन, शहरी सम्पर्क, शिक्षण, शासकीय प्रयासों द्वारा आर्थिक उन्नति के लिए किये जा रहे आयोजनों से बिंझवार जाति के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में परिवर्तन आ रहा है।

भौतिक संस्कृति में आये हुए परिवर्तन किसी भी समाज में स्पष्ट दिखाई देता है जो इस प्रकार है :–

आवास व ग्राम संरचना में परिवर्तन :-

बिंझवार जनजाति के मकान पहले कच्चे जिसके उपर छत घास–फूस का होता था लेकिन अब इसकी जगह खपरैल वाले मकान बनने लगे है कई मकानों की दीवार ईट, सीमेंट का बनने लगा है। नीचे फर्श पत्थर व सीमेंट का बनने लगा है। घरों में खिड़की तथा लकड़ी की आलमारी भी लगाये जाने लगे है। गांव में पहले गली कच्ची होती थी जो बारिश के मौसम में बेहाल हो जाया करती थी लेकिन अब गिट्टी या कांक्रीट वाली सड़के बनने लगी है। पहले गांव में पेयजल के लिए कुएँ होते थे। अब कुएं की जगह हेडपंप का उपयोग किया जाता है। आज बिंझवार समाज के लोग पहाड़ी इलाकों में न रहकर शहरों की ओर निवास करने लगे है। शासन द्वारा संचालित विभिन्न जन हितग्राही मूलक कार्यो से उनके रहन सहन में परिवर्तन आया है। इंदिरा आवास योजना की राशि अनुदान का उचित उपयोग कर अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाए है।

घरेलू सामाग्रियों में परिवर्तन :-

घरेलू वस्तुओं में भी बहुत परिवर्तन आया है जैस एल्युमिनियम, पीतल, कांसे के बर्तन के स्थान पर स्टील के बर्तन का उपयोग होने लगा है। पहले मिट्टी के बर्तन में चावल बनाये जाते थे लेकिन आज उनकी जगह स्टील के बर्तन का उपयोग किया जाता है। चूल्हे के साथ षासकीय सहायता प्राप्त सोलर कुकर का भी उपयोग कुछ लोग करने लगे है। रेडियों, टीवी, सायकल का उपयोग आज घर घर में देखने को

मिलता है। साथ ही साथ घरों में सजावट के समान भी इनके घरों में देखा जा सकता है। शासन द्वारा वितरित एल.पी.जी. गैस का उपयोग भी इस जनजातियों में किया जा रहा है।

शारीरिक स्वच्छता, साज श्रृंगार में परिवर्तन :-

पहले लोग नहाने के लिए साबुन का उपयोग नहीं करते थे। बाल धोने के लिए मिट्टी आदि का उपयोग करते थे। आजकल नहाने व बाल धोने के लिए साबून, शैम्पू का उपयोग करने लगे है। पहले कपड़े भी सिर्फ पानी का उपयोग कर धो लेते थे वर्तमान में साबुन, सोडा व डिटरजेन्ट पाउडर का उपयोग करने लगे है। पहले पुरूष धोती आदि व महिलाएं लुगड़ा पोलका पहनती थी अब कई युवक पेन्ट, शर्ट, पायजामा, कुर्ता तथा स्त्रियां साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट आदि पहनने लगे है। लड़के हाफ पेन्ट, शर्ट, टाउजर्स व लड़कियां स्कर्ट, सलवार सूट आदि भी पहनने लगे है। पुराने गहनों के आकार में भी परिवर्तन आया है। गोदने के आकार में भी परिवर्तन आया है साथ ही गोदने के प्रति स्त्रियों का रूझान भी कम हुआ है। आज गोदने को इन जनजातियों में पूरे शरीर में न गोदवाकर केवल हाथों व पैरों पर ही गोदवाया जाता है। शरीर की स्वच्छता के प्रति भी जागरूकता बढ़ी है।

भोजन में परिवर्तन :-

बिंझवार जनजाति के लोग पहले रात का बचा हुआ भोजन बासी खाते थे वर्तमान में भोजन के साथ रोटी भी खाने लगे है। त्यौहारों में अरसा, बोबरा, चौसेला, ठेठरी, खुरमी के साथ साथ अब आलू बड़ा, गुजिया, शक्कर पाक, पूड़ी आदि भी बनाने लगे हैं। पहले इस जनजाति के लोग मांस मछली जैसे मांसाहारी भोजन का भी सेवन ज्यादा करते थे परन्तु वर्तमान में कबीरपंथी समाज के सम्पर्क में आने से मांस, मछली आदि का सेवन छोड़ दिए है।

आर्थिक जीवन में परिवर्तन :-

बिंझवार जनजाति के अर्थोपार्जन का मुख्य स्त्रोत जंगली वस्तुओं का संग्रहण, शिकार, मछली पकड़ना आदि था। किन्तु अब इनका अर्थोपार्जन का साधन कृषि मजदूरी है। साथ ही साथ आज युवा वर्ग में शिक्षा के प्रति जागरूकता है। युवा वर्ग

शासकीय नौकरी में आरक्षण के आधार पर आज शासकीय कार्यालयों में अपनी सेवा दे रहे है।

खेती तकनीक में परिवर्तन :-

खेती के लिए पहले उन्नत किस्म के बीज खाद का उपयोग नहीं किया जाता था वर्तमान में इनके द्वारा शासन की योजनाओं का पूर्णतया लाभ उठाकर अपनी आर्थिक जीवन शैली में काफी सुधार लाये है।

सिंचाई की उत्तम व्यवस्था नहीं होने से रबी फसल नहीं बोयी जाती थी परंतु आज उनके द्वारा कृषि की नई तकनीकों का उपयोग कर रबी फसल का बेहतर उत्पादन कर रहे है। पूर्व में इनके द्वारा केवल अपनी ही जरूरतों के खाद्यान्न का उत्पादन किया जाता था परन्तु आज बिंझवार जनजाति के लोग व्यावसायिक फसल कपास, सोयाबीन, सूरजमुखी आदि का भी उत्पादन कर रहे है।

पहले बाजार से धान के बदले वस्तु ले जाते थे अर्थात विनिमय प्रणाली लागू थी किन्तु वर्तमान में फसल को बेचकर जरूरत की वस्तुएं नगद पैसे देकर खरीदते है। पहले कृशि व अन्य कार्यो के लिए साहूकारों से ऋण लेते थे परंतु आज सहकारी बैंक या राश्ट्रीकृत बैंक से कर्ज लेते है।

सामाजिक परिवर्तन :-

बिंझवार जनजाति समाज के उपजातियों में पहले खान पान संबंध कम था किन्तु अब खान पान संबंध बढ़ा है कही कही विवाह भी होने लगा है। अंर्तजातीय संबंध में अंतराल खान पान संबंध को बहुत कड़ाई से पालन करते थे किन्तु अब नई पीढ़ी के लोग पुराने पीढ़ी के समान कट्टर न होकर सहिष्णु होते जा रहे है। पहले संयुक्त परिवार को अच्छा माना जाता था किन्तु अब नौकरी, षिक्षण व अन्य व्यवसाय आदि होने के कारण विभक्त केन्द्रीय परिवार अधिक दिखाई देते है।

जीवन चक्र में परिवर्तन :-

ऋतुकाल के समय पहले पानी भरने, रसोई बनाने में प्रतिबंध था किन्तु अब पढ़े लिखे युवा वर्ग इस प्रकार के प्रतिबंध को नहीं मानते है किन्तु स्वच्छता सफाई व

मेहनत पर ध्यान देते हैं।

प्रसव पहले स्थानीय महिलाओं के हाथों होता था किन्तु अब बहुत से लोग नर्स या डाक्टर बुलाता है अधिकांश लोग अस्पताल भी जाने लगे है। बच्चों के नामकरण हेतु पहले घर व परिवार के बुजुर्ग से पूछा जाता था अब लोग ब्राम्हण से पंचाग दिखाकर नाम रखने लगे है। नाम में भी बहुत परिवर्तन आया है अब आधुनिक नाम रखने लगे है।

विवाह की उम्र सीमा बढ़ी है तथा विवाह हेतु लड़का –लड़की की राय भी लेने लगे है। विवाह के समय जो वस्त्र वर–वधु पहनते थे उसमें भी परिवर्तन आया है। पुरूष धोती कुर्ता की जगह पेन्ट शर्ट पहनने लगे है।

शैक्षणिक स्थिति में परिवर्तन :-

पहले शिक्षण का स्तर बहुत कम था। किन्तु अब शासकीय प्रयासों के द्वारा शिक्षण के प्रतिशत में पहले की अपेक्षा वृद्धि हुई है। स्त्रियों में भी शिक्षण का प्रतिशत बढ़ा है।

राजनैतिक स्थिति में परिवर्तन :-

पहले लोग परंपरागत जाति पंचायत, ग्राम पंचायत का निर्णय पूर्णतः स्वीकार करते थे किन्तु अब इसके अस्तित्व में कमी आई है। कई लोग इनका निर्णय न मानकर पुलिस कचहरी जाते है। पंचायत आदि का पद पहले परंपरागत हुआ करता था किन्तु अब योग्य व्यक्ति को पंचायत का मुखिया बनाया जाता है।

धार्मिक जीवन परिवर्तन :-

बिंझवार समाज के लोग पहले बहुत ज्यादा अंधविश्वासी प्रवृत्ति के होते थे भूत–प्रेत, टोना–जादू में अधिक विश्वास करते थे किन्तु वर्तमान में शिक्षित पीढ़ी द्वारा इस तरह के अंधविश्वास व जादू टोना जैसे बातों पर विश्वास घटा है। पूर्व में इनके द्वारा परंपरागत ईष्टदेव की पूजा आराधना की जाती थी परंतु आज राम, कृष्ण, गणेश, हनुमान आदि की भी आराधना की जाती है। साथ ही साथ व्रत त्यौहारों आदि में उपवास रखने का प्रचलन बढ़ा है। कुछ लोग गायत्री परिवार, कबीर पंथ आदि से

दीक्षांस लेकर मांस–मदिरा, मछली आदि का त्याग कर चुके है। अंध विश्वासों में कमी आयी है।

लोक कलाओं में परिवर्तन :-

शिक्षित नवयुवकों द्वारा धीरे–धीरे अपनी परंपरागत नृत्य, लोक संगीत, गाथाएं आदि के स्थान पर विवाह आदि में फिल्मी संगीत आदि ने स्थान ले लिया है।

अध्याय 10

समस्याएं

आर्थिक समस्याएं :-

अधिकांश परिवारों की खेती असिंचित है जिससे फसल पूर्णतः वर्षा पर आधारित होता है। आधुनिक युग में जहां पर्यावरण को प्रदुषण के कारण प्रकृति का चक्र प्रभावित होने के कारण व समय से वर्षा न होने से अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके अतिरिक्त सिंचाई के पर्याप्त साधन न होने के कारण फसल के बाद शेष माह कृषक बेकार हो जाते है।

बिंझवार कृषक कृषि के उन्नत तकनीकों से अनभिज्ञ है उन्नत बीज, खाद, कीटनाशक व वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग कम करने से आर्थिक उत्पादन कम होता है। इन जनजातियों के घरों में पालतु पशु देशी नस्ल के होते है जिससे पशुपालन की स्थिति व उनसे होने वाले लाभ जैसे दूध का उत्पादन कम है तथा देशी नस्ल की गाय से उत्पन्न बैल की भी कार्यक्षमता अन्य बैलों के अपेक्षाकृत कम होती है।

बिंझवार समाज प्रायः एकान्त क्षेत्रों जंगल, पहाड़ जैसे स्थानों पर निवास करते है जहां पर खेती के अलावा अन्य कोई उद्योग व्यवसाय नहीं होने से बेरोजगारी की स्थिति बनी होती है जिससे उनका आर्थिक विकास नहीं हो पाता है। जानकारी का अभाव व अज्ञानता वश व शासन के द्वारा संचालित व्यक्ति मूलक योजनाओं का विस्तृत विवरण नहीं होने से शासन की योजनाओं का पूर्ण रूपेण उपयोग न कर पाने से भी आर्थिक रूप से कमजोर होते है।

सामाजिक समस्याएं :-

अभी भी बिंझवार जनजाति में अधिकांश विवाह कम उम्र में हो जाता है। कम उम्र में विवाह हो जोने से शारीरिक एवं मानसिक तौर पर उनका विकास नहीं हो पाता परिणाम स्वरूप आने वाली पीढ़ी भी कमजोर व दुर्बलता की शिकार हो जाती है। यह बुराई इस समाज की सबसे बड़ी समस्या है।

दुर्ब्यसन :-

बिंझवार जनजाति में मादक पदार्थ जैसे शराब का सेवन करन भी एक दुर्ब्यसन है समाज के कई सदस्य प्रायः महिला व पुरूश दोनों में यह दुर्ब्यसन पाया जाता है जिससे इनके स्वास्थ्य व आर्थिक दोनों ही रूपों में क्षति होती है व पारिवारिक षांति में भी बाधा उत्पन्न होती है। परिवार में कलह व लड़ाई झगडे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

शैक्षणिक समस्याएँ :-

शैक्षणिक दृष्टि से बिंझवार जनजाति में अभी भी शिक्षा का प्रतिशत बहुत कम है। लड़कियां अपने छोटे भाई बहनों को संभालने या खेतों में काम करने के कारण स्कूल नहीं जा पाती। जिससे स्त्रियों में शिक्षा का प्रतिशत पुरूषों की अपेक्षा कम है।

स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं :-

बिंझवार जनजाति के निवास स्थान एकांत व दुर्गम होने के कारण शिशुओं व बड़ों को टीका/इंजेक्शन आदि की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से बच्चों को होने वाले प्राथमिक बीमारी डायरिया, डिप्थीरिया, काली खांसी, खसरा, पोलियो, चेचक आदि से बच्चा व मां दोनो को शारीरिक क्षति के साथ साथ शिशु की जान तक जाने का खतरा बढ़ जाता है।

बिंझवार जनजाति में अशिक्षा व अज्ञानता के कारण जचकी अस्पताल में न कराकर घर पर ही करना उचित मानते है जिससे जच्चा बच्चा दोनो को जान का खतरा बना रहता है व प्राथमिक तौर पर दी जाने वाली सुविधाओं से वंचित होना पड़ता है। इस जनजाति में नहाने व पीने का पानी प्रायः तालाबों का होता है उन्ही तालाबों में जानवरों को नहलाया जाता है। उसी पानी में नहाने से त्वचा संबंधी रोग व पीने से उदर विकार की उत्पत्ति होती है।

कम उम्र में विवाह होने व गर्भ धारण करने से स्त्रियां शारीरिक रूप से दुर्बलता की शिकार होती है व असमय काल कलवित होने का अंदेशा भी बना रहता है। कम उम्र में विवाह से उत्पन्न बच्चे सामान्य प्रकृति से उत्पन्न बच्चों की अपेक्षा शारीरिक रूप से कमजोर होते है जिससे ज्यादा मेहनत व दिमागी कार्य कर पाने मे असमर्थ

होते है।

इस जनजाति में लोग प्रायः अंधविश्वास व जादू टोना पर अधिक विश्वास रखते है। बीमारी की स्थिति में इस जनजाति के लोग डाक्टर के पास जाने के बजाय बैगा के पास जाना उचित समझते है। जिससे जान माल की हानि का अंदेशा बना रहता है। इलाज सही समय पर नहीं होन से रोगी की असमय मृत्यु भी हो जाती है।